राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] तेरहवीं विधान सभा के सप्तम सत्र का चतुर्थ दिवस [संख्या : 2

शुक्रवार,

26 अगस्त, 2011

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष :श्री ज्ञानचन्द पारख। ...(व्यवधान) कृपया प्रश्न काल को तो पूरा हो जाने दें। प्रश्न काल हो जाने दें, उसके बाद में आप कुछ कहें तो अलग बात है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल को स्थगित करके पूरे देश में जिस तरह से ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक) : ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है। आप विराज जायें, कोई अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : ×××

श्री पेमाराम (धोद) : ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कोई अंकित नहीं हो रहा है। कृपया प्रश्न काल में व्यवधान पैदा नहीं करें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : ×××

श्री पेमाराम (धोद) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) : ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : ×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल को तो कम से कम हो जाने दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल की ही बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल की बात कर रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, हां, जी, अध्यक्ष महोदय। लोक सभा में भी आज नियम 184 के अन्तर्गत बहस हो रही है, प्रश्न काल नहीं हुआ, इसलिये नहीं हुआ कि सारा देश जिस बात से चिन्तित है और जिस पर बहस चल रही है, और राज्यों से भी जुडा मामला है लोकायुक्त का। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, हम सब यह चाहते हैं कि राजस्थान की विधान सभा में भ्रष्टाचार के मामले में बहस हो। आपके पास बहुत से प्रस्ताव इस बात पर आये हुए हैं और मैं समझता हूं कि सरकार को भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि आज हम इस पर बहस करें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): साहब, पैसा-पैसा करते हैं, लोकपाल से डरते हैं।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सबकी भावनाओं को देखते हुए माननीय ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): सब नहीं हैं। हमें भी बोलने का मौका दीजिये, हम बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये तो सही, एक मिनट। अंकित नहीं हो रहा है। किसी का अंकित नहीं होगा। आप बैठिये, आप पूरी बात सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। विराजें, आसन पांवों पर, कोई अंकित नहीं होगा। आप विराज जायें, कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : ×××

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : ×××

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराज जायें, आसन पांवों पर, माननीय सदस्य। मैं कह रहा था ...(व्यवधान) आप विराज जायें। कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर) : ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) : ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराज जायें। माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर) : ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) : ×××

श्री अध्यक्ष: आप सबकी भावनाओं को देखते हुए सदन के माननीय नेता का यह मत है, सदन के माननीय नेता का यह विचार था कि सदन की ओर से हम सब लोग माननीय अन्नाजी से निवेदन करें, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए कि वे अपना अनशन तोड़ें। यदि आपकी इसमें सहमति हो तो निश्चित रूप से हम लोग इस बात की प्रार्थना करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ×××

श्री अध्यक्ष: अब आप कृपया प्रश्न काल को चलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, कृपया प्रश्न काल चलने दें। अंकित नहीं हो रहा है। कृपया प्रश्न काल चलने दें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया प्रश्न काल चलने दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

रोहट (पाली) पंचायत समिति में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत लम्बित प्रकरण

38. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(1) जिला पाली की पंचायत समिति रोहट में वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन का कौन-कौनसा आवेदन कितने-कितने समय से किस-किस कर्मचारी/अधिकारी के पास किन-किन कारणों से लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा पेंशन के आवेदनों के निस्तारण की कोई समय सीमा निश्चित की गई है? यदि हां, तो कितनी अवधि में व नहीं, तो क्या अब सरकार इनके निस्तारण की समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार प्रत्येक विकलांग एवं विधवा को पेंशन मिल जाये, इस हेतु नियमों में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन नियमों में व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार पेंशन के आवेदनों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किसके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही व नहीं, तो क्यों?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री) (श्री रामकिशोर (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) के स्थान पर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खण्ड एक ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ×××

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : ×××

श्री अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है, केवल आप जवाब दें। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : ×××

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब सदन प्रारम्भ हुआ था, उसी दिन माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने खड़े होकर अन्ना हजारे के आन्दोलन को लेकर अपनी बात कही थी और करप्शन को लेकर जो कुछ कहा, वह सदन ने सुना और पूरे प्रदेश ने भी सुना। मुझे अफसोस है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष, जिन्होंने मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का और आज हमारे उप नेता महोदय भ्रष्टाचार पर बहस की बात करते हैं, जब चाहो, जिस वक्त चाहो, सदन तैयार है बहस कराने के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ×××

श्री पेमाराम (धोद) : ×××

श्री नगराज (धरियावद) : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, जब सदन के नेता का मन इस बात का है, सदन के नेता स्वयं चाहते हैं कि निश्चित रूप से आज देश के सामने जो समस्या है, भ्रष्टाचार का राक्षस जिस ढंग से खड़ा हो गया, उस पर सारा देश जल रहा है और आप स्वयं चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो, मेरा आग्रह है कि प्रश्न काल को स्थगित किया जाये और आज इस बात की चर्चा प्रारम्भ की जाये।

श्री अध्यक्ष: कृपया प्रश्न काल को तो पूरा हो जाने दीजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, क्या ऐसा आसमान पड़ रहा है? कौन से प्रश्न से तीर मार लोगे आप? (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): माननीय सदस्य, अन्ना हजारे का सहारा लेकर क्यों चलना चाहते हो? 24 हजार करोड़ का हिसाब चाहिये। (व्यवधान) आप 24 हजार करोड़ का हिसाब दीजिये। 24 हजार करोड़ खा गये आप और आ गये सदन में। (व्यवधान) शर्म नहीं आती आपको ...(व्यवधान) राजस्थान को लूटकर खा गये। (व्यवधान) आप 24 हजार करोड़ का हिसाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप जब चाहते हो...(व्यवधान) इस भ्रष्टाचार के राक्षस पर चर्चा हो जाये, फिर इसके बाद क्या ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.07 बजे 12.07 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

(12.07 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

अनुपस्थिति अनुमति

हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा, श्री, सदस्य को 23 अगस्त, 2011 से सत्रान्त तक

श्री सभापति : मुझे सदन को सूचित करना है कि माननीय सदस्य श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 23 अगस्त, 2011 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

(श्री सभापति)

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, अभी सदन के अन्दर भ्रष्टाचार पर चर्चा चल रही थी। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, पहले तो वह जो सदन के नेता महोदय ने भ्रष्टाचार पर बहस कराने की चुनौती दी, उस पर आप तैयार हो क्या? (व्यवधान) आपका प्रस्ताव था ...(व्यवधान) बहस करो, बहस करो। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिराजें।

रविन्द्र सिंह बोहरा, श्री, सदस्य को 23 अगस्त, 2011 से सत्रान्त तक

श्री सभापति : मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री रविन्द्र सिंह बोहरा, सदस्य, विधान सभा ने यू. एस. ए. में शारीरिक अस्वस्थता के कारण स्वास्थ्य लाभ के लिए दिनांक 23 अगस्त, 2011 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): हां, अब बोलिए, राजेन्द्रजी, आप क्या भाषण दे रहे थे? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): भ्रष्टाचार के ऊपर बहस करने को तैयार हो तो बोलो। सदन के नेता ने बोल दिया।

श्री सभापति: श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अमरारामजी, सदन के नेता ने कह दिया कि हम खुले रूप में बहस करवाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप बैठिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): क्यों बैठ जाएं? (व्यवधान) हिम्मत है तो बहस करो। माननीय अमराराम जी ...(व्यवधान) सदन के नेता ने कह दिया, खुले रूप में बहस करना चाहते हैं। आप अपने विचार ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें तो सही। ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): क्या बैठ जाएं? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें तो सही। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): चर्चा चल रही है। ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हिम्मत है तो बहस करो न, तैयार हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप आधे घंटे के लिए स्थगित करो न। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ऊपर से नीचे तक ...(व्यवधान) भ्रष्टाचार व्याप्त है। बहस करो, बहस करो। आओ मैदान में, आओ मैदान में। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बहस करा लो, फैसला हो जायेगा। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): भ्रष्टाचार पर बहस कराओ। (व्यवधान) भ्रष्टाचार पर बहस करो न। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): भ्रष्टाचार पर कौन करेगा बहस? राठौड़ साहब करेंगे या दिगम्बर सिंहजी? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, राजस्थान का पूरा ... (व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री सभापति : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री अमराराम, सदस्य की ओर से राज्य में नायक जाति अनुसूचित जाति की सूची में होने के बावजूद भी कई जिलों में उक्त जाति का प्रमाण-पत्र जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

(2) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में भ्रष्टाचार के विरोध में फैले जन आन्दोलन तथा लोक सेवाओं की अदायगी एवं सुनवाई गारंटी विधेयक को विधान सभा में प्रस्तुत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

(श्री सभापति)

(3) श्री अजय सिंह एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना की पेयजल एवं बिजली की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): आप लोग अन्ना हजारे नहीं हो, अन्ना हजारे तो खुद गांधीवादी हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अन्ना हजारे के आन्दोलन पर राजनैतिक रोटियां सेंकना चाहते हो। (व्यवधान) यह इजाजत नहीं देते आपको अन्ना हजारे। (व्यवधान)... शर्म नहीं आती। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आधे घंटे के लिए स्थगित करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप ही के लिए बोल रहा हूं।

एक माननीय सदस्य: अन्ना हजारे की टोपी पहनकर आकर ... (व्यवधान) बाइस हजार करोड़ खाने के बाद ...(व्यवधान) अन्ना की टोपी पहनकर यहां सदन में आकर के ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय ने आपको कहा, अन्ना हजारे को पूरा हाउस अपील करे ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): भ्रष्टाचार पर चर्चा कराओ, सभापति महोदय। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अगर उनका अनशन टूट गया तो आपकी राजनैतिक रोटियां ...(व्यवधान)

श्री सभापति: (4) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर की कतिपय अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत राज्य सेवा में समायोजित करने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

(5) श्री कैलाश चन्द भंसाली एवं एक अन्य सदस्य की ओर से जोधपुर शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों से शहरवासियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

(6) श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से राज्य में लोकायुक्त को सशक्त करने व लोकायुक्त सचिवालय द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्टस पर शीघ्र कार्यवाही करने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): बाइस हजार करोड़ खाने के बाद...

(श्री मदन प्रजापत)

(व्यवधान) बाइस हजार करोड़ खाने के बाद अन्ना की टोपी पहनकर यहां सदन में आकर के ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): भ्रष्टाचार पर बहस कराओ। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): बाइस हजार करोड़ का हिसाब दीजिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बहस कराओ, बहस कराओ; भ्रष्टाचार पर बहस कराओ। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: अन्ना, तुम संघर्ष करो ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बहस कराओ, बहस कराओ भ्रष्टाचार पर। (व्यवधान) राधेश्यामजी, आप तो ईमानदारी के कीर्तिमान ...(व्यवधान) आप तो ईमानदारी की मूर्ति हो। (व्यवधान) कराओ बहस, तैयार हैं। (व्यवधान) आप चाहे जिंदगी भर ईमानदारी का ...(व्यवधान)

श्री सभापति: (7) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से राज्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

(8) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से जयपुर नगर निगम के महापौर की गलत नीतियों एवं कथित भ्रष्टाचार के कारण प्रशासनिक व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: भ्रष्टाचार पर चर्चा कराओ। (व्यवधान) हम तैयार हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वे तो जिंदगी भर ईमानदार रहे ...(व्यवधान)बहस कराओ, हम तैयार हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: तैयार हैं न।...(व्यवधान) सदन के नेता ने कह दिया चर्चा हो जाए। नहीं, करवा लो चर्चा। (व्यवधान) आपकी सरकार के कारनामे तय हैं ...(व्यवधान) आप भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ऐसा है, अपनी सम्पत्तियों की घोषणा करके और फिर आओ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: रघु जी शर्मा+++ (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नौ सौ चूहे खाये और अब हज को जाने के चक्कर में हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: (9) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से ब्यावर से पिंडवाड़ा फोर लेन सड़क के निर्माण हेतु जिला पाली के किसानों की अवाप्त की जा रही भूमि का वर्तमान डी.एल.सी. दरों पर मुआवजा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

(10) डा. जसवन्त सिंह एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से जिला अलवर के किसानों की कृषि भूमि कम मुआवजे में बिना सहमति के उद्योगों के लिए अवाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप तो भ्रष्टाचार पर चर्चा करा ही लो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मेरी सम्पत्ति की घोषणा ...(व्यवधान) आ जाओ मैदान में। चोरी करते हो ...(व्यवधान) अन्ना हजारे के आन्दोलन में राजनैतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। (व्यवधान) भ्रष्ट लोग...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): बहस करवा लो, बहस में फैसला हो जायेगा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अपनी-अपनी सम्पत्तियों की घोषणा करो। (व्यवधान) यह सोच लेना, अपनी-अपनी सम्पत्तियों का ब्योरा देकर आओ यहां और उसके बाद बहस करो। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, भ्रष्टाचार पर बहस ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हां, बिलकुल। (व्यवधान)

श्री सभापति: (11) श्री शिवजीराम मीणा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की क्षेत्रीय पेयजल योजनाओं का संधारण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

(12) श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से राज्य में अवैध बिजली कटौती करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कम विद्युत सप्लाई कर एवरेज राशि के भारी बिल भेजने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

(श्री सभापति)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री ज्ञानचन्द पारख, डा. जसवन्त सिंह यादव, श्री शिवजीराम मीणा एवं श्री पेमाराम को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा स्थगन प्रस्ताव है, सभापति महोदय। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ऊपर से नीचे तक बुरा हाल है। बुरा, बहुत बुरा हाल है। (व्यवधान) बहस कराओ, बहस। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): भ्रष्टाचार पर बहस करनी है ... (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अब तो भ्रष्टाचार पर बहस होगी, तभी फैसला होगा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सम्पत्ति की घोषणा करवा कर, वरना नहीं बोलने देंगे। सम्पत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: राजस्थान में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है ... (व्यवधान)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री सभापति : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(1) श्री कानसिंह कोटड़ी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के तीर्थराज हल्देश्वर एवं सिवाना के ऐतिहासिक दुर्ग को पर्यटन स्थल घोषित कर इनका विकास करने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

(2) श्री बंशीधर खण्डेला, सदस्य की ओर से जिला सीकर में अवैध एवं अनियमित रूप से जारी किये गये खनन पट्टों को निरस्त करने एवं इनकी उच्च स्तरीय जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

(3) श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम मांझी, गुणसली (किरोदा), बटेसरों की ढाणी (डावोली मीठी) व नून्द में वर्षा से भरे पानी को निकालने एवं पानी भरने से लोगों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...(व्यवधान) फैक्टरियां लगायीं आप लोगों ने ...(व्यवधान) यह भी बताना पड़ेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: चर्चा का नाम लेकर के सदन के नेता भी गायब हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): चोरी की सारी जिंदगी ...(व्यवधान) पांच साल पूरे राजस्थान को लूटा, अब यहां ...(व्यवधान) भ्रष्टाचार पर बहस करो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: भ्रष्टाचार पर बहस करो। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): भ्रष्टाचार पर बहस कराओ, सभापति महोदय। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हां, भ्रष्टाचार पर बहस होनी चाहिए। (व्यवधान)...

श्री सभापति: (4) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर के गंगलाव तालाब का जीर्णोद्धार और सौन्दर्यीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

(5) श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से जिला मुख्यालय बून्दी की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व नवीन सड़कों हेतु विशेष पैकेज जारी करने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

(6) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर में संविदा पर विधिवत नियुक्त किये गये कार्मिकों को हटाये जाने की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सदन के नेता ने हां भरी है, सदन के नेता कहां हैं? (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, पब्लिसिटी के लिए है ...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान) जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया, उतना भ्रष्टाचार आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): पांच साल तक राजस्थान को लूट कर खाया और वे भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, इन्होंने जो पांच सालों में घोटाला किया है ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप लोगों की जो प्रापर्टी है, उस प्रापर्टी का हिसाब दो राजस्थान की जनता को। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): पूरा मंत्रीमण्डल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हां, पिछले पांच साल का जो मंत्रीमण्डल था, पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: (7) श्री छोटूसिंह भाटी, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर की इंदिरा गांधी नहर व वन पट्टी में 1088 काश्तकारों की अवाप्त की गई भूमि में से 623 काश्तकारों को आज तक मुआवजा अथवा भूमि नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

(8) श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर देने के उपरान्त भी आवश्यक संसाधन यथा जवानों की संख्या एवं नफरी नहीं बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

(9) श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से जोधपुर-बाड़मेर की जोजरी नदी में बरसाती पानी के साथ टैक्सटाइल इकाइयों का रसायनयुक्त पानी आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): पांच साल में राजस्थान को लूट कर खाने वालों की सी.बी.आई. से जांच करवायी जाय। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): राजस्थान की जनता को याद आ जायेगा, कितना जोरदार भ्रष्टाचार किया, सारी पोलें खुल जायेंगी। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ललित मोदी को लाओ, ललित मोदी को। …(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: राजस्थान में क्या किया, उसका जवाब दो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आ जाओ, बहस करो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: (10) श्री केसाराम प्रजापत, सदस्य की ओर से राज्य में वन विभाग द्वारा विलायती बबूल से निर्मित कोयले के परिवहन पर लगी रोक को हटाये जाने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

(श्री सभापति)

(11) श्रीमती निर्मला सहरिया, सदस्या की ओर से जिला कोटा की तहसील रामगंजमंडी की ग्राम पंचायत सालेड़ा खुर्द के ग्राम जगपुरा में माल की वन भूमि पर कथित अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

(12) श्री करण सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में अत्यधिक वर्षा से बाढ़ के हालात पैदा होने तथा समस्या का समाधान करने हेतु विशेष आपदा प्रबन्धन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

माननीय सदस्यों द्वारा नियम 295 के तहत दी गयी सूचना को पढ़ा हुआ माना जाए। (व्यवधान)

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

एक माननीय सदस्य: राजस्थान में क्या किया, उसका जवाब दो। (व्यवधान)

श्री सभापति: हाउस को आर्डर में तो लाने दो आप। (व्यवधान) हाउस को चलाने में सहयोग करें। (व्यवधान) विराजिये आप, आप विराजें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आ जाओ, बहस करो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सदन के नेता कह कर गये हैं ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप भी विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्यों भागना चाहती है सरकार? क्यों भागना चाहती है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सदन के नेता ने प्रस्ताव दिया है, करवा लो। (व्यवधान)

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.15 बजे 12.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(12.45 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता की तरफ से आज यह प्रस्ताव आया था कि देश और प्रदेश में ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सदन के नेता ने तो दे दिया प्रस्ताव ...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): करा लो …(व्यवधान) हिम्मत हो तो ...(व्यवधान) राजस्थान की जनता को पता चलना चाहिए। (व्यवधान) भ्रष्टाचार पर बहस होनी चाहिए, हम सब चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) श्री पेमाराम अपने प्रस्ताव पर… (व्यवधान) किसी का भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर):×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़):×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):×××

श्री नगराज (धरियावद):×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):×××

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू):×××

श्री अध्यक्ष: श्री अब्दुल सगीर खां।...(व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): कैसे आवाज निकलेगी, साहब)... व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: केवल आपका ही अंकित होगा। बोलिए आप तो।... (व्यवधान).

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ×××

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : ×××

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू) : ×××

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा। पर्ची है आपकी।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : ×××

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) : ×××

श्री नगराज (धरियावद) : ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : ×××

श्री अध्यक्ष: : श्री रमेश मीना। (व्यवधान) श्री रमेश मीना। (व्यवधान) सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री पेमाराम (धोद) : ×××

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

लोकायुक्त का प्रतिवेदन (सं. 23, 24 व 25)

1. राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम संख्या 9) की धारा-12(4) के अन्तर्गत लोकायुक्त राजस्थान का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन 1.4.2002 से 31.3.2008, 24वां वार्षिक प्रतिवेदन 1.4.2008 से 31.3.2009 एवं 25वां वार्षिक प्रतिवेदन 1.4.2009 से 31.3.2010 ;

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (संख्या-3) (राजस्व प्राप्तियां)

2. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या-3 (राजस्व प्राप्तियां);

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का (प्रतिवेदन वर्ष 2010-11) प्रतिवेदन (संख्या-5)

3. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिये खान प्राप्तियां (राजस्व प्राप्तियां) 2010-11 का प्रतिवेदन संख्या-5;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन(वर्ष 2007-08)

सिविल–स्थानीय निकाय)

4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल–स्थानीय निकाय),

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वर्ष 2009-10)

(संख्या-2) (सिविल)

5. भारत के नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिये प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या-2) (सिविल),

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट (2010-11 और 2011-12)

तथा की गयी कार्यवाही का ज्ञापन

6. भारत के संविधान के अनुच्छेद-243 आई (4) एवं 243 वाई (2) के अन्तर्गत चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट (2010-11 और 2011-12 के लिये) एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत की गयी अन्तरिम रिपोर्ट पर की गयी कार्यवाही का ज्ञापन;

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 60वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष (2009-10)

7. भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 60वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 एवं

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

(वर्ष 2009-10)

8. मानव अधिकार, 1993 की धारा-28 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 ।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री पेमाराम (धोद):×××

श्री अध्यक्ष: डा. जितेन्द्र सिंह।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं :-

(डा. जितेन्द्र सिंह)

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2009-2010)

1- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 ;

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 9वां तथा 10वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2008-09 एवं 2009-10

2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-(ए) के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2008-09 तथा दसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2009-10; एवं

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा एवं लेखे वर्ष 2008-09

3- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-(ए) के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा विवरण वर्ष 2008-09.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : ×××

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपनी सीटों से नारे)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी):×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):×××

श्री अध्यक्ष: श्री भरत सिंह।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2009-10

श्री भरत सिंह (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

(श्री भरत सिंह)

अधिनियम, 2005 की धारा-12(3)(एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 सदन की मेज पर रखता हूं।

सदन कूप में/नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष : श्री रामलाल जाट।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):×××

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के लेखे (वर्ष 2001-2002)

श्री रामलाल जाट (वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-40(7) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के वार्षिक लेखे 2001-02 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री रघु शर्मा।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन (सं0 68 से 117)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2011-12 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

1. जन लेखा समिति, 2009-10 के 35वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति से संबंधित जन लेखा समिति 2011-12 का 68वां प्रतिवेदन।
2. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट जल संसाधन विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 का पैरा संख्या 4.1.1 तथा 4.3.2 से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2011-12 का 69वां प्रतिवेदन।
3. विनियोग लेखे वर्ष 2007-08 में बताये गये दत्तमत्त अनुदानों एवं प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेकों के मामलों से संबंधित जन लेखा समिति 2011-12 का 70वां प्रतिवेदन।

(डा. रघु शर्मा)

4. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट जल संसाधन विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 के अनुच्छेद संख्या 4.2.3, 4.3.12, 4.3,13, 4.3.14, 4.4.2 वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.4.11 तथा वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 2.4 व 3.2.7 से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 71वां प्रतिवेदन।

5. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 का अनुच्छेद संख्या 3.7 से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 72वां प्रतिवेदन।

6. जन लेखा समिति 2001-02 के 109वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 73वां प्रतिवेदन।

7. जन लेखा समिति 2006-07 के 184वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 74वां प्रतिवेदन।

8. जन लेखा समिति 2006-07 के 192वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 75वां प्रतिवेदन।

9. जन लेखा समिति 2007-08 के 244वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 76वां प्रतिवेदन।

10. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 का अनुच्छेद संख्या 3.6 से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 77वां प्रतिवेदन।

11. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट जल संसाधन विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.1.4,

(डा. रघु शर्मा)

4.2.5 एवं 4.2.6 से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 78वां प्रतिवेदन।

12. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 का अनुच्छेद संख्या 3.5 से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 79वां प्रतिवेदन।

13. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट जल संसाधन, कृषि एवं भू-जल विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 का अनुच्छेद संख्या 3.3 से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 80वां प्रतिवेदन।

14. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005 -06 का अनुच्छेद संख्या 4.1.3, वर्ष 2006-07 के अनुच्छेद संख्या 3.5, 4.5.7 वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.4.3, 4.4.11 तथा वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.3.2 एवं 3.4.6 वित्त विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 81वां प्रतिवेदन।

15. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2002-03 में समाविष्ट इंदिरा गांधी नहर विभाग का अनुच्छेद संख्या 3.1 से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 82वां प्रतिवेदन।

16. जन लेखा समिति 2007-08 के 250वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 83वां प्रतिवेदन।

17. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) वर्ष 2004-05 में समाविष्ट यातायात विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 84वां प्रतिवेदन।

18. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.2.1 वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.1.1 नागरिक उड्डयन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 85वां प्रतिवेदन ।

19. रावी व्यास एवं सतलज नदियों के पानी में हिस्सेदारी एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के तत्स्थानीय अध्ययन यात्रा कार्यक्रम के दौरान समिति के ध्यान में आए विभिन्न बिन्दुओं पर राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के अन्तर्गत जन लेखा समिति 2011-12 का 86वां विशेष प्रतिवेदन।

(डा. रघु शर्मा)

20. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) वर्ष 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 में समाविष्ट वन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 87वां प्रतिवेदन ।

21. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.2.2, 4.4.4. तथा वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.2.2 एवं 3.4.1 वन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 88वां प्रतिवेदन ।

22. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2005-06 का अनुच्छेद संख्या 4.3.2 व 4.4.4 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 89वां प्रतिवेदन।

23. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2006-07 का अनुच्छेद संख्या 2.7, 4.3.3, वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.3.1 एवं 4.4.11 तथा वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.4.3 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 90वां प्रतिवेदन।

24. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2006-07 में समाविष्ट आयुर्वेद विभाग का अनुच्छेद संख्या 4.5.1, चिकित्सा शिक्षा विभाग का अनुच्छेद संख्या 4.2.1, 4.5.11, वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.4.11 तथा वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.1.5 से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 91वां प्रतिवेदन।

25. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2003-04 का अनुच्छेद संख्या 3.1 जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 92वां प्रतिवेदन।

26. जन लेखा समिति 2007-08 के 236वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति 2011-12 का 93वां प्रतिवेदन।

27. जन लेखा समिति 2006-07 के 162वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति 2011-12 का 94वां प्रतिवेदन।

(डा. रघु शर्मा)

28. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.4.2, वर्ष 09-2008 का अनुच्छेद संख्या 3.3.1 एवं 3.4.6 आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 95वां प्रतिवेदन ।

29. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2006-07 का अनुच्छेद संख्या 4.3.4, वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.4.9 कार्मिक विभाग, वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.2.3 सामान्य प्रशासन विभाग तथा वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.4.4 सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 96वां प्रतिवेदन।

30. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2005-06 का अनुच्छेद संख्या 4.1.8, 4.2.6 तथा वर्ष 2006-07 का अनुच्छेद संख्या 4.3.8 व 4.3.10 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 97वां प्रतिवेदन।

31. जन लेखा समिति 2010-11 के 48वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति 2011-12 का 98वां प्रतिवेदन।

32. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.1.8, 3.1.9, 3.10, 3.4.6 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 99वां प्रतिवेदन ।

33. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) वर्ष 2005-06 के 119वें प्रतिवेदन में समाविष्ट यातायात विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति 2011-12 का 100वां प्रतिवेदन।

34. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) वर्ष 1997-98 के 119वें प्रतिवेदन में समाविष्ट यातायात विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति 2011-12 का 101वां प्रतिवेदन।

35. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) वर्ष 2002-03 एवं 2006-07 के लिए गृह-पुलिस विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 102वां प्रतिवेदन।

(डा. रघु शर्मा)

36. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.3.2, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से संबंधित वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.4.12, भू-जल विभाग से संबंधित वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 2.4 तथा इन्दिरा गांधी नहर विभाग से संबंधित वर्ष 2008-09 के अनुच्छेद संख्या 3.1.3 से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 103वां प्रतिवेदन।

37. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2006-07 का अनुच्छेद संख्या 4.5.3 व 4.5.4 आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 104वां प्रतिवेदन।

38. जन लेखा समिति 2010-11 के 45वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति 2011-12 का 105वां प्रतिवेदन।

39. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) वर्ष 2004-05 एवं 2006-07 में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 106वां प्रतिवेदन।

40. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) पर जन लेखा समिति वर्ष 2003-04 (11वीं विधान सभा) के 217वें प्रतिवेदन में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग एवं जन लेखा समिति वर्ष 2006-07 (12वीं विधान सभा) के 167वें प्रतिवेदन में समाविष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सिफारिशों पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति 2011-12 का 107वां प्रतिवेदन।

41. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) पर जन लेखा समिति वर्ष 2007-08 (12वीं विधान सभा) के 217वें प्रतिवेदन में समाविष्ट स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित सिफारिशों पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति 2011-12 का 108वां प्रतिवेदन।

42. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) जन लेखा समिति वर्ष 2008-09 (12वीं विधान सभा) के 269वें प्रतिवेदन में समाविष्ट पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से संबंधित सिफारिशों पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति 2011-12 का 109वां प्रतिवेदन।

43. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) जन लेखा समिति वर्ष 2004-05 (11वीं विधान

(डा. रघु शर्मा)

सभा) के 88वें प्रतिवेदन एवं जन लेखा समिति वर्ष 2007-08 के 260वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित सिफारिशों पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति 2011-12 का 110वां प्रतिवेदन।

44. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) पर जन लेखा समिति वर्ष 2006-07 (12वीं विधान सभा) के 189वें प्रतिवेदन में समाविष्ट भूमि एवं भवन कर विभाग (विभाग समाप्त), स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति 2011-12 का 111वां प्रतिवेदन।

45. दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार ''पंक्चर बनाने वाले को 40 लाख का टेण्डर'' शीर्षकान्तर्गत मुद्रित समाचार की कतरन, नरेगा में सरपंच द्वारा किये गये अनियमित कार्यों की जांच से संबंधित अभ्यावेदन तथा दास्तान-ए-रिछड़ा से संबंधित पत्र जो भीलवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत रीछड़ा में नरेगा के तहत वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 229(4) के तहत जांच हेतु जन लेखा समिति को निर्दिष्ट किये जाने पर समिति का यह विशेष प्रतिवेदन प्रक्रिया नियम 201 के अन्तर्गत जन लेखा समिति 2011-12 का 112वां प्रतिवेदन।

46. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट श्रम विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2003-04 का अनुच्छेद संख्या 3.4 से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 113वां प्रतिवेदन।

47. जन लेखा समिति वर्ष 2008-09 के 262वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति 2011-12 का 114वां प्रतिवेदन ।

48. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) पर जन लेखा समिति वर्ष 2005-06 के 138वें एवं 139वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2011-12 का 115वां प्रतिवेदन।

(डा. रघु शर्मा)

49. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) वर्ष 2003-04 में समाविष्ट खान एवं पेट्रोलियम विभाग से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-12 का 116वां प्रतिवेदन।

50. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट गृह विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 का पैरा संख्या 3.2 से संबंधित मामलों पर जन लेखा समिति 2011-2012 (तेरहवीं विधान सभा) का 117वां प्रतिवेदन।

राजकीय उपक्रम समिति वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन (सं. 62 से 82)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती जकिया।

श्रीमती जकिया (टोंक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं :-

1- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 का 62वां प्रतिवेदन ;

2- राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-06) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 का 63वां प्रतिवेदन ;

3- राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-05) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2011-2012 का 64वां प्रतिवेदन;

4- राजस्थान राज्य ब्रेवरीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-07) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 का 65वां प्रतिवेदन;

5- राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-05) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 का 66वां प्रतिवेदन;

6- राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-06) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 का 67वां प्रतिवेदन;

(श्रीमती जकिया)

7- राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-05) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 का 68वां प्रतिवेदन;

8- राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-06) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 का 69वां प्रतिवेदन;

9- राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2007-08) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 का 70वां प्रतिवेदन;

10- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1997-98) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 का 71वां प्रतिवेदन;

11- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-04) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 का 72वां प्रतिवेदन;

12- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2007-08) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 का 73वां प्रतिवेदन;

13- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1998-99) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2011-2012 का 74वां प्रतिवेदन;

14- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-05) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2011-2012 का 75वां प्रतिवेदन;

15- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-06) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 का 76वां प्रतिवेदन;

16- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-2007) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 का 77वां प्रतिवेदन;

17- राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1993-94) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 का 78वां प्रतिवेदन;

(श्रीमती जकिया)

18- राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1996-97) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 का 79वां प्रतिवेदन;

19- पांचों विद्युत कम्पनियां (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2002-2003) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-12 का 80वां प्रतिवेदन;

20- पांचों विद्युत कम्पनियां (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2012-2011 का 81वां प्रतिवेदन; एवं

21- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1999-2000) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2009-10 के 7वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति 2011-12 का 82वां प्रतिवेदन।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री जाकिर हुसैन।

प्राक्कलन समिति 'क' (वर्ष 2011-12) के प्रतिवेदन (सं. 4 से 6)

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति 'क' 2011-2012 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1- प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'क' 2011-12 का चतुर्थ प्रतिवेदन;

2- माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'क' 2011-12 का पंचम प्रतिवेदन; एवं

3- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'क' 2011-12 का षष्ठम प्रतिवेदन।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : ×××

श्री अध्यक्ष: श्री अलाउद्दीन आजाद।

प्राक्कलन समिति 'ख' (वर्ष 2011-12) के प्रतिवेदन) सं. (17 से 19)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति 'ख,' 2011-12 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

1- गृह (राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख' 2009-10 के 8वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन 'ख' 2011-2012 का परिपालनात्मक 17वां प्रतिवेदन ;

2- राजस्व विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख' 2011-12 का 18वां प्रतिवेदन; एवं

3- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख' 2009-2010 के पांचवे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति 'ख' 2011-12 का 19वां प्रतिवेदन।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) :×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :×××

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :×××

श्री अध्यक्ष: और किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :×××

कार्य सलाहकार समिति (वर्ष 2011-12) का प्रतिवेदन (संख्या 17)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त, 2011 को मध्याह्न पश्चात् 11.45 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 26 अगस्त, 2011 से 29 अगस्त, 2011 तक सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय:-

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त, 2011	1. जे. के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011; 2. आई सी एफ ए आई विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011; 3. प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011; 4. सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) विधेयक, 2011; 5. मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011; एवं 6. महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011; - पर विचार एवं पारण
शनिवार, दिनांक 27 अगस्त, 2011	1. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011; एवं 2. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011; -पर विचार एवं पारण
रविवार, दिनांक 28 अगस्त, 2011	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 29 अगस्त, 2011	1. राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011; 2. राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011; एवं

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

3. नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 23) के सम्बन्ध में शासकीय संकल्प -पर विचार एवं पारण।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, नियम 215 के तहत मेरा संशोधन है। (व्यवधान) नियम 215 के अन्तर्गत मैं संशोधन रखना चाहता हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, नियम 215 के अन्तर्गत कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर मेरा संशोधन है, इस रिपोर्ट को कार्य सलाहकार समिति को वापस भेजा जाय। अध्यक्षजी, प्रश्न रखने से पहले नियम 215 में मुझे अधिकार है कि मैं कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर संशोधन दूं। मैंने आपको 215 में संशोधन दिया है, इस कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को वापस कार्य सलाहकार समिति को भेजा जाय। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) :×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, माननीय सदस्य। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : ×××

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरा संशोधन है, आपके पास आ गया है। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन आपके पास आ गया है और संशोधन के हिसाब से इसमें सदन में...(व्यवधान) मेरे संशोधन पर...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं। कृपया विराजें, आसन पांवों पर है।

(13.00 बजे)

भारतीय जनता पार्टी के उप नेता, सांगानेर से आने वाले सदस्य, माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने कार्य सलाहकार समिति की बैठक के प्रतिवेदन पर संशोधन प्रस्तुत किया है। मेरा निवेदन यह है कि पूर्व परम्पराओं के अनुसार इस प्रकार के संशोधन नहीं रखे जाने चाहिए। (व्यवधान) एक सेकंड, पहले मैं मेरी बात कह दूं ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, माननीय सदस्य । (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : ×××

श्री अध्यक्ष: पहले मेरी सुन लें आप ...(व्यवधान) इसलिए मेरा माननीय तिवाड़ीजी से आग्रह है कि इस तरह की परम्परा नहीं रही है, कृपया इसको आप वापस ले लें तो उपयुक्त रहेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, मुझे पता है कि यह परम्परा नहीं रही है, मैं आपको दो उदाहरण देता हूं, एक 1980 में जब आप भी विधायक थे और मैं भी विधायक था, माननीय पूनम चन्दजी अध्यक्ष थे और कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में उस समय संशोधन पर बहस हुई थी। उसके बाद नहीं हुई, यह मैं मानता हूं। लेकिन इसका कारण यह रहता है कि दोनों पक्ष मिलकर कार्य सलाहकार समिति की बैठक में कार्यक्रम तय कर लेते हैं और सदन में हम पारित करते हैं। मैं इस परम्परा का पक्षधर हूं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से पिछले कई दफे से लगातार यह हो रहा है कि सारे के सारे बिल एक साथ आ रहे हैं, हम उन पर चर्चा करना चाहते हैं, आज तक विधान सभा में प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन के बारे में माननीय सदस्यों को जानकारी तक नहीं है। इसलिए इन विषयों पर चर्चा सदन में हो, इसलिए मैंने यह संशोधन दिया है कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को निरस्त नहीं किया जाए, कार्य सलाहकार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

समिति के प्रतिवेदन को एक बार पुन: विचार के लिये कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में भेजा जाये और जिसमें चार दिन तय किये जायें। आज आपकी कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग दुबारा हो रही है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको मान लें ताकि अपनी परम्परा भी रह जाएगी और काम भी होगा। तीन बजे जब आपकी कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग हो तो उस एजेंडे पर हम तय कर लें ताकि निश्चित रूप से सदन का समय बढ़ सके। मैंने केवल सात दिन की मांग की है कि सात दिन की सिटिंग में हम इस काम को पूरा कर लेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सदन की परम्परा भी रहे और हमारी परम्परा भी रहे, आज कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में इस पर दुबारा विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष: हर चीज कार्य सलाहकार समिति में ही पूछा जाना उपयुक्त रहता होगा?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जी ?

श्री अध्यक्ष: हर चीज कार्य सलाहकार समिति की बैठक में पूछा जाना उपयुक्त रहता होगा?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रहता है, लेकिन वहां की बात यहां पर नहीं कह सकते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बहस का मुद्दा जो अभी था, वह भी कार्य सलाहकार समिति की बैठक ...(व्यवधान) चलिये, आप क्या कह रहे थे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर? ….(व्यवधान) उनकी बात सुनें, वे कुछ कह रहे हैं। (व्यवधान) माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी ने जो कुछ कहा है, उसी के संबंध में कुछ कह रहे हैं?...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जी, जी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये क्या कह रहे हैं, ...(व्यवधान) हां, बोलिये। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के उप नेता ने जो आज प्रकरण उठाया है, ठीक इसी तरीके का प्रकरण ये 7 मार्च, 1985 को भी उठा चुके हैं ...(व्यवधान) और तब भी स्पीकर साहब ने यह कहा था ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): और उन्होंने उनसे नम्र निवेदन किया था कि सलाहकार समिति के जो भी निर्णय हों, उनके लिए अमेंडमेंट और

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

किसी भी प्रकार की दूसरी परम्परा नहीं रही है, ये नहीं लाये जा सकते। उस वक्त आपने विथड्रा भी किया था। यह आप ही थे, तिवाड़ी साहब, उस वक्त भी। (व्यवधान) दामोदर लाल व्यास ने जब प्रतिवेदन रखा, जब निरंजन नाथ जी आचार्य स्पीकर हुआ करते थे, 10 सितम्बर, 1968 को ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह तो उन्होंने मान लिया कि विथड्रा किये हैं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां।

श्री अध्यक्ष: यह उन्होंने स्वीकार कर लिया कि विथड्रा किये हैं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, तो विथड्रा किये हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विथड्रा किये हैं, यह स्वीकार कर लिया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, तो इस तरह की कोई परम्परा ही नहीं रही है; ना पार्लियामेंट में रही, ना यहां रही।

श्री अध्यक्ष: यह आसन से व्यवस्था हो चुकी है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप ही के द्वारा उठाये गये सवाल पर स्पीकर साहब ने यह व्यवस्था दी है।

श्री अध्यक्ष: आसन से व्यवस्था हो चुकी है।

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

वित्तीय कार्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : ×××

वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2011-12) का उपस्थापन

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2011-12 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करता हूं।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

अतिरेक मांगों (वर्ष 2006-07) का उपस्थापन

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2006-07 के लिये अतिरेक मांगों का उपस्थापन करता हूं। ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : ×××

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011 ।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : ×××

श्री अध्यक्ष: राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 । प्रभारी मंत्री।

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-02) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-02) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 । श्री घनश्याम तिवाड़ी ...(व्यवधान) श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या करूं?...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप चाहे जो व्यवस्था दें, संवैधानिक व्यवस्थाओं का अगर इस प्रकार उल्लंघन होगा तो उचित नहीं है। परिनियत संकल्प मेरे दिये हुए हैं और परिनियत संकल्प संविधान के अन्तर्गत आते हैं, उन पर भी आप बहस नहीं करेंगे, जैसे 215नियम के अन्तर्गत मैंने दिया था, मैंने अपना प्रस्ताव वापस नहीं लिया है। आप अगर ऐसा करें तो उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके बोलने के लिए, इसीलिए निवेदन करते हुए नाम लिया था आपका। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बोलने की बात बाद में आयेगी, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस पर आप चर्चा करें और आपके दल के जो माननीय सदस्य हैं इनको बैठने का निवेदन कर दें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये कैसे बैठेंगे? ...(व्यवधान) मूल रूप से जो ये चर्चा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में सुबह जो आपने बहस कराने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की बात कही थी और सदन के नेता ने कहा था, यह भ्रष्टाचार के मामले में पहले आप निर्णय तो करें कि बहस क्यों नहीं करा रहे हैं। (व्यवधान) मुद्दा तो वह अड़ा हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जो चर्चा की बात आयी थी सुबह, माननीय विपक्ष की नेता ने भी और माननीय भाजपा के उप-नेता ने भी यह बात कही, उसके संबंध में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी यह कहा कि सदन इस बात के लिए तैयार है कि बहस...(व्यवधान) मेरी बात तो कह दूं। (व्यवधान) मेरी बात नहीं कहूं?.. (व्यवधान) अपनी बात नहीं कहूं?..(व्यवधान) इसलिए उसका समय तय करने का प्रश्न है, बहस कब हो, कितनी देर हो। (व्यवधान) सदन जब चाहे तब ...(व्यवधान) सदन जब चाहे तब ...(व्यवधान) अभी तीन बजे बी ए सी की मीटिंग है, उस मीटिंग में आप लोग तय कर लें कि कब करना है और कितने दिन करना है और कितने घंटे चलानी है, उसी अनुरूप कर दिया जाएगा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी):×××

श्री अध्यक्ष: डा. जितेन्द्र सिंह।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी):×××

श्री अध्यक्ष: डा. जितेन्द्र सिंह विचारार्थ रखेंगे।

विधेयक पर विचार

जे. के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):×××

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

डा. दिगम्बर सिंह।

श्री रामहेत सिंह।

श्री रोहिताश्व कुमार।

(श्री अध्यक्ष)

श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री ओम बिरला।

श्री कालीचरण सराफ।

श्री हरिसिंह रावत।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री पेमाराम।

श्री अमराराम।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : ×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : ×××

श्री अध्यक्ष: खण्डश: विचार ।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष: खण्ड- 2 से 48 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड- 2 से 48 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये गये।

एक माननीय सदस्य:×××

श्री अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य का कोई अंकित नहीं होगा।

अनुसूची 1 व 2 । कोई संशोधन नहीं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : ×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जायें?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गईं।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : ×××

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : ×××

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : ×××

विधेयक का पारण

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पारित किया जाय। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : ×××

श्री अध्यक्ष: जो सदस्य बोलना चाहें, उन्हें अनुमति दी जायेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : ×××

श्री अध्यक्ष: यदि कोई सदस्य बोलेंगे तो प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : ×××

श्री अध्यक्ष: अगर कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो उनको अनुमति दी जायेगी।

प्रश्न यह है कि जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पारित किया गया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : ×××

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : ×××

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

डा. जितेन्द्र सिंह। डा. जितेन्द्र सिंह।

विधेयक पर विचार

आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : ×××

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

डा. दिगम्बर सिंह।

श्री रामहेत सिंह।

श्री रोहिताश कुमार।

श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री ओम बिरला।

श्री कालीचरण सराफ।

श्री हरिसिंह रावत।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री पेमाराम।

श्री अमराराम।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : ×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : ×××

श्री अध्यक्ष: खण्डश: विचार ।

खण्ड- 2 से 48 । कोई संशोधन नहीं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : ×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड- 2 से 48 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये गये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: अनुसूची 1 व 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जायें?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : ×××

श्री अध्यक्ष: खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. जितेन्द्र सिंह पारित के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : ×××

विधेयक का पारण

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : ×××

श्री अध्यक्ष: जो सदस्य बोलना चाहें, उन्हें अनुमति दी जायेगी। यदि कोई सदस्य बोलना चाहें, उन्हें अनुमति दी जायेगी।

प्रश्न यह है कि आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पारित किया जाय? (व्यवधान)

(स्वीकृत)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : ×××

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.15 बजे 14.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(14.15 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ......(व्यवधान) वे सिर्फ मीडिया के मार्फत दुनिया को दिखाना चाहते हैं और ये भाग गये भारतीय जनता पार्टी वाले।

एक माननीय सदस्य: भाग गये, डर गये कांग्रेस से।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, पांच साल तक इस प्रदेश को लूटकर खाया और भ्रष्टाचार के ठेकेदार...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा, प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 पर परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

डा. जितेन्द्र सिंह।

विधेयक पर विचार

प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

डा. दिगम्बर सिंहजी।

(श्री सभापति)

श्री राजकुमारजी रिणवां।

श्री रामहेतसिंहजी।

श्री रोहिताश कुमार।

श्री राधेश्यामजी गंगानगर।

श्री ओम बिरला।

श्री कालीचरण सराफ।

श्री हरिसिंह रावत।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री पेमाराम।

श्री अमराराम।

प्रश्न यह है कि प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 48। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 व 2। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

डा. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पारित किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा, सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) अध्यादेश, 2011 पर परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

डा. जितेन्द्र सिंह।

विधेयक पर विचार

सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) विधेयक, 2011

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति : श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

डा. दिगम्बर सिंह।

श्री राजकुमार रिणवां।

श्री रामहेत सिंह।

श्री रोहिताश कुमार।

श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री ओम बिरला।

श्री कालीचरण सराफ।

(श्री सभापति)

श्री हरिसिंह रावत।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री पेमाराम।

श्री अमराराम।

प्रश्न यह है कि सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2 से 48 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 48 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 व 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गई।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) विधेयक, 2011 को पारित किया गया।

मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 । श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा मणिपाल अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 पर परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

डा. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

डा. दिगम्बर सिंह।

श्री राजकुमार रिणवां।

श्री रामहेत सिंह।

श्री रोहिताश कुमार।

श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री ओम बिरला।

श्री कालीचरण सराफ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री पेमाराम।

श्री अमराराम।

प्रश्न यह है कि मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से 48 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये जाएं? '

(स्वीकृत)

खण्ड- 2 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 व 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गई।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011

डा. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि महात्मा गांधी

(श्री सभापति)

आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

डा. दिगम्बर सिंह।

श्री राजकुमार रिणवां।

श्री रामहेत सिंह।

श्री रोहिताश कुमार।

श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री ओम बिरला।

श्री कालीचरण सराफ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री पेमाराम।

श्री अमराराम।

प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड- 2 से 48। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 व 2। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गईं।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 को पारित किया गया।

सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 27 अगस्त, 2011 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.25 बजे शनिवार, दिनांक 27 अगस्त, 2011 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

रोहट पंचायत समिति (पाली) में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत लम्बित प्रकरण

38. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली की पंचायत समिति रोहट में वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन का कौन-कौनसा आवेदन कितने-कितने समय से किस-किस कर्मचारी/अधिकारी के पास किन-किन कारणों से लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा पेंशन के आवेदनों के निस्तारण की कोई समय सीमा निश्चित की गई है? यदि हां, तो कितनी अवधि में व नहीं, तो क्या अब सरकार इनके निस्तारण की समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है?

(3) उक्त पंचायत समिति ने गत दो वर्षों में किस-किस विकलांग एवं विधवा पेंशन के आवेदनों को किन-किन कारणों से अस्वीकृत किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रत्येक विकलांग एवं विधवा को पेंशन मिल जाये इस हेतु नियमों में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन नियमों में व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार पेंशन के आवेदनों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रोहट में वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन का वर्तमान में कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

(2) राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अन्धे व्यक्तियों के पेंशन नियम 1965 तथा राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम 1974 में पेंशन के आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित नहीं है। राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 में पेंशन हेतु आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सत्यापन एवं जांच कार्य यथासम्भव एक माह की अवधि में पूरा करने का प्रावधान है। पेंशन

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

नियमों में संशोधन एवं सरलीकरण से सम्बन्धित प्रस्तावों का परीक्षण कर अभिशंसा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसके समक्ष पेंशन आवेदनों के निस्तारण की समय-सीमा निश्चित किये जाने का बिन्दु भी विचाराधीन है। समिति की अभिशंसा प्राप्त होने पर संशोधित नियम लागू कर दिये जाएंगे।

(3) पंचायत समिति रोहट में पिछले दो वर्षो में विधवा एवं विकलांग पेंशन के अस्वीकृत आवेदन पत्रों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) प्रत्येक विकलांग एवं विधवा को पेंशन दिये जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यदि सभी विकलांग एवं विधवाओं को पेंशन दिये जाने का निर्णय लिया जाता है, तो पेंशनरों की संख्या एवं व्यय भार में अप्रत्याशित वृद्धि होगी।

(5) पेंशन के आवेदनों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। आवेदनों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति रोहट एवं सम्बन्धित ग्राम सेवकों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम-17 के तहत कार्यवाही की गई है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

डीग (भरतपुर) किले के संरक्षण हेतु कार्य योजना

39. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार डीग स्थित किले की चारों ओर की कैनाल में भरे पानी की निकासी की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा इस दिशा में गत तीन वर्षो में कोई प्रयास किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार इस प्रकरण में किसी की जिम्मेदारी तय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भरतपुर जिले के डीग किले के चारों तरफ खाई में गन्दा

(पर्यटन मंत्री)

पानी भरा हुआ है। यह गन्दा पानी आस-पास के क्षेत्र से एवं घरों/मकानों की नालियों का है। इस गन्दे पानी को रोकने व गन्दे पानी की निकासी का दायित्व स्थानीय नगरपालिका का है। डीग के किले के चारों ओर की कैनाल मे भरे पानी की निकासी हेतु नगरपालिका, डीग द्वारा पम्पों की सहायता से तथा कच्चा नाला खुदवाकर प्रयास किये जाते रहे हैं। माह मई, 2011 में भी किले की उक्त नहर से होम्स केनाल तक 4500 फिट लम्बा कच्चा नाला खुदवाकर उसमें 40 सीमेंट के पाइप डाले गये जिसकी सहायता से उक्त नहर का पानी निकलवाया गया। नगरपालिका, डीग की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है बजट उपलब्ध होने पर उक्त पानी की निकासी की पुख्ता व्यवस्था कर दी जायेगी।

(2) पर्यटन मंत्री द्वारा डीग किले का निरीक्षण करने के उपरांत किले के बुर्ज पर रखी लखी तोप की मरम्मत कर यथा स्थान रखवाने, बुर्ज की मरम्मत करवाने तथा बुर्ज तक जाने के रास्ते को मरम्मत करवाने के निर्देश दिए गए। इस क्रम में 27.67 लाख रुपये की स्वीकृति जारी कर कार्यादेश जारी किया जाकर कार्य प्रारम्भ करवाया जा चुका है। कला, संस्कृति, साहित्य एवं पुरातत्व विभाग द्वारा डीग किले के संरक्षण एवं विकास कार्य के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवायी जा रही है। इस परियोजना में किले के चारों तरफ खाई में भरे हुए गन्दे पानी के निकास के लिए वास्तुविद् सलाहकार से सुझाव भी प्राप्त होंगे।

(3) कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना

40. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जिला बाड़मेर व जैसलमेर में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इंजिनियरिंग कालेज खोले हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार स्थानीय लोगों के हित को ध्यान में रखते हुये उक्त जिलों में नये इंजीनियरिंग कालेज खोलने के साथ ही पैट्रोलियम, खनिज एवं एनर्जी संबंधित कोर्स चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा निजी जनसहभागिता योजनान्तर्गत जिला बाड़मेर व जैसलमेर के लिए निजी निवेशकों का चयन कर लिया गया है।

जैसलमेर में जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 14.03.2008 द्वारा 25 बीघा भूमि आबंटित की गई थी लेकिन आबंटन की शर्त के अनुसार 18 माह की अवधि में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हेतु भवन निर्माण करना था जो नहीं होने पर दिनांक 30.05.2010 को आबंटन आदेश जिला कलक्टर द्वारा निरस्त कर दिया गया। जिला कलक्टर के आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है। बाड़मेर में भूमि आबंटन के प्रस्ताव राजस्व विभाग के समक्ष विचाराधीन हैं।

इंजीनियरिंग कालेजों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार के समक्ष इन महाविद्यालयों में पैट्रोलियम, खनिज एवं एनर्जी कोर्स खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-1

LIST OF ENGINEERING COLLEGES IN PPP MODE

S. No.	District	Name of Promoter & Address of Trust/Society	Name of Proposed Engg. College
1.	Jaisalmer	Sh. Subhash Agarwal S/o. T.C. Agarwal (Chairman) Mahadev Education Trust, 1st Floor, A-1/6 WHS, Kirti Nagar, New Delhi	Rajasthan Institute of Engineering & Technology, Jaisalmer
2.	Barmer	Kailker Awareness and Relief Welfare Society A-13, Mohan Gardan Ext. Uttam Nagar, New Delhi	Not proposed

जोधपुर के खनिज मजदूरों की सुरक्षा हेतु आवश्यक सुविधाएं

41. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में खान मजदूर गम्भीर बीमारी सिलीकोसिस की चपेट में आ रहे हैं? यदि हां, तो गत 3 वर्षों में उक्त बीमारी से कितने मरीज ग्रसित हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने सिलीकोसिस मरीजों की बढती तादाद पर खान में सुरक्षा उपायों को लेकर खान मालिकों के साथ कोई सख्ती बरती है? यदि हां, तो क्या?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सिलीकोसिस मरीजों को 1 लाख की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर अब 3 लाख कर दिया गया है? यदि हां, तो जोधपुर की खानों मे काम करने वाले सिलीकोसिस बीमारी से ग्रसित कितने मजदूरों को गत तीन वर्षो में उक्त सहायता दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खानों में कार्यरत मजदूरों द्वारा खनन कार्य के दौरान एयरबोर्न डस्ट से बचाव नहीं किये जाने की स्थिति में, सिलीकोसिस बीमारी होने की सम्भावना रहती है । मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कुल 22 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है एवं 48 व्यक्ति सिलीकोसिस बीमारी से ग्रस्त पाये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है ।

(2) खान विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर खानों का निरीक्षण किया जाता है तथा खान मालिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे खनन कार्य के दौरान मजदूरों को डस्ट मास्क, ग्लब्स, गम शूज, हेलमेट आदि उपलब्ध करायें तथा वैट ड्रिलिंग पद्धति से खनन कार्य करायें। इस बाबत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति भी जारी की गई तथा स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। दिये गये निर्देशों की पालना नहीं किये जाने पर निरीक्षण उपरान्त क्वारी लाइसेंस खण्डित करने हेतु नोटिस दिया जाता है। अब तक विभाग के अधिकारियों द्वारा 7 खनन पटटों व 50 क्वारी लाइसेंसों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 18 क्वारी लाइसेंसधारियों द्वारा पालना नहीं किया जाना पाया गया, जिनके क्वारी लाइसेंस खण्डित किये गये हैं।

(3) राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से 21 मृतकों के आश्रितों को जिला कलक्टर के माध्यम से उनके आदेश दिनांक 27.09.2010

(राज्य मंत्री, खनिज)

से 1 लाख नकद की सहायता राशि (ex-gratia) तथा आदेश दिनांक 05.06.2011 से 2 लाख रुपये सावधि जमा के रूप में दिये गये । एक मृतक श्री मंगलाराम के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुए, इसलिए उसे सहायता राशि नहीं दी जा सकी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

कृषि उपज मण्डी समिति (फल, सब्जी, वन उपज) श्रीगंगानगर में दुकान आबंटन हेतु नियम

42. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी, वन उपज) श्रीगंगानगर द्वारा 40 दुकानों का आबंटन किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त हेतु प्रत्येक आवेदन पर कितनी राशि ली गई एवं कुल कितने आवेदन आये हैं तथा कुल कितनी राशि एकत्रित हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दुकानों का अभी तक आबंटन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व अब सरकार द्वारा कब तक उक्त दुकानों का आबंटन कर दिया जावेगा?

(3) क्या उक्त दुकानों को आबंटित करने के कोई नियम निर्धारित किये गये तथा इसमें विकलांगों व विधवाओं को भी दुकानें आबंटित करने का कोटा निर्धारित किया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 10000/- रुपये प्रति आवेदन पत्र राशि ली गई है, कुल आवेदन पत्र 1333 प्राप्त हुए हैं एवं कुल राशि 1 करोड़ 33 लाख 30 हजार रुपये प्राप्त की गई है।

(2) जी हां। मंडी चुनाव प्रक्रिया के अधीन दुकानों का आबंटन नहीं किया जा सका। चुनावों के बाद आबंटन की कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां। अचल सम्पत्ति आबंटन नीति, 2005 में आबंटन प्रक्रिया निर्धारित है। फुटकर दुकान में दिनांक 12.3.2010 से नि:शक्तजनों हेतु 3 प्रतिशत दुकानों/भूखंडों को आरक्षित किया गया है। विधवाओं के लिए अचल सम्पत्ति आबंटन नीति 2005 में कोटा निर्धारित नहीं किया गया है।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बसेठ (अलवर) का क्रमोन्नयन

43. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार की नीति व घोषणानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय खोले जावेंगे? यदि हां, तो क्या विधान सभा क्षेत्र कठूमर की ग्राम पंचायत बसेठ की उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया गया, जबकि यहां की जनसंख्या भी पूरी ग्राम पंचायतों के ग्रामों में सबसे अधिक है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 2009-10 में बजट घोषणानुसार ग्राम पंचायत मुख्यालय के विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं करना था, बल्कि ऐसी ग्राम पंचायत, जिसमें एक भी राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, में एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का प्रावधान था।

(2) विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने के लिए जियोग्राफिकल इन्फोरमेशन सिस्टम आधारित स्कूल मैपिंग की कार्यवाही की जा रही हैं। स्कूल मैपिंग की कार्यवाही सम्पन्न होने के उपरान्त वास्तविक आवश्यकता वाले स्थानों पर वित्तीय प्रावधानों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से विद्यालय क्रमोन्नत किये जायेंगे।

विधायक अनुशंसित सिंगल फेस ट्यूबवैल के विद्युतीकरण हेतु अनुदान/छूट

44. **श्री राजकुमार रिणवां** (रतनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधायक कोष से अनुशंसित सिंगल फेस के ट्यूबवेल्स के लिए ट्यूबवेल की लागत के अलावा विद्युत संबंध हेतु 1.50 लाख रुपये तक की मांग की जाती है? क्या गांवों एवं शहरों में लोगों द्वारा निजी सिंगल फेस ट्यूबवेल घरेलू विद्युत संबंध से चलाये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधायक कोष से अनुशंसित सिंगल फेस के

(श्री राजकुमार रिणवां)

ट्यूबवेल्स को ट्रांसफार्मर आदि के व्यय से मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है? योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विधायक कोष से खुदवाये जाने वाले सिंगल फेस के ट्यूबवेल के विद्युतीकरण का खर्चा राज्य सरकार अन्य किसी योजना में वहन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो योजना की प्रति सदन की मेज पर रखे एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं । विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सिंगल फेस नलकूप निर्माण हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को कार्यकारी एजेन्सी बनाये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा विद्युत सम्बन्ध की राशि का भुगतान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी मांग पत्र के आधार पर किया जाता है ना कि रुपये 1.50 लाख तक। मांग पत्र की राशि का निर्धारण संबंधित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है ।

गांवों एवं शहरों में निजी क्षेत्र में चल रहे सिंगल फेस नलकूपों के विद्युत सम्बन्ध विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी किये जाते हैं ।

(2) जी नहीं ।

(3) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत ट्यूबवेल खोदने के साथ-साथ बोरिंग हेतु विद्युतीकरण कार्य भी स्वीकृत करने का प्रावधान उपलब्ध है । योजना की प्रति परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है जिसका पैरा 3.13.5 अवलोकनीय है ।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर मेट्रो रेल की चौमूं तक विस्तार हेतु स्वीकृति

45. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार चौमूं-जयपुर मार्ग पर बढ़ते यात्री भार के मद्देनजर मेट्रो रेल परियोजना को चौमूं तक स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत मेट्रो

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

रेल परियोजना का विस्तार जयपुर से चौमूं तक करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अलवर जिले में औद्योगिक विकास हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

46. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु जिला अलवर में किसानों की जमीन अवाप्त की गई है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में गत दो वर्षों में कुल कितनी जमीन किस-किस ग्राम में अवाप्त की गई? क्या उक्त जमीन की अवाप्ति हेतु किसानों की सहमति ली गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त जमीन की अवाप्ति के बदले किसानों को मुआवजा देने का वादा किया गया था? यदि हां, तो कितना व किस प्रकार?

(3) क्या यह सही है कि अभी तक भी उक्त जिले के किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? मुआवजे से वंचित किसानों के नाम/ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु जिला अलवर में किसानों की भूमि अवाप्त की गई है। गत दो वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु अलवर जिले में अवाप्त की गई भूमि का विवरण निम्नानुसारः-

(1) **औद्योगिक क्षेत्र कहरानी (भिवाडी षष्ठम् चरण)**   **कुल : 4.18 है.**

(ग्राम कहरानी 1.27 है.

एवं खिरजपुर 2.91 है.)

(2) **औद्योगिक क्षेत्र ईपीआईपी, नीमराना**   **कुल : 0.68 है.**

(प्रतापसिंहपुरा 0.47 है. एवं

माधोसिंहपुरा 0.21 है.)

(3) **औद्योगिक क्षेत्र, घीलोठ**   **कुल : 518.92 है.**

(उद्योग मंत्री)

(ग्राम घीलोठ 212.18 है.,
परतापुर चक नम्बर-1 62.11 है.,
परतापुर चक नम्बर-3 80.95 है.,
गूगलकोटा 14.68 है.,
जोनायचा खुर्द 6.42 है.,
श्रीयानी 6.76 है., कुतीना
9.48 है., बटाना 6.15 है.
एवं डाबडवास 120.19 है.)

(4) औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा विस्तार कुल : 36.03 है.
पहुंच मार्ग वाया कसौला चौक

(ग्राम लालपुरा 17.47 है., करीरीवास
2.29 है., कर्मसीवास 1.51 है.,
राबडका 0.47 है0, धामावास
4.27 है., आकोली 0.02 है.
एवं बुढीबावल 4.90 है.)

उक्त भूमि को अवाप्त करने से पूर्व संबंधित खातेदार/किसानों से सहमति नहीं ली गई है क्योंकि भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति से पूर्व सहमति लिया जाने का प्रावधान नहीं है।

(2) अवाप्त भूमि का भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत अवार्ड जारी किया गया है एवं अवार्ड के अनुरूप मुआवाजा दिया गया है।

(3) उक्त ग्रामों की अवाप्त भूमि का भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड के अनुसार देय मुआवजा राशि का भुगतान संबंधित खातेदार/हितधारियों को नकद मुआवजा राशि के रूप में दिया जा चुका है। नकद राशि के स्थान पर विकसित भूमि आबंटन के इच्छुक खातेदारों को भूमि आबंटन की कार्यवाही की जा रही है। जिन प्रकरणों में खातेदारों/हितबद्ध व्यक्तियों में विवाद है उनकी मुआवजा राशि को सक्षम सिविल न्यायालय में जमा कराया गया है। मुआवजा भुगतान से बकाया किसानों/हितधारियों की सूची परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

उदयपुर संभाग में अवधिपार टोल वसूली

47. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरकार द्वारा राज्य के प्रतापगढ, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में नेशनल एवं स्टेट हाइवे पर टोल वसूली के ठेके किस-किस स्टेट हाइवे पर कब से कब तक के लिये किस-किस को दिये गये हैं? उक्त में अवधि पार कितने टोल वसूली के कहां-कहां बूथ हैं जो अब तक चल रहे हैं और टोल के ठेके में कितनी टोल वसूली की जा चुकी है?

उत्तर

सरकार द्वारा राज्य के प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिले में नेशनल एवं स्टेट हाइवे पर टोल वसूली के ठेके जिस एजेन्सी को दिये गये हैं उसका नाम एवं टोल वसूली अवधि का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। इन जिलों में अवधि पार ऐसा कोई टोल बूथ नहीं है जहां टोल वसूली अब तक चल रही है।

परिशिष्ट-1

टोल वसूली के ठेके, एजेन्सी का नाम व अवधि का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	सड़क का नाम	सड़क श्रेणी	टोल बूथ की लोकेशन	टोल वसूली वाली एजेन्सी	टोल प्रारम्भ करने की दिनांक	टोल समाप्ति की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) सा.नि.वि. द्वारा बी.ओ.टी. आधारित सड़कों पर संचालित टोल बूथ							
1.	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा बाईपास	एन. एच.-79	(1) किमी.-210/0	मै. चेतक एन्टरप्राईजेज, निम्बाहेडा चित्तौड़गढ़	18.05.2005	28.08.2012
2.	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा बाईपास	एन. एच.-79	(2) किमी.-222/0	मै. चेतक एन्टरप्राईजेज, निम्बाहेडा चित्तौड़गढ़	18.05.2005	28.08.2012
3.	डूंगरपुर	खेरवाड़ा डूंगरपुर सागवाड़ा-बांसवाड़ा	एस. एच.-10	किमी.-77/500 (माही पुल)	श्री जयनारायण लबाना ग्राम व पोस्ट-आडिवली, तहसील खेरवाड़ा उदयपुर	13.01.2011	12.01.2012
4.	उदयपुर	उदयपुर सलूम्बर बांसवाड़ा	एस. एच.-32	(1) किमी.-13/100	मै. जी.आर. अग्रवाल बिल्डर्स एवं डवलपर्स, सेक्टर-11 शाही काम्पलेक्स, उदयपुर	02.06.2004	14.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8
(क) सा.नि.वि. द्वारा बी.ओ.टी. आधारित सड़कों पर संचालित टोल बूथ							
5.	उदयपुर	उदयपुर सलूम्बर बांसवाड़ा	एस. एच.-32	(2) किमी.-43/100	मै. जी.आर. अग्रवाल बिल्डर्स एवं डवलपर्स, सेक्टर-11 शाही काम्पलेक्स, उदयपुर	02.06.2004	14.05.2012
6.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा-रतलाम	एस. एच.-10	माही नदी पर महाराणा प्रताप पुल किमी. 142/0	श्री घासीराम पुत्र श्री श्योमजी राम जाट, ग्राम सोथलिया पो. बोडरी वाया रींगस तहसील श्रीमाधोपुर सीकर	15.02.2011	14.02.2012
(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित टोल बूथ							
1.	चित्तौड़गढ़	कोटा-चित्तौड़गढ़	एनएच-76	बस्सी किमी. 237/269	मैसर्स मातेश्वरी इन्द्राणी प्रा. लि., देबारी पेट्रोल पम्प के पीछे, आरा मशीन के पास, उदयपुर	31.03.2010	सतत टोल वसूली का प्रावधान होने से लगातार जारी रहेगा।
2.	चित्तौड़गढ़	किशनगढ़-चित्तौड़गढ़	एनएच-79	जोजरों का खेडा किमी. 163/900	मैसर्स संगम (इंडिया) लि., हायर सैकेण्डरी स्कूल के सामने, पुर रोड, भीलवाड़ा	21.02.2005	सतत टोल वसूली का प्रावधान होने से लगातार जारी रहेगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़ बाईपास	एनएच-79	रीठोला किमी. 28/100	मैसर्स संगम (इंडिया) लि., हायर सैकेण्डरी स्कूल के सामने, पुर रोड, भीलवाड़ा	24.12.2009	सतत टोल वसूली का प्रावधान होने से लगातार जारी रहेगा।
4.	उदयपुर	उदयपुर-पिण्डवाडा	एनएच-76	जसवन्तगढ़ किमी. 64/200	मातेश्वरी इन्द्राणी प्रा. लि., देबारी पेट्रोल पम्प के पीछे, आरा मशीन के पास, उदयपुर	10.01.2010	सतत टोल वसूली का प्रावधान होने से लगातार जारी रहेगा।
5.	उदयपुर	चित्तौड़गढ़-उदयपुर	एनएच-76	नरायणपुरा किमी. 165/50	मैसर्स सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लि., 6 सरोजनी नाइडू मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	01.08.2005	सतत टोल वसूली का प्रावधान होने से लगातार जारी रहेगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	उदयपुर	उदयपुर-रतनपुर	एनएच-8	पडूना किमी. 311/100	मैसर्स एस.एम.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., 267 गणेश पहाडनविश भवन, नजदीक तिकोना पार्क, धर्मपट, नागपुर-महाराष्ट्र	05.05.2005	सतत टोल वसूली का प्रावधान होने से लगातार जारी रहेगा।
7.	उदयपुर	उदयपुर-रतनपुर	एनएच-8	खण्डी ओबरी किमी. 349/00	मैसर्स संगम (इंडिया) लि., हायर सैकेण्डरी स्कूल के सामने, पुर रोड, भीलवाड़ा	05.05.2005	सतत टोल वसूली का प्रावधान होने से लगातार जारी रहेगा।

जयपुर-आसीन्द हेतु सीधी बस सेवा

48. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में आसीन्द से जयपुर के लिए सीधी बस सेवा नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उदयपुर से भीम, गुलाबपुरा फोरलेन से जयपुर, आसीन्द से हरिद्वार जयपुर होते हुए जनहित में बस सेवा चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में आसीन्द से जयपुर मार्ग के लिए सीधी बस सेवा नहीं है। इस मार्ग का आसीन्द से गुलाबपुरा तक 50 कि.मी. भाग अराष्ट्रीयकृत है जिस पर 14 निजी यात्री बसों का संचालन हो रहा है तथा गुलाबपुरा से जयपुर तक 188 कि.मी. भाग जो राष्ट्रीयकृत है जिस पर परिशिष्ट "1" पर उल्लेखित मार्गों पर राजस्थान परिवहन निगम द्वारा संचालित है। निगम द्वारा आसीन्द से जयपुर के लिए सीमित संसाधनों के कारण सीधी बस सेवा संचालित नहीं की जा रही है।

(2) उदयपुर से भीम, गुलाबपुरा फोरलेन से जयपुर के लिए बसों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों के साथ विधमान अन्तर्राज्यीय परिवहन से सम्बन्धित पारस्परिक समझौतों में आसीन्द से हरिद्वार जयपुर होते हुए मार्ग के स्वीकृत नहीं होने के कारण बस संचालन सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट-1

उदयपुर से भीम, गुलाबपुरा फोरलेन होकर जयपुर के लिये संचालित निगम बस सेवाओं का विवरण

उदयपुर-भीम

मार्ग का नाम	दैनिक परिचक्रों की संख्या
उदयपुर-अजमेर	04
उदयपुर-जयपुर	04
उदयपुर-वृन्द्वावन	02
उदयपुर-अलवर	02
उदयपुर-सीकर	02
डूंगरपुर-जयपुर	04
उदयपुर-धौलपुर	02
अहमदाबाद-जयपुर	04
उदयपुर-हरिद्वार	02
उदयपुर-देहली	04
डूंगरपुर-जयपुर (डीलक्स)	02
उदयपुर-मथुरा	02
बांसवाड़ा-बोरावड	02
कुल	**36**
गुलाबपुरा फोरलेन होकर जयपुर	
जयपुर-गुलाबपुरा वाया अजमेर	06
जयपुर-गुलाबपुरा वाया श्रीनगर	76
कुल	**82**

राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन में नियम विरुद्ध काबिज प्रशासनिक अधिकारी

49. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या कार्मिक राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन (आरसीए) के किसी पद पर प्रशासनिक अधिकारी काबिज है? यदि हां, तो किस पद पर कौन अधिकारी किस नियम के अन्तर्गत कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को ऐसे पदों पर काबिज होने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है? यदि हां, तो उक्त पद के लिए कब अनुमति ली गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री संजय दीक्षित राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन (आरसीए) में पहली बार 1 मार्च, 2009 को अध्यक्ष पद के लिए एवं दूसरी बार 7 दिसम्बर, 2009 को सचिव पद के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन (आरसीए) के संविधान के तहत निर्वाचित हुए।

(2) जी हां। उक्त पद के लिए अनुमति नहीं ली है।

प्रश्न संख्या-50

(स्थगित)

तिजारा तहसील के सूरजमुखी किले का लीज प्रकरण

51. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील तिजारा जिला अलवर स्थित सूरजमुखी किले को सरकार द्वारा किस संस्था को लीज पर दिया गया है? क्या संस्था द्वारा उक्त किले का पुनः निर्माण करने हेतु वन विभाग से कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया है? यदि हां, तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र देते समय सरकार द्वारा क्या-क्या शर्तें लगाई गईं? क्या उक्त शर्तों का पालन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन शर्तों पर निर्माण की स्वीकृति दी उक्त में नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामहेत सिंह)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त लीज होल्डर्स द्वारा अलवर जिले में अन्य स्थानों पर भी होटल चलाये हुये हैं तथा पूर्व में वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया था? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित सूरजमुखी किले को लीज पर लेने वाली संस्था के विरुद्ध में भू-राजस्व अधिनियम धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण न्यायालय सहायक वन संरक्षक अलवर में मुकदमा चला है? यदि हां, तो उक्त मुकदमे में क्या निर्णय हुआ? क्या उक्त निर्णय की प्रति के अनुसार नियमों की पालना सरकार द्वारा करा दी गई? यदि हां, तो कब व नहीं, तो कब तक करा दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त किले को लीज पर लेने वाली संस्था को लीज की शर्तों के उल्लंघन के लिए दोषी मानती है? क्या सरकार उक्त संस्था की लीज को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित तिजारा किले के संरक्षण एवं पर्यटन इकाई के रूप में विकसित करने हेतु मै. नीमराणा होटल्स प्रा.लि., नई दिल्ली को लीज पर दिया गया है।

जी हां। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ द्वारा तिजारा किले के पर्यटन विकास हेतु 7.22 हैक्टेयर वन भूमि की प्रत्यावर्तन की सशर्त स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 24.08.2006 (सैद्धान्तिक स्वीकृति) एवं 22.08.2008 (विधिवत् स्वीकृति) की छायाप्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जिसमें रोपित शर्तों का उल्लेख है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा लगाई गई शर्ते एवं शर्तों की पालना सम्बन्धी सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) पर्यटन विभाग में इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी हां। उक्त लीज होल्डर फर्म मैसर्स नीमराणा होटल्स प्रा.लि. द्वारा नीमराणा फोर्ट, नीमराणा एवं हिल फोर्ट, केसरोली में होटल चलाये जा रहे हैं।

पूर्व में वन भूमि पर अतिक्रमण के प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, बहरोड़ द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत मै. नीमराणा फोर्ट के विरुद्ध प्रकरण पत्रांक 90 दिनांक 10.03.2010 से न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अलवर के यहा दर्ज करवाया था। इस प्रकरण में न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 06.09.2010 से प्रकरण खारिज कर दिया है।

(पर्यटन मंत्री)

(4) पूर्व में वन भूमि पर अतिक्रमण के प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, बहरोड़ द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत मै. नीमराणा फोर्ट के विरुद्ध प्रकरण पत्रांक 90 दिनांक 10.03.2010 से न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अलवर के यहा दर्ज करवाया था। इस प्रकरण में न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 06.09.2010 से प्रकरण खारिज कर दिया है। निर्णय की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। अभी तक फर्म के विरुद्ध लीज की शर्तों के उल्लंघन का कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अत: कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(प्रतियां व सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

कोटा संभाग के वन अभयारण्यों में नियंत्रण कक्ष की स्थापना

52. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अतिवृष्टि के बाद कोटा संभाग में बड़ी संख्या में हरिण अकाल मौत का शिकार हो गये हैं? यदि हां, तो गत छह माह में संभाग में कहां-कहां पर कितने हरिणों की मृत्यु हुई है और हरिणों की मृत्यु की सूचना मिलने के कितने समय बाद कहां-कहां पर नियंत्रण केन्द्र स्थापित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी हरिणों की मृत्यु एक ही दिन में हो गई अथवा अलग-अलग दिनों में हुई? उक्त अवधि में हरिणों को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि सात माह पूर्व वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान द्वारा राज्यभर में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के आदेश जारी किये गये थे किन्तु सात माह बीतने के बाद भी नियंत्रण कक्षों की स्थापना नहीं की गई और यदि ये कक्ष पूर्व में ही स्थापित कर दिये जाते तो इतनी बड़ी संख्या में हरिणों की मृत्यु नहीं होती? यदि हां, तो क्या आदेशों की पालना नहीं करने वाले लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) जी हां। गत छह माह में कोटा संभाग में हुई हिरणों की मृत्यु का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। वन्य जीवों की सार-सम्भाल एवं उपचार

(वन मंत्री)

के लिए कोटा संभाग में वन मण्डल कार्यालय मुख्यालयों पर नियंत्रण केन्द्र पूर्व से ही स्थापित हैं।

(2) उक्त हिरणों की मृत्यु एक दिन नहीं होकर अलग-अलग दिनों में हुई है जिनका विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। उक्त अवधि में हिरणों को बचाने के लिए की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट "क"

कोटा संभाग में पिछले छह माह में हुई हिरणों की मृत्यु के संबंध में विवरण

क्र. सं.	मृत्यु का दिनांक	मृत्यु का विवरण	मृत हिरणों की संख्या
1.	15.04.2011	ग्राम भावपुरा	1 (वाहन की टक्कर से)
2.	27.04.2011	कोटा-सांगोद मार्ग पर	1
3.	30.04.2011	अन्ता रेंज (बारां)	1 (शिकार किया गया)
4.	24.06.2011 से 29.06.2011	ग्राम जगन्नाथपुरा	1
		ग्राम गन्दीफली	8
		तहसील लाडपुर के गांवों में	6
		नगरपालिका क्षेत्र कोथून	2
		फोलाईकलां, सुल्तानपुर	1
		रेलगांव, सुल्तानपुर	3
		हनोतिया, सुल्तानुपर	1
5.	23.06.2011 से 30.07.2011	बारां रेंज क्षेत्र	26
		अन्ता रेंज क्षेत्र	36
		अटरू रेंज क्षेत्र	15
		छीपाबड़ोद रेंज क्षेत्र	11
		छबड़ा रेंज क्षेत्र	37
6.	11.08.2011	सुवानिया के पास	1 (कुत्तों द्वारा घायल)
		योग	**151**

परिशिष्ट "ख"

कोटा संभाग में हिरणों को बचाने के लिए की गई कार्यवाही का विवरण

1. कोटा संभाग में वन मण्डल कोटा, वन मण्डल वन्य जीव, कोटा, मण्डल वन अधिकारी, बूंदी एवं मण्डल वन अधिकारी, बारां के स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित कर आकस्मिक घटनाओं की सूचनाऐं आदान-प्रदान करने हेतु स्टाफ की नियमित रूप से ड्यूटी लगाई गई।
2. घायल हिरणों की तत्समय मौके पर पहुंच कर चिकित्सा उपचार की व्यवस्था की गई। चिकित्सा उपचार कार्यवाही में विभागीय स्टाफ पशुपालन विभाग के साथ-साथ वन्य जीव प्रेमियों का सहयोग प्राप्त किया गया।
3. वर्षा के तुरन्त पश्चात् राजस्व ग्रामों में रेस्क्यू टीमें गठित कर भिजवाई गई। उक्त टीमों द्वारा घायल हिरणों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर पशु चिकित्सकों से उपचार करवाकर सुरक्षित क्षेत्रों में वापस छोड़ा गया।
4. बारां वन मण्डल स्तर पर दो अस्थाई रेस्क्यू सेन्टरों की स्थापना की गई एवं अतिवृष्टि के दौरान हिरणों को बचाने के लिए 3 विशेष गश्तीदल गठित कर किराये की जीपें उपलब्ध करवाई गई।
5. मण्डल वन अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 27.06.2011 को स्थानीय समाचार पत्रों अपील कर आम जनता से इन मूक वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए इनका बचाव करने एवं घायल वन्य जीवों की सूचना नियंत्रण कक्ष को भिजवाने हेतु अनुरोध किया गया।
6. मण्डल वन अधिकारी, बारां द्वारा घायल हिरणों के उपचार एवं मृत हिरणों के पोस्टमार्टम के लिए पशुपालन विभाग से 3 मेडिकल बोर्डों का गठन करवाया गया।
7. मण्डल वन अधिकारी, बारां के पत्र दिनांक 11.07.2011 से सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों और नगरपालिका के अधिशासी अधिकारियों से आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण करने के लिए कारगर कदम उठाने हेतु अनुरोध किया गया।
8. घायल हिरणों को रेस्क्यू कर उपचार करवाकर वन मण्डल कोटा द्वारा 40 से अधिक हिरणों को एवं वन मण्डल बारां द्वारा 22 हिरणों को तथा उप वन संरक्षक, वन्य जीव, कोटा द्वारा 5 हिरणों को बचाया जाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

निजी विद्यालयों/पब्लिक स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश हेतु गठित समितियां

53. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में गरीब बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ाये जाने हेतु कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त योजना का निर्माण कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त योजना राज्य में लागू कर दी गई है? यदि हां, तो उक्त योजना प्रदेश में कब लागू की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त योजना प्रदेश के किस-किस जिले में लागू की गई और उक्त जिलों में किस-किस पब्लिक स्कूल द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत गरीब बच्चों को पढ़ाने हेतु स्वीकृति दी गई है? जिलेवार पब्लिक स्कूलों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना सरकार द्वारा मूल रूप से किस क्षेत्र के बालक/बालिकाओं के विकास हेतु शुरू की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त योजनान्तर्गत जिला स्तर पर कमेटियां भी गठित की गई हैं? यदि हां, तो क्यों?विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है कि समस्त गैर सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में प्रथम कक्षा में भर्ती किये जाने वाले कुल छात्रों में से कम से कम 25 प्रतिशत तक "दुर्बल वर्ग" और "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों को भर्ती किया जायेगा। इन बालकों द्वारा कोई राशि संबंधित विद्यालय को नहीं अदा की जायेगी। इन बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा संबंधित विद्यालयों को शुल्क राशि का पुनर्भरण किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 अधिसूचित किये जा चुके हैं, तथा "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" को परिभाषित करने हेतु अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं ।

(2) जी हां। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 दिनांक 1 अप्रैल 2010 से व राजस्थान निःशुल्क एवं

(शिक्षा मंत्री)
अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 दिनांक 29-3-2011 से समस्त राज्य में प्रभावी हो गये हैं।

(3) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 दिनांक 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क एवं राजस्थान अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 दिनांक 29-3-2011 से समस्त जिलों प्रभावी हो गया है। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत विभिन्न गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा दिये गये प्रवेश के संबंध में सूचना एकित्रत की जा रही रही है।

(4) यह योजना किसी क्षेत्र विशेष के लिए लागू नहीं की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ऐसे बालक/बालिका जो "दुर्बल वर्ग" अथवा "असुविधाग्रस्त समूह" की परिभाषा में आते हैं, लाभ पाने के पात्र हैं।

(5) जी हां। स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 4-4-2011 द्वारा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समितियां गठित की गयी हैं जिसमें जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी को सम्मिलित किया गया है। इस समिति को निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है-

1. समस्त गैर राजकीय विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राजस्थान अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार' 'दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बच्चों को विधालय में प्रवेश दें।
2. प्रत्येक विद्यालय "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बच्चों को प्रवेश के लिए आरक्षित सीटों के अलावा अन्य सीटों पर प्रवेश के लिए नीति निर्धारित करें।
3. कोई भी वियालय या व्यक्ति भी बालक को प्रवेश देते समय, बालक या उसके माता-पिता/संरक्षक को किसी स्क्रिनिंग के अध्यधीन नहीं रखेगा। बच्चों का प्रवेश लाटरी प्रक्रिया के आधार पर होगा।
4. कोई भी वियालय या व्यक्ति, बालक को प्रवेश देते समय, कोई भी केपिटेशन फीस संग्रहित नहीं करें।

बीसलपुर बांध में चम्बल नदी से जलापूर्ति हेतु कार्य-योजना

54. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा चम्बल नदी से बीसलपुर बांध

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में पानी लाने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस योजना का प्रारम्भिक प्रारूप तैयार हो गया है? यदि हां, तो इस योजना का कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा एवं इस पर कुल कितनी लागत आयेगी तथा कितने समय में इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीसलपुर बांध में पानी की कम आवक की अवस्था में, इस पर आधारित पेयजल योजनाओं की पेयजल व्यवस्था बनाये रखने के लिए चम्बल नदी से पानी उपलब्ध करवाने की योजना हेतु सलाहकार फर्म द्वारा तकनीकी सम्भाव्यता रिपोर्ट बनाने हेतु कार्यादेश जारी करने की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

जोधपुर शहर में नियम विरुद्ध फाईबर गति अवरोधक

55. **श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सड़कों पर गति अवरोधक (स्पीड ब्रेकर) लगाने के मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जोधपुर शहर में हाल ही में विभिन्न मार्गों पर फाइबर के गति अवरोधक (स्पीड ब्रेकर) लगाये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां?

(3) क्या यह सही है कि इण्डियन रोड कांग्रेस की गाइड लाइन अनुसार गति अवरोधक निर्धारित स्थानों पर ही लगाने तथा वह भी सिंगल गति अवरोधक नहीं लगाने का प्रावधान है? यदि हां, तो फिर शहर में विभिन्न जगहों पर सिंगल गति अवरोधक क्यों लगाये जा रहे हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त गति अवरोधक को पार करते समय वाहन चालक व वाहन पर बैठे व्यक्तियों के रीढ़ की हड्डी पर गहरा असर पड़ रहा है? क्या सरकार उक्त गति अवरोधक को हटाने व डामर के गति अवरोधक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि उक्त फाइबर के गति अवरोधक (स्पीड ब्रेकर)

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

की लागत अधिक है? यदि हां, तो कितनी लागत तथा किस फर्म द्वारा लगाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निर्धारित मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। जोधपुर शहर में फाइबर गति अवरोधक (स्पीड ब्रेकर) लगाए गए हैं। स्थलों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) आई.आर.सी. द्वारा गति अवरोधक (स्पीड ब्रेकर) लगाये जाने के मानदण्ड (आई.आर.सी. 99:1988) निर्धारित है। उक्त गाइड लाइन में सिंगल गति अवरोधक लगाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उक्त गाइड लाइन के अनुसार लम्बी दूरी तक गति धीमी रखे जाने एवं गुजरने वाले वाहनों की प्रकृति को देखते हुए नियमित अन्तराल पर एक से अधिक स्पीड ब्रेकर लगाये जा सकते हैं। शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं पार्षदों की मांग पर एवं उपायुक्त पुलिस (यातायत) की राय लेकर रहवासीय क्षेत्र स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी केन्द्र, रेलवे क्रोसिंग, भीड़-भाड़ एवं खतरनाक मोड़ों के ध्यान में रखते हुए स्पीड ब्रेकर लगाये गये है।

(4) फाइबर के लगाये गये गति अवरोधक तकनीकी रूप से प्रमाणित है। उक्त गति अवरोधक को पार करते समय वाहन चालक व वाहन पर बैठे व्यक्तियों के रीढ़ की हड्डी पर गहरा असर पड़ रहा हो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उक्त अवरोधकों को हटाने का प्राधिकरण का विचार नहीं है। नवीन तकनीक का उपयोग एवं आई.एस.ओ. 9001:2008 से प्रमाणित होने के आधार पर ही इन स्पीड ब्रेकर को लगाया जाना प्रस्तावित किया गया है कि प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(5) जी हां। डामर के गति अवरोधकों की लाइफ कम है एवं इनकी संधारण लागत यथा समय रंगरोगन, वर्षा से क्षतिग्रस्त होना आदि कारणों से लगातार इसका रख-रखाव भी हर समय किया जाना पडता है, जो काफी खर्चीला है। अतः फाइबर स्पीड ब्रेकर लगाए जाने हेतु खुली निविदा द्वारा प्राप्त दरों में न्यूनतम दर मैसर्स रूपा कान्ट्रेक्ट एण्ड सप्लायर्स फर्म द्वारा 1450/- रुपये प्रति मीटर लम्बाई में दी गई जिसे अनुमोदित कर कार्यादेश जारी किया गया है, की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(प्रतियां व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स प्रा.लि. भीलवाड़ा का विक्रय प्रकरण

56. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा स्थित राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स प्रा.लि. (डालडा मिल) बी.आई.एफ.आर. द्वारा पुनः निर्माण योजना हेतु सी.सी.पी.एल. कम्पनी को आबंटित की गई है? यदि हां, तो कुल कितनी राशि में डालडा मिल की बिक्री हुई?

(2) क्या यह भी सही है कि जनवरी, 2010 को जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा उक्त मिल की कम राशि पर विक्रय (आबंटन) किये जाने का कोई शिकायती पत्र प्रमुख शासन सचिव, उद्योग को लिखा था? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा स्थित मेवाड़ मिल के आरक्षित दर से कम राशि में विक्रय किये जाने के संबंध में राज्य सरकार ने जांच का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो अब तक जांच में क्या प्रगति हुई?

उत्तर

(1) राजस्थान वनस्पति प्रोडक्टस प्रा. लि. भीलवाड़ा की भीलवाड़ा स्थित कम्पनी को 11 करोड़ रूपये मे विक्रय हेतु बीआईएफआर ने आदेश दिनांक 17.8.2006 से निर्देश दिये हैं।

(2) जी हां। पत्र की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में उप खण्ड अधिकारी, भीलवाडा के जिला कलक्टर को भेजे गए पत्र दिनांक 7.5.2003 तथा उद्योग विभाग द्वारा जिला कलक्टर को लिखे गए पत्र दिनांक 5.4.2007 की प्रतिलिपि परिशिष्ट-'ब' व 'स' पर उपलब्ध है।

(3) मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा की नीलामी भारत सरकार द्वारा गठित ऋण वसूली अधिकरण के न्यायिक निर्णय के तहत होने के कारण नीलामी का निर्णय राज्य सरकार की जांच का विषय नहीं होने से राज्य सरकार द्वारा नीलामी कार्यवाही को निरस्त करने हेतु ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली में अपील प्रस्तुत की गई है जो अभी उक्त अधिकरण में विचाराधीन है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

मुख्य अभियन्ता भरतपुर द्वारा सड़क मरम्मत कार्यों में अनियमितताएं

57. **श्रीमती अनीता सिंह** (नगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती अनीता सिंह)

(1) सरकार द्वारा विधायकों को मिसिंग लिंक व अन्य Reearpiting वगैरह कितने किलोमीटर तक करवाने हेतु कितना बजट मंजूर किया गया है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों के लिए भी कोई बजट का प्रावधान रखा गया है?

(3) क्या यह भी सही है कि मुख्य अभियंता द्वारा (भरतपुर में) उपरोक्त प्रत्याशियों से कोई अनुशंसा मांगी गई है? यदि हां, तो सरकार के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो मुख्य अभियंता ने ऐसा क्यों किया?

(4) क्या यह सही है कि पूर्व विधायक या विधान सभा के रहे प्रत्याशियों की अनुशंसा सड़कों के मरम्मत व अन्य कार्य जो विधायक की अनुशंसा पर सरकार करती है के समान ही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा विधायकों को मिसिंग लिंक व अन्य नवीनीकरण कार्यों हेतु कोई बजट मंजूर नहीं किया गया है। बल्कि स्वीकृति के समय विधायकों की अनुशंसा पर भी विचार किया जाता है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

धौलपुर जिले में औद्योगिक विकास हेतु विशेष योजना

58. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा धौलपुर को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किया गया है और निवेश को प्रोत्साहन की दृष्टि से रीको द्वारा आबंटित भू-खण्डों को उत्पादन शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु प्रोत्साहन पैकेज लागू करने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो आबंटित कितने भू-खण्डों पर वर्तमान में उत्पादन कार्य चल रहा है? उद्योग व उद्योगपति का नाम और उसका स्थायी एवं अस्थायी पते का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अब्दुल सगीर खां)

(2) क्या यह सही है कि रीको द्वारा आबंटित अनेकों भू-खण्डों पर कई वर्षों से उत्पादन कार्य बंद है? यदि हां, तो ऐसे समस्त भू-खण्ड मालिकों और भू-खण्डों का विवरण मय पते के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त भूखण्ड मालिकों के भू-खण्ड वापस लेकर अन्य इच्छुक उद्योगपतियों को आबंटित करने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के मुख्यमंत्री के बजट भाषण के अनुरूप प्रोत्साहन पैकेज को लागू कर दिया है? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। धौलपुर जिले के अधीन औद्योगिक क्षेत्र ओडेला रोड में 74 इकाइयों में, ग्रोथ सेन्टर धौलपुर में 29 इकाइयों में, ग्रोथ सेन्टर (विस्तार) धौलपुर में 8 इकाइयों में, बाडी में 8 इकाइयों में पुराना औद्योगिक क्षेत्र धौलपुर में 20 इकाइयों में वर्तमान में उत्पादन कार्य चल रहा है। उद्योग के उद्योगपतियों का विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट 'अ' में दिया जा रहा है।

(2) जी हां। रीको द्वारा आबंटित जिन भूखण्डों पर कई वर्षों से उत्पादन कार्य बन्द है, ऐसे भूखण्ड एवं उनके मालिकों का विवरण मय पते संलग्न सूची परिशिष्ट 'ब' में दिया जा रहा है।

(3) आबंटित भूखण्ड पर एक बार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के पश्चात यदि इकाई बंद हो जाती है तो इस कारण से भूखण्ड को निरस्त कर अन्य उद्यमी को आबंटित करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(4) बजट घोषणा के अनुरूप प्रोत्साहन पैकेज की योजना की स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में गठित माथुर आयोग द्वारा निस्तारित प्रकरण

72. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा गठित माथुर आयोग के गठन को उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय ने अवैधानिक करार देते हुये जांच संबंधी प्रकरण लोकायुक्त राजस्थान को भेजने के निर्देश दिये थे? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या लोकायुक्त एक्ट के तहत लोकायुक्त को पूर्व मुख्य मंत्री, पूर्व मंत्री व सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की जांच का अधिकार प्राप्त है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) माथुर आयोग में प्रदेश के नगर सुधार न्यासों, प्राधिकरणों की भू उपयोग परिवर्तन, 90बी, ले आउट प्लान, भवन निर्माण से संबंधित कार्यों की कितनी पत्रावली भेजी गई तथा इन पत्रावलियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश दिनांक 23.5.2011 द्वारा माथुर आयोग को संदर्भित जांच संबंधी प्रकरण मा. लोकायुक्त राज. को प्रेषित किये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(2) जी नहीं।

(3) माथुर आयोग में प्रदेश के नगर सुधार न्यासों, प्राधिकरणों की भू उपयोग परिवर्तन, 90 बी, ले आउट प्लान, भवन निर्माण से संबंधित कार्यो की 570 पत्रावलियां प्राप्त हुई । जस्टिस एन. एन. माथुर आयोग के जांच संबंधित कार्य-कलापों पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 4 नवम्बर, 2009 को जारी कर दिये जाने के कारण आयोग द्वारा कार्यवाही रोक दी गई । कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार आगे आयोग द्वारा कोई कार्यवाही होना नहीं पाया गया है ।

राज्य में आशुलिपिक भर्ती परीक्षा हेतु संशोधित नियम

73. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गोपाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि आशुलिपिक भर्ती परीक्षा में आर.के.सी.एल. द्वारा मान्यता प्राप्त वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा से जारी आर.एस.सी.आई.टी. प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त सर्टिफिकेट को उक्त परीक्षा हेतु मान्यता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आशुलिपिक की कार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आशुलिपिक भर्ती परीक्षा में द्वितीय चरण परीक्षा (आशुलिपि) की परीक्षा के अंक प्रारम्भिक परीक्षा (लिखित) के अंकों से ज्यादा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आशुलिपिक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा (लिखित) उत्तीर्ण करने पर द्वितीय चरण परीक्षा (आशुलिपि) में हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों प्रकार की आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार नियमों में संशोधन कर अभ्यर्थियों को उक्त भर्ती परीक्षा में हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में से किसी एक आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने का विकल्प देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि आशुलिपिक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाने की कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है।

(2) जी नहीं। यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है।

(3) जी हां। यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है।

जी नहीं। यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है।

(4) जी हां। प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र में संचालित शराब की अवैध दुकानें

74. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं एवं अन्य जनपयोगी

(श्री नन्दलाल मीणा)

स्थानों से शराब की दुकानों की दूरी निर्धारित करने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में शराब की ऐसी दुकानें कहां-कहां स्थित हैं, जो उक्त नियमों पर अतिक्रमण करती हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त नियम विरुद्ध शराब की दुकानों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में शराब की दुकानों की स्वीकृति राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के अनुसार स्वीकृत की जाती हैं। नियम 75 की प्रति परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में मदिरा की ऐसी कोई दुकान स्वीकृत नहीं है जो कि उक्त नियमों का अतिक्रमण करती हो।

(3) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में उक्त नियम के विरुद्ध शराब की कोई दुकान संचालित नहीं है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75-दुकानों की अवस्थिति

75(1) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा या भारत निर्मित विदेशी मदिरा या हैम्प औषधियों के खुदरा विक्रय का लाइसेन्सधारी अपनी दुकान केवल संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही रखेगा।

(2) देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा विक्रय की दुकान महाविद्यालयों, सीनियर माध्यमिक विद्यालय सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, अस्पताल, पूजास्थल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, कारखाना या श्रमिक अथवा हरिजन कालोनी से 200 मीटर की दूरी के अन्दर अवस्थित नहीं होगी।

(3) खुदरा विक्रय के लिये दुकान जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली नहीं जायेगी।

(4) जिला आबकारी अधिकारी पर्याप्त कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् किसी दुकान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल सकेगा और दुकान बदलने के लिये लाइसेंसधारी को कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

परन्तु यह कि आबकारी आयुक्त द्वारा पर्याप्त कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में उपरोक्त शर्तों में छूट प्रदान की जा सकेगी।

(नोट : राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2008 दिनांक 21.01.2009 से राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75(2) के अन्तर्गत शिथिलता प्राप्त कर राज्यभर में शिथिलता के अन्तर्गत संचालित दुकानों के आदेश को प्रत्याहरित (Withdraw) करने के निर्देश प्रदान किये थे इसकी पालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प.32(बी)(42) आब/एल/2006/2612 दिनांक 21.01.2009 से राज्य में नियम 75 के अन्तर्गत प्रदत्त शिथिलता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया गया।)

(5) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, हैम्प औषधियों के खुदरा विक्रय के लिये दुकान नेशनल हाइवे या स्टेट हाइवे के मध्य के दोनों ओर 150 मीटर की दूरी के अन्दर अवस्थिति नहीं होगी लेकिन यह शर्त नगर निगम, नगर परिषद् या नगरपालिका की सीमा में आने वाले क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण —

(1) नियम 75 के उपनियम (2) के उद्देश्य के लिये पूजा के स्थान से दुकान की दूरी के संबंध में प्रतिबन्ध एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में केवल उन्हीं स्थानों के लिये लागू होंगे जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली सूची में वर्णित होंगे।

(2) हरिजन कालोनी से तात्पर्य नगरपालिका के ऐसे वार्ड से है जिसमें अन्तिम जनगणना के अनुसार वार्ड की समस्त जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जाति के हों।

(3) महाविद्यालय या सीनियर सैकन्डरी स्कूल स्तर के विद्यालयों से भिन्न शैक्षणिक संस्थापन के समीप स्थित कोई दुकान संस्थान के बंद होने के कम से कम एक घंटे पश्चात् खोली जावेगी।

(4) नियम 75 के उप नियम (2) के उद्देश्य के लिये मनोरंजन स्थान से तात्पर्य केवल थियेटर अथवा सिनेमा हाल से है।

कोटा स्टोन की स्लरी के निस्तारण हेतु डम्पिंग यार्ड

75. **श्री भवानी सिंह राजावत** (लाडपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा के रीको क्षेत्र में संचालित कोटा स्टोन फैक्ट्रियों के लिये डंपिग यार्ड नहीं होने के कारण फैक्ट्रियों की स्लरी का निस्तारण नहीं हो पा रहा है? क्या उक्त कारण इन फैक्ट्रियों के सामने गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है और कोटा की अनेक कोटा स्टोन फैक्ट्रियां बन्द हो गई हैं तथा शेष बंद होने की कगार पर हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उद्योगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के रीको दायित्व को दृष्टिगत रखते हुये सरकार ने उक्त समस्या के निराकरण हेतु कोई कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको के नियमों में रीको द्वारा डम्पिंग यार्ड हेतु भूमि उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी उद्यमियों एवं एसोसियेशन की मांग पर रीको ने अतिरिक्त सुविधा के रूप में इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में रोड नं. 5 एवं 7 पर वर्तमान में दो जगह डम्पिंग यार्ड हेतु भूमि चिन्हित की हुई है। यहां पर उद्यमियों के द्वारा कोटा स्टोन स्लरी का निस्तारण किया जा रहा है।

(2) डम्पिंग यार्ड रीको द्वारा उपलब्ध करवायी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं में शामिल नहीं है। फिर भी रीको द्वारा उद्यमियों की मांग पर विचार करते हुए इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में डम्पिंग यार्ड की व्यवस्था की है तथा उद्यमियों द्वारा इसमें स्लरी का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रश्न संख्या-76

(स्थगित)

धौलपुर जिले में एकल खिड़की योजना

77. **श्री अब्दुल सगीर खां** (धौलपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जिला धौलपुर में एकल खिड़की योजना शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

धौलपुर जिले सहित राज्य के सभी जिलों में 10 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश हेतु एकल खिड़की योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से शुरू कर दी गई है।

रजतगृह कालोनी बूंदी शहर में नाली निर्माण कार्य

78. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी शहर की नैनवा रोड स्थित रजतगृह कालोनी जिसमें 665 मकान बन चुके हैं, में नाली निर्माण हेतु जन सहभागिता योजना में कालोनी समिति की ओर से निवेदन किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त कॉलोनी में नाली निर्माण की योजना बनाई गई है?

(2) क्या सरकार जन सहभागिता के तहत उक्त कालोनी में नाली निर्माण की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। रजतगृह कालोनी में जन सहभागिता योजना के तहत नाली निर्माण की योजना बनायी गयी है।

(2) जी हां । नाली निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रकियाधीन है।

मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष विचाराधीन भू-आबंटन प्रकरण

79. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष गत दो वर्षों में रियायती दर पर भूमि आबंटन के कितने व किन-किन संस्थाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए व इनमें से कितने आवेदकों को भूमि आबंटन की गई एवं कितनों के आवेदन निरस्त किये गये और आवेदन निरस्त करने के क्या-क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आबंटियों में किस-किस को कितनी-कितनी भूमि किस-किस दर पर एवं किस-किस प्रयोजन के लिए आबंटित की गई? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष गत दो वर्षों में रियायती दर पर भूमि आबंटन के 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 7 संस्थाओं को भूमि आबंटित किये जाने का, 3 संस्थाओं के प्रकरण मंत्रिमण्डल के समक्ष रखे जाने का, 1 प्रकरण को स्थगित रखे जाने का एवं 1 संस्था के प्रस्ताव को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है । एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 30.6.11 का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) मंत्रिमण्डल एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 30.6.11 के द्वारा भूमि आबंटित की गयी संस्थाओं का नाम, क्षेत्रफल, दर एवं प्रयोजन का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

आसीन्द व गुलाबपुरा नगरपालिकाओं द्वारा सम्पादित कार्य

80. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 2009-10 व 2010-11 में नगरपालिका आसीन्द एवं गुलाबपुरा में प्रतिवर्ष कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के करवाये गये तथा वर्तमान में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के अब होने शेष हैं? प्रत्येक वार्ड के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2009-10 व 2010-11 में नगरपालिका आसीन्द एवं गुलाबपुरा द्वारा करवाये गये कार्यों का राशिवार एवं वार्डवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर एवं शेष रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

धाउवास ग्राम (जयपुर) में आबंटित भूखण्डों का डिमार्केशन

81. श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विधान सभा कर्मचारियों को ग्राम धाउवास, अजमेर रोड, जयपुर के दूसरे चरण में विधान सभा नगर विस्तार योजना में अधिकारियों/कर्मचारियों को भूखण्डों की लाटरी दिनांक 19-3-2007 द्वारा आबंटन किया गया था? यदि हां, तो मास्टर प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के भूखण्ड संख्या 1, 2, 185, 188, 190 एवं अन्य का खसरा सीमा निर्धारण नहीं होने के कारण डिमार्केशन कार्य नहीं किये जाने से कब्जा पत्र एवं लीजडीड जारी नहीं की जाकर प्राधिकरण द्वारा उक्त भूखण्डधारियों को इसी योजना के अन्य रिक्त भूखण्डों में से विनिमय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया कब प्रारम्भ की गई एवं वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, इसके पांच वर्ष विलम्ब के क्या कारण रहे तथा इसको कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? विलम्ब के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा खसरा सीमा निर्धारित नहीं होने के बावजूद लाटरी निकालकर भू-खण्डों के आबंटन को उचित मानती है? यदि हां, तो किस आधार पर एवं नियमों के अन्तर्गत एवं नहीं, तो क्या सरकार गैर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त पीड़ित भूखण्डधारियों को इसी योजना में अन्य भूखण्ड आबंटित कर कब्जा पत्र लीज डीड जल्दी ही जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। योजना प्लान की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त योजना के भूखण्ड संख्या 1, 2, 185, 188, 190 एवं अन्य का खसरा सीमा निर्धारण नहीं किये जाने से कब्जा पत्र एवं लीज डीड जारी नहीं की जा सकी थी। अब भूखण्ड संख्या 185, 188, 190 का डिमार्केशन कर दिया गया है तथा इन भूखण्डों का कब्जा पत्र, लीज डीड जारी करने की शीघ्र ही कायर्वाही की जा रही है। भूखण्ड संख्या 1 व 2 के क्षेत्र की कुछ भूमि पर अन्य खातेदार द्वारा कब्जा किया हुआ था, अब उक्त खातेदार द्वारा दिनांक 13.07.2011 को एक समर्पणनामा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उक्त भूखण्डों के क्षेत्रफल को पूर्ण करने के लिये जो भूमि कम पड़ रही है वह उनके द्वारा नि:शुल्क समर्पित कर दी जावेगी। भूखण्ड संख्या 1 व 2 का वह भाग जो खातेदार से अवाप्त किये हुये भाग में है किन्तु खातेदार द्वारा उक्त क्षेत्र में खेती की जा रही है तथा अवाप्ति के बदले मुआवजा दिये जाने की मांग की जा रही है, इस संबंध में प्रकरण प्रक्रियाधीन है। निर्णय होने के पश्चात इन दोनों भूखण्डों का कब्जा दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

इन भूखण्डों का कब्जा दिये जाने में जो विलम्ब हो रहा है, उसमें प्राधिकरण द्वारा अवाप्ति के तहत भूमि का स्वामित्व अपना मानते हुए लाटरी द्वारा आबंटन किया गया था, परन्तु उपरोक्त कारणों से भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं होने के कारण भूखण्डों का कब्जा दिये जाने में विलम्ब हुआ है।

(3) भूखण्ड संख्या 1, 2, 185, 188, 190 की भूमि प्राधिकरण की अवाप्तिशुदा भूमि होने के कारण लाटरी निकालकर, आबंटन की कार्यवाही योजना के अन्य भूखण्डों के समान की गई थी। परन्तु अन्य व्यक्तियों द्वारा खसरा सीमा का विवाद तथा मौके पर भौतिक कब्जा प्राप्त करने में कठिनाई होने के कारण विलम्ब हुआ है। इसमें किसी विशिष्ठ अधिकारी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता एवं कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(4) वस्तुस्थिति बिन्दु संख्या-2 के अनुसार है। इस संबंध में शीघ्र ही अवशेष भूखण्डधारियों को कब्जा पत्र व लीज डीड जारी की जावेगी।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा (जयपुर) बाइपास आवास योजना में भूखण्ड का लीज डीड प्रकरण

82. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाइपास जयपुर में आवासीय भूखण्ड आबंटित किये थे? यदि हां, तो किस वर्ष में और कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में प्लाट नं. ए/220 किसके नाम से आबंटित किया गया था?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्लाट का कब्जा आबंटी को सुपुर्द कर दिया गया था? यदि हां, तो कब?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त प्लाट का कब्जा सुपुर्द करने के पश्चात् भी काफी समय तक लीज डीड नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि आबंटी ने लीज डीड जारी करने में देरी होने पर जयपुर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर किया व न्यायालय ने आबंटी के पक्ष में निर्णय देते हुए प्राधिकरण को जुर्माना अदा करने का आदेश दिया था? यदि हां, तो कितना? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

(6) क्या उक्त आवासीय योजना में आबंटित भूखण्डों पर अभी तक भी भवन निर्माण नहीं करने पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पुनर्ग्रहण/जुर्माना राशि लागू करने का प्रावधान है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत और पुनर्ग्रहण/जुर्माना राशि कब से व कितनी लागू होगी तथा राशि जमा करवाने के पश्चात् निर्माण कार्य कब से शुरू करवाना होगा? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(7) क्या उक्त योजना में देरी से लीज डीड जारी होने के कारण भी पुनर्ग्रहण/जुर्माना राशि लागू होगी? यदि हां, तो क्यों, कब से व कितनी?

(8) क्या प्राधिकरण पुनर्ग्रहण राशि जमा नहीं कराने वाले भूखण्ड आबंटन के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व किन नियमों के तहत?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1985 में 483 भूखण्ड लाटरी द्वारा आबंटित किए गये थे। आबंटियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) प्लाट नं. ए/220 श्री एम. बनर्जी ने दिनांक 28.06.1990 को जरिये नीलामी खरीदा था। जिसका आबंटन पत्र दिनांक 20.08.1990 को जारी किया गया था।

(3) उक्त प्लॉट का कब्जा आबंटी को दिनांक 23.10.1990 को दिया गया था।

(4) जी। हां। प्राधिकरण द्वारा मांगी गई राशि आबंटी द्वारा नियत अवधि में जमा नहीं कराने के कारण लीजडीड जारी नहीं की गई थी।

(5) जी। हां। 2500/- रु. का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया था। निर्णय की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(6) जी हां। राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974(4) के तहत नीलामी में विक्रय किए गए भूखण्डों के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण के परिपत्र दिनांक 07.07.2011 के द्वारा भूखण्ड का कब्जा देने की तिथि से 3 वर्ष तक निर्माण नहीं करने पर प्रचलित आरक्षित दर का 2.5 प्रतिशत दर से प्रतिवर्ष पुर्नग्रहण शुल्क लेकर 10 वर्ष तक नियमन करने का प्रावधान है। राशि जमा करवाने के पश्चात पुर्नग्रहण शुल्क की दी गई अनुमति अवधि के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण करना होता है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(7) जी हां। पुर्नग्रहण राशि कब्जा सुपुर्द करने के पश्चात 3 वर्ष तक निर्माण नहीं करने पर लागू होती है। उक्त भूखण्ड के संबंध में पुर्नग्रहण राशि दिनांक 23.10.1993 से व प्रचलित आरक्षित दर का 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय होगी, लेकिन इस प्रकरण में 10 वर्ष से अधिक समय हो जाने के कारण शहरी भूमि निस्तारण नियम 31 के अन्तर्गत राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात ही पुर्नग्रहण राशि जमा कर भूखण्ड नियमित किया जा सकेगा।

(8) जी हां। राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने का विचार रखते हैं।

(सूची व प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

कानोता ग्राम पंचायत (जयपुर) से प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति

83. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी, जिला जयपुर की ग्राम पंचायत कानोता से जयपुर विकास प्राधिकरण को कौन-कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों में से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं एवं शेष प्रस्ताव कब तक स्वीकृत कर दिये जावेंगे? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी, जिला जयपुर की ग्राम पंचायत कानोता से जयपुर विकास प्राधिकरण को कुल 17 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त प्राप्त प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

पंचायत-कानोता, तहसील-बस्सी से प्राप्त प्रस्तावों की सूची

क्र. सं.	प्राप्त प्रस्तावों का विवरण	प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3
1.	शहीद की पुलिया के पास शमशान भूमि के लिए खसरा नं. 830/2 रकबा 16 बीघा वन विभाग की भूमि में से 2 बीघा भूमि ग्राम पंचायत कानोता को आबंटित करने बाबत प्रस्ताव संख्या 29	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
2.	ग्राम पंचायत कानोता को खसरा नं. 394 रकबा 100 बीघा 7 बिस्वा किस्म चारागाह में से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जविप्रा खाते से 30 बीघा भूमि आबंटित करने बाबत (प्रस्ताव संख्या 17)	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
3.	ग्राम पंचायत कानोता को ढूंढ नदी में चल रहे शमशान भूमि के लिए जविप्रा की खातेदारी गै. मु. नदी खसरा नं. 1/1 रकबा 42.09 बीघा में से 4 बीघा भूमि आबंटन बाबत (प्रस्ताव संख्या 19)	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
4.	ग्राम पंचायत कानोता को देवा की ढाणी में शमशान भूमि के आबंटन जविप्रा के खाते के खसरा नं. 829 रकबा 25.10 बीघा किस्म गै. मु. पाल में से 2 बीघा भूमि के आबंटन बाबत (प्रस्ताव संख्या 20)	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
5.	ग्राम पंचायत कानोता को रघुनाथपुरा ढाणी शमशान हेतु खसरा नं. 235 रकबा 256.05 बीघा किस्म चरागाह जविप्रा की भूमि से 2 बीघा भूमि शमशान के लिए आबंटन बाबत (प्रस्ताव संख्या 21)	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

1	2	3
6.	ग्राम पंचायत कानोता आबादी विस्तार के लिए जविप्रा की भूमि खसरा नं. 177 रकबा 34.02 बीघा किस्म चरागाह बंजड़ गै. मु. भूमि में से 10 बीघा भूमि के आबंटन गाड़ियों लुहारों हेतु (प्रस्ताव संख्या 18)	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
7.	ग्राम पंचायत कानोता में रघुनाथपुरा जोगियों की ढाणी में शमशान के भूमि के लिए जविप्रा की भूमि ख. नं. 223 रकबा 34.15 बीघा किस्म चरागाह में से शमशान हेतु 2 बीघा भूमि आबंटन बाबत (प्रस्ताव संख्या 28)	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
8.	ग्राम पंचायत कानोता आबादी विस्तार हेतु जविप्रा की भूमि खसरा नं. 223 रकबा 34.15 बीघा किस्म चरागाह भूमि में से 10 बीघा भूमि के आबंटन बाबत (प्रस्ताव संख्या 4)	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
9.	प्रस्ताव संख्या 25 आगरा रोड से रामराय हल्दिनियां के मकान खसरा नं. 874 आम रास्ते पर जविप्रा से सी.सी. रोड स्वीकृत करवाने बाबत।	सड़क का कार्य प्राथमिकता एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय कर करवाये जायेंगे।
10.	सीमेन्ट सड़क निर्माण आगरा रोड से सदर बाजार वाया कानोता मुख्य ग्राम तक।	सड़क का कार्य प्राथमिकता एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय कर करवाये जायेंगे।
11.	सीमेन्ट सड़क निर्माण सदर बाजार से तेजाजी की बगीची कानोता वाया धानका मोहल्ला ग्राम कानोता।	सड़कों के कार्य उपयोगिता अनुसार स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।
12.	सीमेन्ट सड़क निर्माण सदर बाजार से चतुर्भुज मन्दिर वाया हल्दियों का मोहल्ला ग्राम कानोता।	सड़कों के कार्य उपयोगिता अनुसार स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।

1	2	3
13.	सीमेन्ट सड़क निर्माण बालाजी मन्दिर से मालियों का ढाणी ग्राम कानोता।	सड़कों के कार्य उपयोगिता अनुसार स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।
14.	सीमेन्ट सड़क निर्माण आगरा रोड से गायत्री आश्रम वाया खटीक मोहल्ला एवं गढ़ मोहल्ला तक ग्राम कानोता।	सड़क का कार्य प्राथमिकता एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय कर करवाये जायेंगे।
15.	सीमेन्ट सड़क निर्माण बोराजी की बगीची से शमशान घाट से ग्राम कानोता।	सड़क का कार्य प्राथमिकता एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय कर करवाये जायेंगे।
16.	सीमेन्ट सड़क निर्माण कोली मोहल्ला से बोराजी की बगीची तक ग्राम कानोता।	सड़क का कार्य प्राथमिकता एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय कर करवाये जायेंगे।
17.	सीमेन्ट सड़क निर्माण फलसे वाले (हनुमान जी) बालाजी से बलाइयों की ढाणी वाया ग्राम कानोता।	सड़क का कार्य प्राथमिकता एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय कर करवाये जायेंगे।

राजस्थान आवासन मण्डल की सामान्य पंजीकरण योजना के लम्बित प्रकरण

84. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल ने सामान्य पंजीकरण योजना में वर्ष 1979 एवं 1982 में मध्यम आय वर्ग के अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया था?

(2) क्या वर्ष 1979 की योजना में चालान फार्म नं. आर/79-65100 दिनांक 16-1-1980 से श्री किशन लाल शर्मा पुत्र श्री बाबू लाल शर्मा,

(श्री राजकुमार रिणवां)

कृष्णायतन बिल्डिंग आल इंडिया रेडियो के पास एम.आई. रोड, जयपुर ने सामान्य पंजीकरण योजना में पंजीकरण कराया? क्या उक्त को आवासन बोर्ड ने पंजीकरण का प्रमाण पत्र क्रमांक एच8/1539/जेपीआर/एल/79/3461, दिनांक 22-11-1980 जारी किया है?

(3) क्या वर्ष 1982 की योजना में फार्म नं. आर/82 चालान संख्या 80840 दिनांक 30-12-1982 से श्री गोविन्द राम शर्मा प्लान नं. 3 हाथी बाबू का बाग पोलोविक्ट्री के पास, जयपुर ने सामान्य पंजीकरण योजना में पंजीकृत कराया? क्या उक्त को आवासन बोर्ड ने पंजीकरण पत्र क्रमांक पी2187/एलआईजी/2/एचपी/82 जारी किया है?

(4) क्या यह सही है कि श्री किशनलाल शर्मा ने विज्ञप्ति के आधार पर हैसियत चेंज कराने हेतु चालान संख्या आर/82-17439 दिनांक 10-6-1982 से रुपये 2800/- और जमा कराये? क्या उक्त का पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 20-9-1983 जारी किया है?

(5) क्या यह भी सही है कि श्री गोविन्द राम शर्मा ने आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1401 दिनांक 18-10-2006 की अनुपालना में रुपये 34200/- और जमा कराये हैं?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रार्थियों को अत्यधिक समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् अब तक भूखण्ड/मकान आबंटित नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(7) क्या सरकार उक्त प्रार्थियों को अब भी पुरानी दर पर ही भूखण्ड/मकान आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 1979 एवं 1982 में मध्यम आय वर्ग के अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया था।

(2) जी हां। वर्ष 1979 की योजना में चालान फार्म नं. आर. 79-65100 दिनांक 16.01.1980 में श्री किशन लाल शर्मा पुत्र श्री बाबू लाल शर्मा ने सामान्य पंजीकरण योजना में रुपये 1800/- जमा कराकर पंजीकरण करवाया था।

जी हां। श्री किशन लाल शर्मा को आवासन मण्डल द्वारा पंजीकरण

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

प्रमाण पत्र क्रमांक एच8/1539/जेपीआर/एल/79/3461 दिनांक 22.11.1980 जारी किया था।

(3) जी हां। वर्ष 1982 की योजना में फार्म नं. आर 82 चालान सं. 88840 दिनांक 30.12.1982 से श्री गोविन्द राम शर्मा ने सामान्य पंजीकरण योजना में पंजीकरण करवाया था।

जी हां। गोविन्द राम शर्मा को आवासन मण्डल द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक पी.2187/एलआईजी/2/एचजी/82 जारी किया था।

(4) जी हां। यह सही है कि श्री किशन लाल शर्मा ने आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 1981 में संशोधित प्रक्रिया के तहत चालान सं. आर/82/17439 के द्वारा दिनांक 10.06.1982 को आय वर्ग परिवर्तन हेतु रुपये 2800/- जमा कराए थे।

जी हां। दिनांक 20.09.1983 को उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया था।

(5) जी हां। यह सही है कि गोविन्द राम शर्मा को आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1401 दिनांक 18.10.2006 के द्वारा पंजीकरण की अन्तर राशि, पुनर्जीवित शुल्क एवं पूर्वग्रहण राशि के पेटे रुपये 34,200/- जमा कराने हेतु सूचित किया गया था, किन्तु उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार श्री गोविन्द राम शर्मा ने वांछित राशि जमा नहीं कराई है।

(6) (i) जी हां। श्री किशन लाल शर्मा द्वारा पूर्वग्रहण राशि जमा नहीं कराने के फलस्वरूप उनका पंजीकरण दिनांक 29.03.2000 को निरस्त कर दिया गया है। अतः श्री किशन लाल शर्मा को आवास आबंटन नहीं किया गया है।

(ii) जी हां। श्री गोविन्द शर्मा द्वारा वांछित राशि जमा नहीं कराने के फलस्वरूप उनको आवास आबंटित नहीं किया गया है।

(7) जी नहीं। उक्त दोनों आवेदकों द्वारा वांछित राशि जमा नहीं कराने के कारण आवास आबंटन किया जाना सम्भव नहीं है।

राजस्थान आवासन मण्डल को प्राप्त लीज राशि

85. श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान आवासन मण्डल ने पिछले 10 वर्षों में कितनी लीज राशि जमा की तथा कितनी लीज राशि राजकोष में जमा कराई?

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

(2) यदि कोई लीज राशि राजकोष में नहीं जमा करायी तो क्यों?

(3) क्या राजस्थान आवासन मण्डल और आवासन विभाग के मध्य लीज राशि राजकोष में जमा न कराने का समझौता हुआ है? यदि हां, तो समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या आवासन विभाग बिना सरकार की अनुमति के राजस्व की इस तरह की राशि राजकोष में जमा न कराने का समझौता कर सकता है? यदि हां, तो नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल में पिछले 10 वर्षों में जमा हुई लीज राशि का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :-

		राशि लाखों में
1.	2000-01	230.65
2.	2001-02	429.52
3.	2002-03	551.99
4.	2003-04	535.93
5.	2004-05	914.19
6.	2005-06	778.51
7.	2006-07	1584.76
8.	2007-08	990.76
9.	2008-09	1227.69
10.	2009-10	1885.33

मण्डल द्वारा लीज राशि की कोई राशि राजकोष में जमा नहीं करवाई गई है।

(2) राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 के नियम 40 के उप नियम 4 के अनुसार आवासन मण्डल के द्वारा वसूली गई समस्त राशि मण्डल द्वारा अपनी आय मानी जाती है। अतः लीज राशि राजकोष में जमा नहीं करायी जाती है।

(3) जी नहीं ।

(4) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा संकलित लीज राशि को मण्डल की आय माने जाने का जो आधार लिया गया है उस पर वित्त विभाग द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।

नगर विकास न्यास, अलवर में अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

86. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर विकास न्यास अलवर में किस-किस श्रेणी में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कौन से पद कब से रिक्त हैं? क्या यह सही है कि अधिकारियों के पद रिक्त होने से लोगों के काम समय पर पूरे नहीं हो रहे हैं?

(2) नगर विकास न्यास, अलवर में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं तथा किस-किस अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कौन-कौन सी शिकायत अथवा प्रकरण कब से विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नगर विकास न्यास अलवर द्वारा गत दो वर्षों में कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये तथा इन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है तथा इनके पर्यवेक्षण हेतु कौन-कौन तकनीकी अधिकारी नियुक्त थे? उक्त कार्यों की गुणवत्ता मापने के लिए यूआईटी के पास क्या-क्या संसाधन हैं तथा इन कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, अलवर में स्वीकृत पदों की श्रेणीवार व रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। न्यास के अधिकारियों के पद रिक्त होने से लोगों के काम समय पर पूरे करने में काफी कठिनाई आ रही है। परन्तु अन्य अधिकारियों से अतिरिक्त कार्य करवाया जाकर कार्य समय पर पूर्ण करवाये जा रहे हैं।

(2) नगर विकास न्यास, अलवर में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। न्यास के कार्यरत जिस-जिस अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत अथवा प्रकरण विचाराधीन है का विवरण भी परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा गत दो वर्षों में कराए गए निर्माण कार्यों की सूची परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। उक्त कार्यों के निष्पादन के दौरान पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त तकनीकी अधिकारी नियुक्त थे, जिनकी सूची परिशिष्ट "य" पर संलग्न है। इन कार्यों की गुणवत्ता मापने के लिये न्यास

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

द्वारा गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशाला स्थापित की हुई है। जिसमें आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। इन कार्यों की वर्तमान स्थिति सन्तोषजनक है।

(सूचियां व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

देवली व उनियारा तहसीलों के ग्रामों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति

87. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मुण्डिया खुर्द सहित विभिन्न 6 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के लिये निर्मित क्षेत्रीय जल योजना पोल्याड़ा-धांधोली जिला टोंक का कार्य नवम्बर, 2009 में पूर्ण कर लिया जाने के उपरान्त भी खारे एवं फ्लोराइड युक्त पानी वाले ग्राम मुण्डिया खुर्द में निर्मित पानी की टंकी में पानी नहीं पहुंच पा रहा है? यदि हां, तो क्यों तथा क्या ग्राम मुण्डिया खुर्द को तथा पेयजल समस्याग्रस्त क्षेत्र के अन्य ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के लिये समीप के ग्राम नेगड़िया (राजमहल) से पानी का स्रोत तैयार कर पानी पहुंचाये जाने पर विचार किया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तहसील क्षेत्र देवली तथा उनियारा के विभिन्न ग्रामों में विभिन्न योजनान्तर्गत निर्मित पानी की टंकियों में पानी उपलब्ध नहीं होने से खाली रह रही हैं? यदि हां, तो किस-किस ग्राम की तथा उनमें पानी पहुंचाया जाने के लिये क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है?

(3) उक्त क्षेत्र के पेयजल समस्याग्रस्त ग्राम मुण्डिया खुर्द एवं कंवरपुरा (धाकड़ियावास) सहित विभिन्न ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के लिये सरकार द्वारा कब तक क्या कार्यवाही की जाकर किस तारीख तक पेयजल उपलब्ध करवा दिया जावेगा व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां । क्षेत्रीय जल योजना पोल्याड़ा-धांधोली, जिला टौंक की स्वीकृति में ग्राम मुण्डिया खुर्द सहित सम्मिलित कुल 4 ग्राम एवं एक ढाणी को पेयजल से लाभान्वित किया जाकर माह नवम्बर, 2009 से अप्रैल, 2011 तक नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति की गई । वर्ष 2011 की ग्रीष्म ऋतु में योजना के स्रोत ग्राम पोल्याड़ा में नाले के किनारे एनिकट के समीप निर्मित तीन खुले कुओं में पानी की उपलब्धता अत्यन्त कम होने के कारण (एनिकट

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

में पानी उपलब्ध नहीं होने से) उक्त ग्राम एवं ढाणियों में माह मई, 2011 से क्षेत्रीय योजना से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है । वर्ष 2011 के मानसून में हुई वर्षा के कारण उक्त खुले कुओं में अब पानी की आवक प्रारम्भ होने से योजना के स्रोतों को इसी माह में चालू कर उक्त ग्राम एवं ढाणियों में पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा । अतः नेगड़िया (राजमहल) में स्रोत प्रस्तावित किया जाकर ग्राम मुण्डिया खुर्द सहित शेष ग्राम/ढाणी को वर्तमान संदर्भ में पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

(2) जी हां । वांछित विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है ।

(3) उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय जल योजना पोल्याड़ा-धांधोली के जल स्रोतों (तीन खुले कुएं) को इसी माह में चालू कर पेयजल समस्याग्रस्त ग्राम मुण्डिया खुर्द एवं अन्य 3 ग्राम एवं एक ढाणी को इसी माह में पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा । तहसील देवली का ग्राम कंवरपुरा (धाकड़ियावास) विभागीय हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित है तथा ग्राम में जनसंख्या अनुरूप (जनसंख्या वर्ष 2001=246 एवं वर्तमान अनुमानित जनसंख्या=350) दो हैण्डपम्प वर्तमान में क्रियाशील हैं ।

परिशिष्ट- "अ"

तहसील क्षेत्र देवली एवं उनियारा के ग्रामों में विभिन्न योजना अन्तर्गत निर्मित जलाशयों जिनमें वर्तमान में पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, का विवरण

क्र. सं.	तहसील	जलयोजना का नाम	योजना में सम्मिलित ग्राम का नाम	आबादी वर्ष 2001	जलाशय में पानी नहीं पहुंचने का कारण	वर्तमान पेयजल आपूर्ति व्यवस्था विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	देवली	क्षेत्रीय पोल्याड़ा-धांधोली	पोल्याड़ा	860	ग्रीष्म, 2011 में योजना के स्रोत ग्राम पोल्याड़ा में नाले के किनारे एनिकट के समीप निर्मित तीन खुले कुओं में पानी की उपलब्धता अत्यन्त कम होने के कारण (एनिकट में पानी उपलब्ध नहीं होने से)	15 हैण्डपंप	तहसील देवली एवं उनियारा के वर्णित ग्राम बीसलपुर-टौंक-उनियारा की स्वीकृत वृहद् पेयजल परियोजना में सम्मिलित हैं।
			धांधोली	326		7 हैण्डपंप	
			मुण्डिया खुर्द	183		4 हैण्डपंप	
			सिरोही	734		9 हैण्डपंप	
2.	देवली	क्षेत्रीय नेगड़िया-चांदली	चांदली	2911	योजना के स्रोत ग्राम कासीर में दो खुले कुओं में पानी की कमी होने तथा अन्तिम छोर के ग्राम होने के कारण	17 हैण्डपंप	
			सेंधियावास	766		6 हैण्डपंप	
			पनवाड़	3352		22 हैण्डपंप	

1	2	3	4	5	6	7	8
			दोलता	608	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 के फोर लेन के निर्माण होने के कारण सड़क के नीचे आने से लाइन क्षतिग्रस्त होने से	4 हैण्डपंप	
			गोपीपुरा	160		3 हैण्डपंप	
3.	देवली	पंप एवं टैंक सांवतगढ़	सांवतगढ़	2830	ग्राम में निर्मित नलकूप सूखा होने से असफल	12 हैण्डपंप एवं 1 सिंगल फेस नलकूप	
4.	उनियारा	क्षेत्रीय खेड़ली–बालापुरा	बालापुरा	959	ग्राम खेड़ली में निर्मित खुला कुआं सूख जाने के कारण	9 हैण्डपंप	
5.	उनियारा	क्षेत्रीय सड़ा	सड़ा	473	ग्राम मोतिस की झोंपड़ी में निर्मित नलकूप सूख जाने के कारण	6 हैण्डपंप	
6.	उनियारा	क्षेत्रीय रूपवास-खेड़ा	खेड़ा	368	ग्राम मोतिस की झोंपड़ी में निर्मित नलकूप सूख जाने के कारण	7 हैण्डपंप	
7.	उनियारा	क्षेत्रीय हांसोलाई-श्योराजपुरा	हांसोलाई	187	ग्राम मोतिस की झोंपड़ी में निर्मित नलकूप सूख जाने के कारण	4 हैण्डपंप	

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	उनियारा	क्षेत्रीय केरोद-चितानी (जेजेवाई पैटर्न पर संचालित)	चितानी	310	ग्राम केरोद में निर्मित नलकूप में पानी की कमी होने एवं पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण	4 हैण्डपंप	
9.	उनियारा	क्षेत्रीय केरोद-सेदरी (जेजेवाई पैटर्न पर संचालित)	सेदरी	913	योजना की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण	10 हैण्डपंप	

किशनगढ़बास विधान सभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की प्रस्तावित दीर्घकालीन योजनाएं

88. **श्री रामहेत सिंह** (किशनगढबास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की योजनाओं के द्वारा गत तीन वर्षों में क्या-क्या कार्य कहां-कहां पर कितनी राशि व किस-किस योजना में स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय कर कौन-कौन से कार्य पूर्ण करवाये गये तथा कौन-कौन से कार्य किन कारणों से अपूर्ण रहें और अपूर्ण कार्यों को अब कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में विभाग की योजनाओं द्वारा गत दो वर्षों में लगाये गये सभी सिंगल फेस बोंरिगों पर विद्युत कनेक्शन कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो बचे हुए विद्युत कनेक्शनों को अब कब तक कर दिया जावेगा?

(4) उक्त क्षेत्र के कितने गांवों व कस्बों को पेयजल आपूर्ति हेतु संवेदनशील घोषित किये गये तथा इन स्थानों पर आपदा प्रबंधन के क्या प्रयास किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में पेयजल संकट के समाधान के लिए दीर्घकालिक योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वांछित विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है ।

(2) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' में निहित है । अपूर्ण रहे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(3) जी नहीं । वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में स्वीकृत 84 सिंगल फेस नलकूपों में से निर्मित 56 नलकूप निर्मित हुए हैं । इन निर्मित नलकूपों में से 20 नलकूपों पर विद्युत संबंध प्राप्त कर चालू किये जा चुके हैं, 33 नलकूपों पर विद्युत संबंध हेतु मांग पत्र राशि संबंधित निगम में जमा करा दी गई है एवं विद्युत संबंध जारी होना शेष है तथा 3 नलकूप निर्माण के दौरान असफल रहे। शेष 28 नलकूपों के निर्माण हेतु कार्यादेश संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आवेदित विद्युत संबंधों पर विद्युत संबंध शीघ्र प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं ।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(4) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के एक कस्बा खैरथल तथा पंचायत समिति, किशनगढ़बास एवं कोटकासिम के क्रमशः 106 व 115 ग्रामों में भू-जल उपलब्धता अनुरूप वर्तमान पेयजल व्यवस्था सुचारू एवं संतोषप्रद है। क्षेत्र की शहरी/ग्रामीण योजनाओं के लिये कार्यों की स्वीकृतियां आवश्यकतानुसार समय-समय पर सतत प्रक्रिया के तहत जारी की जा रही हैं।

(5) जी नहीं। उक्त क्षेत्र में पेयजल योजनाएं भू-जल स्रोतों पर आधारित हैं तथा क्षेत्र में पेयजल की कमी वाले स्थानों पर आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाई रखी जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

आसीन्द विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों पर व्यय

89. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में वर्ष 2009-10 व 2010-11 में पंचायतवार कौन-कौन से कार्य कब-कब करवाये गये तथा कितनी-कितनी राशि व्यय हुई व अब होगी तथा अब स्वीकृत कार्यों में कितनी राशि व्यय होनी शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की तहसील आसीन्द एवं हुरडा में वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में पंचायतवार पेयजल संबंधी कराये गये विभिन्न कार्यों पर व्यय की गई एवं शेष राशि के संदर्भ में विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	तहसील	व्यय राशि	शेष राशि
			(रु. लाख में)	
1.	2009-10	आसीन्द	42.74	32.90
	2010-11		289.65	
2.	2009-10	हुरडा	68.53	141.45
	2010-11		265.86	
		योग :	**666.78**	**174.35**

वांछित विस्तृत विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

अधिशासी अभियन्ता मारवाड़ जंक्शन व सोजत खण्ड (पाली) द्वारा पम्प सैट क्रय हेतु जारी निविदा

90. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड जंक्शन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली के मारवाड़ जंक्शन व सोजत खण्ड सोजत नगर में वर्ष 2010-11 में अधिशासी अभियंता द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार किस-किस डयूटी कंडीशन के कितने पम्प सेट कब-कब खरीद किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मुख्य अभियंता मुख्यालय जयपुर द्वारा पम्प सेट खरीदने की वार्षिक अनुबंध दर जारी करने के पश्चात् अधिशाषी अभियंता मारवाड़ जक्शन सोजत नगर द्वारा ठेकेदार को अपने स्तर पर से निविदा अनुमोदित कर वार्षिक अनुबंध से अधिक दरों पर आदेश देकर पम्प सेट खरीद किये हैं? यदि हां, तो कब व ठेकेदार को दिये गये आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पम्प सेट खरीदने हेतु अधिशासी अभियंता सोजत द्वारा निविदा अनुमोदन हेतु निविदा अनुमोदन (एलएस) में अधिकारी सक्षम नहीं होने के उपरांत भी निविदा अपने स्तर पर ही अनुमोदित कर पम्प सेट खरीदे गये? यदि हां, तो इन पम्प सेटों की खरीद से सरकार को कितनी राशि की हानि हुई है तथा इस हानि का कौन अधिकारी दोषी है? क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । वांछित विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विभाग की वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.09.2010 में वार्षिक दर अनुबंध पर पम्प सेट क्रय नहीं किये जाने संबंधी लिये गये निर्णय की पालना में मुख्य अभियंता (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 01.10.2010 को जारी परिपत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार अधिशासी अभियन्ता, खण्ड पाली एवं सोजत नगर द्वारा पम्प सेट उनके स्तर से क्रय किये गये । इस संबंध में 'शेड्यूल आफ पावर' में प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के परिपेक्ष्य में अनियमितता पाये जाने पर की गई खरीद की जांच की जायेगी । क्रय किये गये पम्प सेट सार्वजनिक निर्माण विभाग की बी.एस.आर. में वर्णित कैटेगरी-1

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

के अनुसार हैं तथा इस श्रेणी में सम्मिलित पम्प सेट की गुणवता एवं विशिष्टियां विभागीय वार्षिक दर अनुबंध से भिन्न होने के कारण दरों की तुलना नहीं की जा सकती है । आपूर्तिकर्ता फर्मों को दिये गये आदेशों की प्रति क्रमशः परिशिष्ट-'ब' व 'स' पर संलग्न है ।

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार ।

(विवरण व प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

जोधपुर जिले में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल की पेयजल आपूर्ति योजना

91. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में भविष्य की जलापूर्ति के मध्यनजर राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के उदगम स्थल मदासर के पास नया रिजरवायर बनाने की योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है एवं उक्त योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कायलाना एवं तखतसागर में कितने एमसी एफटी पानी का भण्डारण सम्भव है तथा आगामी दस वर्ष पश्चात् बढ़ती आबादी को देखते हुए कितने लाख गैलन पानी की आवश्यकता होगी और इसके इन्तजामात अभी से किस प्रकार किए जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त दोनों झीलों से जोधपुर के तीनों विधान सभा क्षेत्रों में कितना-कितना पानी दिया जा रहा है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) कायलाना एवं तखतसागर में वर्तमान में क्रमशः 170 तथा 280 एम.सी.एफ.टी. पानी का भण्डारण सम्भव है । जोधपुर शहर की आगामी 10 वर्ष की अभिकल्पित जनसंख्या हेतु 838 लाख गैलन प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होगी तथा राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल में उक्त जल मांग हेतु जल आरक्षण सुनिश्चित किया हुआ है ।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(3) वर्तमान में कायलाना एवं तखतसागर झीलों से जोधपुर के तीनों विधान क्षेत्र में उपलब्ध कराई जा रही पानी की मात्रा के संबंध में वांछित विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	जलापूर्ति मात्रा प्रतिदिन लाख गैलन
1.	शहर जोधपुर	180.00
2.	सरदारपुरा	145.00
3.	सूरसागर	140.00

जैसलमेर जिले में खेल मैदान व खेल छात्रावास की स्वीकृति

92. श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जिला जैसलमेर में खेल विद्यालय, खेल छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले की भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों, लोगों का रहन-सहन व खान-पान आदि खेल भावना को बढ़ावा देने हेतु सर्वथा उपयुक्त है? यदि हां, तो क्या यह सरकार जिला जैसलमेर में खेल विद्यालय व खेल छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में खेल मंत्री द्वारा खेल मैदान व छात्रावास खोले जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब व इस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) व (2) : जिला जैसलमेर में बास्केटबाल खेल छात्रावास का संचालन वर्ष 2004-05 से किया जा रहा है।

जैसलमेर में वर्तमान में खेल विद्यालय खोले जाने की कोई योजना नहीं है।

(3) जी नहीं। पायका योजना के अन्तर्गत प्रथम व द्वितीय चरण में परिशिष्ट 'क' पर संलग्न सूचीनुसार खेल मैदानों के विकास के लिए अवगत कराया गया था।

परिशिष्ट "क"

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (PYKKA)

विधान सभा क्षेत्रानुसार पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) के अन्तर्गत चयनित पायका खेल केन्द्रों की सूची

प्रथम चरण वर्ष 2008-09

विधान सभा क्षेत्र	जिला	तहसील	ब्लाक पंचायत	प्रथम चरण वर्ष 2008-09 में चयनित ब्लाक पंचायत	प्रथम चरण वर्ष 2008-09 में चयनित ग्राम पंचायत	मैदान विकास हेतु स्वीकृत राशि
पोकरण	जैसलमेर	पोकरण	जैसलमेर	—	नाचना	100000
	जैसलमेर	पोकरण	सांकरा	—	राजमथाई	100000
	जैसलमेर	पोकरण	सांकरा	—	रामदेवरा	100000
	जैसलमेर	पोकरण	सांकरा	—	सांकरा	100000

द्वितीय चरण वर्ष 2009-10

विधान सभा क्षेत्र	जिला	तहसील	ब्लाक पंचायत	द्वितीय चरण वर्ष 2009-10 में चयनित ब्लाक पंचायत	द्वितीय चरण वर्ष 2009-10 में चयनित ग्राम पंचायत	मैदान विकास हेतु स्वीकृत राशि
पोकरण	जैसलमेर	पोकरण	सांकड़ा	—	लाठी	
	जैसलमेर	पोकरण	सांकड़ा	मनियारन	—	

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (PYKKA)

विधान सभा क्षेत्रानुसार पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) के अन्तर्गत चयनित पायका खेल केन्द्रों की सूची

प्रथम चरण वर्ष 2008-09

विधान सभा क्षेत्र	जिला	तहसील	ब्लाक पंचायत	प्रथम चरण वर्ष 2008-09 में चयनित ब्लाक पंचायत	प्रथम चरण वर्ष 2008-09 में चयनित ग्राम पंचायत	मैदान विकास हेतु स्वीकृत राशि
जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर	—	मोहनगढ़	100000
	जैसलमेर	जैसलमेर	सम	—	रामगढ़	100000

द्वितीय चरण वर्ष 2009-10

विधान सभा क्षेत्र	जिला	तहसील	ब्लाक पंचायत	द्वितीय चरण वर्ष 2009-10 में चयनित ब्लाक पंचायत	द्वितीय चरण वर्ष 2009-10 में चयनित ग्राम पंचायत	मैदान विकास हेतु स्वीकृत राशि
जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर	—	सुलताना	
	जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर	—	नौखा	
	जैसलमेर	फतेहगढ़	सम	—	देवीकोट	

रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) जवाहर सागर अभयारण्य में संचालित अवैध क्रेशर

93. श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (बेगूं) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील रावतभाटा के जवाहर सागर अभयारण्य में कितने क्रेशर संचालित हैं? उक्त में से कितने क्रेशरों को स्टोन मेसनरी का लाईसेन्स खनन विभाग द्वारा जारी किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभयारण्य में अब तक किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब संचालित क्रेशरों का निरीक्षण कर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी व क्रेशर संचालक को दोषी मानती है? यदि हां, तो किसे व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील रावतभाटा के जवाहर सागर अभयारण्य क्षेत्र में 2 क्रेशर संचालित हैं ।

1. मै. सुनील स्टोन क्रेशर
2. मै. प्रगति स्टोन क्रेशर

उक्त क्रेशरों की अनुमति खान विभाग द्वारा जारी नहीं की जाती है । उपरोक्त में से मैसर्स प्रगति स्टोन क्रेशर के प्रोपराईटर श्री नितिन प्रतिहार के पक्ष में ग्राम जावरा खुर्द की गैर वन भूमि में खनिज मेसनरी स्टोन का एक खनन पट्टा जारी किया गया है । इसके अलावा उक्त क्रेशरधारकों द्वारा खनिज मेसनरी स्टोन के अल्पावधि अनुमति पत्र समय-समय पर विभाग से जारी कराए हैं उनका विवरण परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न हैं।

(2) उक्त क्रेशरों का निरीक्षण उप वन संरक्षक, वन्य जीव, कोटा एवं उप खण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 17.1.09 को किया गया, जिसके उपरान्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा आदेश दिनांक 20.1.09 से, क्रेशरों को किया गया भूमि आबंटन निरस्त किया गया। उक्त आदेश पर राजस्व अपील प्राधिकरण द्वारा स्थगन आदेश दिया गया। वन एवं राजस्व विभाग द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील की गई है, जो विचाराधीन है।

खान विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रायल्टी अपवंचन की

(राज्य मंत्री, खनिज)

रोकथाम के उद्देश्य से उक्त क्रेशरों पर निरीक्षण किए गए एवं नियमानुसार कार्यवाही की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट-3 पर अंकित है ।

(3) इस संबंध में विभाग का कोई अधिकारी दोषी नहीं है । क्रेशर संचालक के विरुद्ध, अवैध खनन किए जाने पर, कार्यवाही विभाग द्वारा परिशिष्ट-3 अनुसार की गई है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

जयपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के पश्चात् दर्ज आपराधिक प्रकरण

94. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में आयुक्त प्रणाली किस-किस शहर में कब लागू की गई एवं उसके पश्चात् किस-किस श्रेणी के कितने नये पद सृजित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के पश्चात् हत्या, अपहरण, लूट, चैन खींचने, बलात्कार एवं वाहन चोरी के कितने प्रकरण दर्ज हुए? पुलिस थानावार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आयुक्त प्रणाली लागू होने से आमजन की सुरक्षा में कोई इजाफा नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्यों एवं इस संबंध में सरकार क्या उपाय सुनिश्चित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर एवं जोधपुर शहर में आयुक्त प्रणाली लागू की गई नवसृजित पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जयपुर पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के पश्चात दर्ज प्रकरण की थानावार सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(विवरण व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

प्रदेश में पुलिस कर्मियों की भर्ती में अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदक

95. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अमीन खां)

(1) राज्य में वर्ष 2009 से जुलाई 2011 की अवधि में कुल कितने पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के कितने पुलिसकर्मी भर्ती किये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में उक्त अवधि में पुलिस भर्ती हेतु अल्पसंख्यक लड़कों के कितने आवेदन प्राप्त हुये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2009 से 2011 की अवधि में कुल 7670 पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई जिनमें से 2149 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति प्रदान की गई। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य में वर्ष अल्पसंख्यक वर्ग के कुल 111 पुलिसकर्मी भर्ती किये गये जिनमें से 30 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति प्रदान की गई । विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) राज्य में उक्त अवधि में पुलिस भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति में आवेदन पत्र के प्रारूप में अल्पसंख्यक वर्ग का कालम नहीं रखा गया है ना ही प्राप्त आवेदन पत्रों में अल्पसंख्यक अभ्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां प्राप्त हुई हैं।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	जिला	चयन सूची	नियुक्ति	अल्पसंख्यक वर्ग	
				चयन	नियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	281	14	1	2
2.	भीलवाड़ा	0	224	1	0
3.	नागौर	205	12	0	1
4.	टोंक	201	6	0	0
5.	जयपुर कमिश्नरेट	815	0	5	0
6.	जयपुर ग्रामीण	307	15	0	1
7.	झुन्झुनूं	41	0	0	0

1	2	3	4	5	6
8.	सीकर	102	0	0	0
9.	दौसा	109	6	0	0
10.	अलवर	162	12	7	0
11.	बीकानेर	152	9	3	0
12.	चूरू	146	0	0	0
13.	गंगानगर	467	0	25	12
14.	हनुमानगढ़	0	80	0	4
15.	भरतपुर	103	0	0	0
16.	सवाईमाधोपुर	0	129	0	1
17.	धौलपुर	101	0	1	0
18.	करौली	0	11	0	0
19.	जोधपुर शहर	0	216	0	0
20.	जोधपुर ग्रामीण	165	0	0	0
21.	जालौर	151	0	1	0
22.	जैसलमेर	196	0	2	0
23.	बाड़मेर	0	105	3	0
24.	पाली	245	0	1	0
25.	सिरोही	122	0	0	0
26.	कोटा शहर	127	9	6	0
27.	कोटा ग्रामीण	131	0	3	0
28.	बूंदी	0	6	0	0
29.	झालावाड़	144	0	2	0
30.	बारां	0	5	0	0

1	2	3	4	5	6
31.	उदयपुर	273	0	1	0
32.	बांसवाड़ा	114	0	2	0
33.	चित्तौड़गढ़	8	5	1	0
34.	डूंगरपुर	63	0	1	0
35.	राजसमंद	0	144	1	0
36.	प्रतापगढ़	0	267	0	0
37.	जीआरपी अजमेर	139	0	2	0
38.	जीआरपी जोधपुर	0	68	0	0
39.	वायरलेस	0	22	0	0
40.	सीआईडी (सीबी)	0	68	0	0
41.	सीआईडी (आईबी)	110	0	1	0
42.	आरएसी प्रथम जोधपुर	8	0	1	0
43.	आरएसी द्वितीय कोटा	20	0	1	0
44.	आरएसी तृतीय बीकानेर	10	0	1	0
45.	आरएसी चतुर्थ जयपुर	0	4	1	0
46.	आरएसी पांचवीं जयपुर	16	9	0	0
47.	आरएसी छठी धौलपुर	83	0	1	0
48.	आरएसी सातवीं भरतपुर	51	0	1	0
49.	आरएसी आठवीं दिल्ली	70	0	0	0
50.	आरएसी नवीं कोटा	14	11	2	2
51.	आरएसी दसवीं बीकानेर	0	32	0	1
52.	आरएसी ग्यारह दिल्ली	28	0	0	0

1	2	3	4	5	6
53.	आरएसी बारहवीं दिल्ली	41	3	3	0
54.	मेवाड़ भील कोर खैरवाड़ा	0	42	0	1
55.	हाडी रानी बटालियन	0	615	0	5
	योग	**5521**	**2149**	**81**	**30**

अजमेर शहर स्थित आदर्श नगर थाने में 10 जून, 2010 को दर्ज प्रकरण

96. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर शहर के आदर्श नगर थाने में पर्याप्त स्टाफ है? यदि हां, तो वहां अधिकारी/सिपाही कितने समय से तैनात हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आदर्श नगर थाना पुलिस ने 10 जून, 2010 की रात ट्रेलर संख्या आर जे 01 जी ए 0657 को जब्त किया था? यदि हां, तो रोजनामचे में डाले गये समय की जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पुलिस ने इस मामले में सदरिया ग्राम पंचायत के सरपंच श्री घनश्याम जांगिड़ के खिलाफ राज कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया है? यदि हां, तो कितने दिन पश्चात्? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या पुलिस ने अपने इस्तगासे में ट्रेलर को न्यायालय से छोड़े जाने का जिक्र किया है? यदि हां, तो पुलिस द्वारा 12 जून, 2010 को थाने पर ही जुर्माना राशि लेकर ट्रेलर संख्या आर जे 01 जी ए 0657 को क्यों छोड़ा गया? विवरण कारण सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर शहर के आदर्श नगर थाने में उप निरीक्षक का 01 पद रिक्त है। तैनात अधिकारी/सिपाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। रोजनामचे में 11:15 का समय अंकित किया गया।

(3) जी हां। दिनांक 10.06.2010 को सदरिया ग्राम पंचायत के सरंपच धनश्याम जांगिड़ के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने के संबंध में रोजनामचा आम रपट संख्या 389 समय 11:20 पी.एम. थाना आदर्श नगर अजमेर में दर्ज की गई।

(गृह मंत्री)

(4) जी हॉं। दिनांक 10.06.2010 को ट्रेलर चालक के पास कागजात नही होने व दिनांक 12.06.2010 को समयावधि में कागजात पेश किये जाने पर जुर्माना राशि अदा करने पर ट्रेलर को छोड़ दिया गया।

परिशिष्ट "अ"

आदर्श नगर थाने पर पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम	पद/बेल्ट नं.	पदस्थापन तिथि
1	2	3	4
1.	श्री कुशालराम	पुलिस निरीक्षक	12.3.10
2.	श्री जगदीश सिंह/खेम सिंह	सउनि	15.4.10
3.	श्री रतन लाल/हरलाल	सउनि	31.7.11
4.	श्री सियाराम/श्योजीराम	सउनि	31.7.11
5.	श्री पूर्ण लाल	हैड कानि. 58	11.9.08
6.	श्री श्योजीराम	हैड कानि. 230	19.9.08
7.	श्री दिलीप सिंह	364	13.08.08
8.	श्री सुरेन्द्रबहादुर	371	13.08.08
9.	श्री जगदीशप्रसाद	578	13.08.08
10.	श्री सज्जन कुमार	964	13.08.08
11.	श्री हरनिवास	1069	13.08.08
12.	श्री पूर्णसिंह	1196	13.08.08
13.	श्री भंवरलाल	1263	13.08.08
14.	श्री रामनिवास	1371	13.08.08
15.	श्री भूपेन्द्र सिंह	1381	13.08.08
16.	श्री कैलाश चंद	1431	13.08.08
17.	श्री हेमाराम	1453	13.08.08

1	2	3	4
18.	श्री प्रभात कुमार	1471	13.08.08
19.	श्री सुरेशचन्द	1573	13.08.08
20.	श्री राजेश कुमार	1707	13.08.08
21.	श्री दलवीरसिंह	1876	13.08.08
22.	श्री देवीसिंह	1146	13.9.08
23.	श्री अनिल कुमार	1327	2.10.08
24.	श्रीमती रचनादेवी	622	25.2.09
25.	श्री समर्थ सिंह	834	10.5.10
26.	श्री विजेन्द्र कुमार	1275	3.12.10
27.	निरंजना कुमारी	730	8.3.2011

सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र के थानों में दर्ज प्रकरण

97. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में कुल कितने पुलिस थाने स्थापित हैं व इन थानों में प्रत्येक में कितने पद स्वीकृत हैं एवं उक्त में से कितने कार्यरत हैं व कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षो में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने प्रकरण दर्ज हुए, कितनों में कार्यवाही कर चालान पेश हुए, कितनों में एफ.आर. लगाई गई व कितने लम्बित हैं तथा लम्बित रहने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में कुल 03 पुलिस थाने स्थापित हैं। इन थानों में स्वीकृत पदों एवं कार्यरत, रिक्त पदो की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) गत दो वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल 2205 प्रकरण दर्ज हुए हैं। जिनमें 1533 प्रकरणों में चालान पेश किया गया और 601 प्रकरणों में

(गृह मंत्री)

एफ.आर. लगाई गई, 71 प्रकरण लम्बित हैं। लम्बित रहने के कारणों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूचना व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

कोटा सम्भाग में गुमशुदा व लापता व्यक्तियों के दर्ज प्रकरण

98. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 2009 से जुलाई, 2011 तक कोटा संभाग के किस-किस थाना क्षेत्र में कितने-कितने व्यक्ति गुमशुदा अथवा लापता हुए? उक्त गुमशुदा अथवा लापता व्यक्तियों की प्रथम सूचना रिपोर्ट कब दर्ज हुई? एफ.आई.आर. की तारीख, गुमशुदा व्यक्ति की उम्र एवं निवास के पते सहित थाना क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने गुमशुदा एवं लापता व्यक्ति पुन: मिल गये तथा कितने अभी तक नहीं मिल पाये हैं? व्यक्तियों के नाम, उम्र पता सहित थानावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से किन-किन प्रकरणों में लापता व्यक्ति नहीं मिलने के बावजूद एफआर लगा दी गई? थानावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब तक लापता अथवा गुमशुदा व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति नाबालिग हैं तथा कितनी महिलाएं व बालिकायें हैं? नाम व पता सहित थानावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) अब तक लापता एवं गुमशुदा व्यक्तियों को खोजने हेतु सरकार ने क्या-क्या प्रयास किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) (2) (3) व (4) विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(5) सभी जिला/रेंज मुख्यालयों पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है तथा राज्य स्तर पर मिसिंग सैल स्थापित है। टी.वी. एवं अखबारों के माध्यम से गुमशुदा का विवरण एवं फोटो जारी कर गुमशुदा की तलाश की जाती है तथा पुलिस वेबसाइट पर अपलोडिंग की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

प्रश्न संख्या-99

(स्थगित)

थानागाजी-प्रतापगढ़ (अलवर) सड़क निर्माण हेतु जारी कार्यादेश

100. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2010 में थानागाजी से प्रतापगढ़ जाने वाले मार्ग पर सड़क का निर्माण कराया गया था? यदि हां, तो उक्त सड़क कहां से कहां तक के लिए कितने किमी बनाया जाना प्रस्तावित थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के निर्माण हेतु कोई निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हां, तो उक्त सड़क निर्माण हेतु कितनी निविदा प्राप्त हुई एवं उक्त निविदा के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या शर्तें रखी गईं? फर्म/ठेकेदार के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त निविदा कब खोली गई एवं सड़क निर्माण हेतु किस फर्म/ठेकेदार को कार्यादेश दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त सड़क का निर्माण ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता के अनुरूप किया गया? यदि हां, तो सड़क निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्या गुणवत्ता रखी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त सड़क निर्माण के संबंध में सरकार को अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त शिकायतें कब प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त सड़क का निर्माण कार्य फर्म/ठेकेदार द्वारा कब पूरा किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) सरकार द्वारा उक्त सड़क निर्माण कार्य की अनुमानित लागत कितनी निर्धारित की गई थी एवं फर्म/ठेकेदार को निर्माण कार्य का कितना भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2010 में राज्य राजमार्ग संख्या 52 पर थानागाजी से प्रतापगढ़ सड़क के 20 कि.मी. (कि.मी. 89/0 से 109/0 चौसला तक) के चौड़ाईकरण का कार्य राज्य सड़क निधि में कराया गया है।

(राज्य मंत्री , सार्वजनिक निर्माण)

(2) जी हां। उक्त सड़क निर्माण कार्य हेतु 7 निविदायें प्राप्त हुई थीं। उक्त निविदा के लिए विभाग द्वारा रखी गई शर्तें एवं फर्म/संवेदक के नाम सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त निविदायें दिनांक 05-11-2009 को खोली गई एवं सड़क निर्माण हेतु निम्नतम दर दाता मैसर्स शिवालय कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड "एए" श्रेणी संवेदक रोहतक (हरियाणा) को कार्यादेश दिया गया। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। उक्त सड़क निर्माण हेतु विभाग द्वारा गुणवत्ता अनुबन्धानुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मानकों के अनुरूप रखी गई है। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(5) जी हां। उपरोक्त सड़क के सम्बन्ध में माननीय विधायक श्री हेम सिंह भड़ाना द्वारा जिला परिषद अलवर की बैठक दिनांक 26-01-2011 में शिकायत की गई थी। विभाग द्वारा अनुबन्धानुसार वांछित कार्यवाही कर संवेदक से वांछित दुरस्तीकरण कार्य करवा दिया गया था।

(6) उक्त सड़क निर्माण कार्य संवेदक द्वारा दिनांक 16-11-2010 को पूर्ण किया गया तथा दिनांक 15-11-2015 तक उक्त कार्य 5 वर्ष की गारण्टी अवधि में है।

(7) उक्त सड़क निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रुपये 400.00 लाख एवं कार्यादेश राशि रुपये 305.42 लाख थी। फर्म/संवेदक को सम्पादित कार्य हेतु रुपये 31274933/- का भुगतान किया गया।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

बायतू विधान सभा क्षेत्र के खोखसर से खोखसर पश्चिम तक सड़क निर्माण

101. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण करवाया जाता है?

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र बायतू में खोखसर से खोखसर पश्चिम तक सड़क निर्माण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या सरकार खोखसर से खोखसर पश्चिम सड़क निर्माण कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। खोखसर से खोखसर पश्चिम सड़क का निर्माण राज्य सरकार के वितीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

ब्यावर में नया बाइपास रोड निर्माण

102. श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार अजमेर रोड बाइपास ब्यावर से नून्दी मेदातान पाली रोड पर ब्यावर में नया बाइपास बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। ब्यावर कस्बे के लिए अजमेर रोड (एन.एच.-8 कि.मी. 49/0) से उदयपुर रोड (एन.एच.-8 कि.मी. 59/0) तक दो लेन बाइपास बना हुआ है। जिसके छह लेन चौड़ाईकरण का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। उदयपुर रोड़ (एन.एच.-8 कि.मी. 59/0) से पाली रोड तक राष्ट्रीय राजमार्ग-14 दो लेन सड़क बाइपास के रूप में निर्मित है, जिसके चार लेन चौड़ाईकरण का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौमूं की विकास समिति द्वारा कराये गये विकास कार्य

103. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौमूं में विकास समिति बनी हुई है? यदि हां, तो इस विद्यालय में कितनी विकास समितियां बनी हुई हैं?

(2) क्या नवीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम भी कोई विकास समिति बनी हुई है? यदि हां, तो उक्त सभी विकास समितियों का गठन कब-कब हुआ?

(श्री भगवान सहाय सैनी)

(3) उक्त विकास समितियों में दिनांक 1.1.1991 से जुलाई, 2011 तक कौन-कौन कब से कब तक सदस्य या पदाधिकारी रहे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विकास समितियों का उक्त वर्षों का वित्तीय लेखा-जोखा प्रस्तुत करने के साथ सभी समितियों में अब कितनी राशि बैलेन्स है तथा उक्त राशि कहां-कहां किस रूप में जमा है?

(5) क्या यह सही है कि एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की एक विकास समिति में लगभग 15 वर्षों से लाखों रुपये की राशि जमा होने के बावजूद नवीन भवन में विकास नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या उक्त विकास समिति ने विकास कार्य करवाने के लिये कोई प्रस्ताव लिया था? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त विकास समिति में राशि उपलब्ध होते हुये भी विद्यालय भवन का विकास नहीं करवाने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है?

(8) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.12.1997 एवं 22.04.1999 की पालना में राउमावि चौमूं में विद्यालय विकास समिति का गठन किया गया।

उक्त विद्यालय हेतु नया भवन बनवाये जाने हेतु ग्रामवासियों के द्वारा अपने स्तर पर नवीन विद्यालय भवन विकास समिति का गठन किया गया।

(2) जी हां। नवीन विद्यालय भवन विकास समिति का गठन ग्रामवासियों द्वारा अपने स्तर पर दिनांक 22.05.1993 को किया गया था और राउमावि चौमूं के विद्यालय की विद्यालय विकास समिति का गठन राजकीय आदेश के तहत दिनांक 06.11.1998 को किया गया।

(3) राउमावि चौमूं के विद्यालय विकास समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का वर्ष 2004 से वर्तमान तक के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के नाम एवं पद के विवरण का परिशिष्ट "क" संलग्न है। वर्ष 1991 से 2003 तक का अभिलेख विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। नवीन विद्यालय भवन विकास समिति का गठन चूंकि ग्रामवासियों के स्तर पर किया गया था, अतः इसकी सूचना/अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(शिक्षा मंत्री)

(4) राउमावि, चौमूं विद्यालय विकास समिति का गठन वर्ष 1998-99 से 2010-11 तक का आय-व्यय एवं दिनांक 30.07.2011 को रोकड़ पोते शेष राशि के विवरण का परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

नवीन विद्यालय भवन विकास समिति का गठन चूंकि ग्रामवासियों के स्तर पर किया गया था, अतः इसकी सूचना/अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

राउमावि, चौमूं की विद्यालय विकास समिति के खाते में दिनांक 30.07.2011 तक 15,65,795.78 रुपये जमा हैं, यह राशि स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा चौमूं में जमा है।

(5) राउमावि, चौमूं की विद्यालय विकास समिति के खाते में 30.07.2011 को 15,65,795.00 रुपये शेष हैं, जो कि बैंक में जमा हैं। इस विद्यालय विकास समिति का गठन विद्यालय की भौतिक सुविधायें यथा फर्नीचर, लैब, छात्रोपयोगी अन्य सामग्री का क्रय तथा विद्यालय भवन के रखरखाव के उद्देश्य से किया गया है।

(6) जी हां। दिनांक 10.05.2005 को विद्यालय विकास समिति की कार्यवाही की बैठक आयोजित हुई, जिसमें भवन निर्माण हेतु 6.89 लाख रुपये व्यय किये जाने की सहमति बनी, परन्तु उक्त राशि खर्च करने की स्वीकृति के प्रस्ताव विभाग/राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किये गये हैं।

(7) नवीन विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हुआ है तथा न ही भवन वर्तमान तक किसी स्तर से विभाग/विद्यालय प्रशासन को सुपुर्द किया गया है। विभागीय विद्यालय विकास समिति की राशि उक्त भवन निर्माण हेतु खर्च किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है, अतः इस हेतु किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाना उचित नहीं है।

(8) प्रश्न के खण्ड-07 के अनुसार।

परिशिष्ट "क"

विद्यालय विकास समिति

जनवरी 2004 से 31 दिसम्बर, 2008 तक विकास/छात्रकोष संचालित करने वाले पदाधिकारियों का विवरण

अध्यक्ष	:	पदेन प्रधानाचार्य
सचिव	:	श्री नवीन कुमार शर्मा व. अ.
कैशियर	:	श्री हरिनारायण जांगिड़ व.लि.
विधायक प्रतिनिधि	:	1—श्री कुंजबिहारी ताम्बी
		2—श्रीमती शारदा मानावत
एस.डी.एम. प्रतिनिधि	:	हल्का पटवारी चौमूं
चेयरमैन प्रतिनिधि	:	श्री नन्दकिशोर शर्मा
जिला प्रमुख प्रतिनिधि	:	श्री केशरदेव शर्मा
छात्र प्रतिनिधि	:	1—कुमारी करिश्मा अग्रवाल
भामाशाह	:	श्री प्रभूदयाल माधाणी
अभिभावक प्रतिनिधि	:	1—श्रीमती आशा सर्राफ
		2—श्री मूलचन्द मीणा
स्टाफ सदस्य	:	श्री मक्खन लाल यादव, व्या.

1 जनवरी 2009 से 31 दिसम्बर, 10 तक विकास/छात्रकोष संचालित करने वाले पदाधिकारियों का विवरण :

अध्यक्ष	:	पदेन प्रधानाचार्य
सचिव	:	श्री बाबूलाल कुमावत व.अ.
कैशियर	:	श्री रामकुमार मीणा का.स.
विधायक प्रतिनिधि	:	1—श्री कुंजबिहारी ताम्बी
		2—श्रीमती शारदा मानावत
एस.डी.एम. प्रतिनिधि	:	हल्का पटवारी चौमूं

चेयरमैन प्रतिनिधि	: श्री नन्दकिशोर शर्मा
जिला प्रमुख प्रतिनिधि	: श्री केशरदेव शर्मा
छात्र प्रतिनिधि	: कुमारी करिश्मा अग्रवाल
भामाशाह	: श्री प्रभूदयाल माधाणी
अभिभावक प्रतिनिधि	: 1—श्रीमती आशा सर्राफ 2—श्री मूलचन्द मीणा
स्टाफ सदस्य	: श्री मक्खन लाल यादव, व्या.

01 जनवरी, 2011 से अब तक विकास कोष संचालित करने वाले पदाधिकारियों का विवरण

अध्यक्ष	: श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग, प्रधानाचार्य
सचिव	: श्री मांगीलाल शर्मा, व्या.
कैशियर	: श्री रघुनाथ प्रसाद कुलदीप क.लि.
महिला प्रतिनिधि	: श्री हेमलता शर्मा, वार्ड सदस्य
शहरी विकास सदस्य	: श्री आशीष दुसाद
अनु. जाति सदस्य	: श्री कैलाश चन्द्र वर्मा
संकाय सदस्य	: 1—श्री कैलाश चन्द्र यादव, व.अ.—विज्ञान 2—श्री रामकिशोर सैनी व.अ.—गणित 3—श्री सुरेश चन्द्र शर्मा व.अ.-सामा. विज्ञान
छात्र प्रतिनिधि	: श्री राहुल शर्मा 11 बी
भामाशाह	: श्री सत्यनारायण अग्रवाल
वार्ड सदस्य	: श्री महाजनदीन नागौरी वार्ड नं. 14
विधायक प्रतिनिधि	: 1—श्री सुरेश कुमार विजयवर्गीय 2—श्री नन्दकिशोर शर्मा
विभागीय प्रतिनिधि	: श्री मक्खन लाल यादव व्या.

परिशिष्ट "ख"

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौमूं की विद्यालय विकास कोष समिति का लेखा-जोखा :

सत्र	आय	व्यय
1998-1999	65217	15837
1999-2000	266017	111407
2000-2001	204074	81363
2001-2002	248431	33380
2002-2003	190228	60610
2003-2004	179928	57220
2004-2005	206900	90656
2005-2006	271400	111732
2006-2007	213700	94179
2007-2008	204700	16320
2008-2009	225900	39320
2009-2010	238200	21897
2010-2011	228483	89399
दिनांक 30 जुलाई, 2011 को उपलब्ध बैलेन्स—1565795.78 रुपये		

सीकर जिले के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के रिक्त पद

104. श्री पेमाराम (धोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय पेवा जिला सीकर को क्रमोन्नत करके राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय कब बनाया गया? क्रमोन्नति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में प्रधानाध्यापिका का पद

(श्री पेमाराम)

स्वीकृत है? यदि हां, तो कब से? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालयों में प्रधानाध्यापिका का पद रिक्त है? यदि हां, तो कब से व क्यों?

(4) क्या यह सही है कि रिक्त पद के अभाव में विद्यालय का प्रशासन नहीं चल पा रहा व प्रवेश लेने वाली बच्चियों की संख्या में कमी हुई है? यदि हां, तो इसका जिम्मेदार कौन है?

(5) जिला सीकर में प्रधानाध्यापिका रहित कितने क्रमोन्नत विद्यालयों में प्रधानाध्यापिका के पद खाली हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त विद्यालयों में प्रधानाध्यापिकाओं का पदस्थापन कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं.20(7)शिक्षा-1/प्राशि/2007 दिनांक 18.01.2008 के द्वारा राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय पेवा जिला सीकर को राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया। आदेश की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। पद आबंटन आदेश की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। अपितु दिनांक 20.08.2011 से श्री हरीकिशन प्रधानाध्यापक पद पर कार्य कर रहे हैं।

(4) विद्यालय में वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में छात्राओं की संख्या में कमी आई है। इसका कारण प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहना नहीं है क्योंकि विद्यालय में अध्यापकों के स्वीकृत पद 4 हैं तथा कोई पद भी रिक्त नहीं है। उक्त पद छात्रानुपात में पर्याप्त हैं।

(5) सीकर जिले में प्रधानाध्यापिका रहित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न हैं तथा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रधानाध्यापिका (मा.वि.) के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

(शिक्षा मंत्री)

क्र. सं.	नाम विद्यालय	क्र. सं.	नाम विद्यालय
1.	राबामावि नेवटिया फतेहपुर	6.	राबामावि गुहाला
2.	राबामावि. रोलसाबसर	7.	राबामावि डाबला
3.	राबामावि नरोदडा	8.	राबामावि मूण्डरू
4.	राबामावि गोठडा भुकरान	9.	राबामावि चैनपुरा
5.	राबामावि धांधेला		

(6) राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही उक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(प्रतियां व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

जयपुर शहर में संभावित सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी शिक्षक

105. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में मई, 2012 तक तृतीय श्रेणी के कौन-कौन शिक्षक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने वाले हैं? शिक्षकों का नाम तथा स्कूल दर्शाते हुये सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुये संबंधित आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार ऐसे शिक्षक जो शीघ्र ही सेवानिवृत्ति प्राप्त करने वाले हैं के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु एक निर्धारित समय सीमा तय कर उसमें पूर्ण कर लेने हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी करने अथवा ऐसी स्थायी नीति बनाने का विचार रखती है ताकि कर्मचारी को समय पर पेंशन का भुगतान एवं अन्य लाभ प्राप्त हो सकें?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में मई, 2012 तक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षकों का नाम सहित विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। उक्त में से मार्च, 2012 तक सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं। शेष अध्यापकों के सेवानिवृत्ति आदेश निर्धारित समय पर जारी कर दिये जायेंगे।

(3) राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 78 से 98 में पेंशन प्रकरण निस्तारण किये जाने हेतु समयबद्ध कार्यवाही का प्रावधान है।

परिशिष्ट "क"

जयपुर शहर में अगस्त 2011 से मई 2012 तक सेवानिवृत होने वाले अध्यापकों की सूची

क्र. सं.	नाम अध्यापक	कार्यरत स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृति तिथि
1	2	3	4	5
1.	रमेश मेहता	राउप्रावि, बांसबदनपुरा, जयपुर	29.08.51	31.08.2011
2.	धर्म देवी	राबाउप्रावि, बाबू का टीबा	10/2/1952	29.2.12
3.	गीता शर्मा	राप्रावि, मंदिर गोपालजी	11/9/1951	30.9.11
4.	रजनी कोशिक	राउप्रावि, मालवीयनगर	21-11-51	30.11.11
5.	प्रभा शर्मा	राउप्रावि, मालवीयनगर	28-08-51	31.08.11
6.	हेमन्त दास	राप्रावि, सिंधी अनाज मंडी	9/8/1951	31.08.11
7.	सुशीला शर्मा	राउप्रावि, रामगंज	12/8/1951	31.08.11
8.	गायत्री त्रिपाठी	राप्रावि, सोमेश्वरपुरी	26-02-52	29.02.12
9.	शशिकला लालवानी	राप्रावि, दबावखाना	4/8/1951	31.08.11
10.	राजेन्द्र कुमार पालीवाल	राप्रावि, मेंहदी का बास	2/8/1951	31.08.11

1	2	3	4	5
11.	उषा किरण सक्सैना	राउप्रावि, मानपुर सड़वा	1/9/1951	30.08.11
12.	मोहिनी शर्मा	राबाउप्रावि, आमेर	5/9/1951	30.09.11
13.	मंजू अरडावतिया	राप्रावि, मुरलीपुरा स्कीम	30-12-51	31.12.11
14.	गुन्ना माथुर	राप्रावि, महर्षि आश्रम	5/1/1952	31.01.12
15.	मंजू यादव	राउप्रावि, कुण्डा	14-01-52	31.01.12
16.	उषा शर्मा	राउप्रावि, रैगर बस्ती	1/2/1952	31.01.12
17.	विजय लोयल	राप्रावि, चक हसनपुरा	2/2/1952	29.02.12
18.	सन्तोष कुमारी शर्मा	एनबीडी बालमंदिर सी स्कीम	10/11/1951	30.11.11
19.	चन्द्रभागा पारीक	राउप्रावि, सांगानेर ओल्ड	7/8/1951	31.08.11
20.	विमला जैन	राउप्रावि, नृसिंहपुरा महल	3/9/1951	30.09.11
21.	उषा भार्गव	राप्रावि, एयरपोर्ट, सांगानेर	22-01-52	31.01.12
22.	शरदचन्द राजोरिया	रामावि, शिकारपुरा, सांगानेर	10/2/1952	29.02.12
23.	सुषमा सरदाना	राउप्रावि, जगतपुरा, सांगानेर	28-02-52	29.02.12
24.	यामिनी गर्ग	राउप्रावि, लालकोठी	30-08-51	31.08.11
25.	बृजबाला भार्गव	राउप्रावि, शीतलनिवास	2/8/1951	31.08.11
26.	मंजू नरूला	राबाप्रावि, शास्त्रीनगर	15-08-51	31.08.11
27.	जैतून खान	राप्रावि, शेखअली बस्ती	12/8/1951	31.08.11
28.	कमला व्यास	राउप्रावि, गोपालपुरा देवरी	2/9/1951	30.09.11
29.	श्यामा चतुर्वेदी	राबाउप्रावि, गणगौरी बाजार	29-10-51	31.10.11
30.	उर्मिला माथुर	राप्रावि, धानका बस्ती	1/1/1952	31.12.11

1	2	3	4	5
31.	विकास अहमद मंसुरी	राप्रावि, व्यापारियान	13-01-52	31.01.12
32.	चन्द्रेश्वरी शर्मा	राप्रावि, सुशीलपुरा	18-02-52	29.02.12
33.	निर्मला नागर	राप्रावि, हसनपुरा न्यू	2/3/1952	31.03.12
34.	रूकमणी लोकवानी	राप्रावि, सिंधी न्यूमाईंस कैम्प	1/3/1952	29-02-12
35.	मीना जैन	राबाउप्रावि, गांधीनगर	1/3/1952	29-02-12
36.	यशोदा शर्मा	राउप्रावि, पुलिस अकादमी	21-02-52	29-02-12
37.	कृष्णा मेहन्दीरता	राउप्रावि, चतरावाला, सांगानेर	12/5/1952	31-05-12
38.	शकिला बानो	राप्रावि, बालकला मंदिर	6/5/1952	31-05-12
39.	बिना शर्मा	राउप्रावि, सिंधी सांगानेर	3/5/1952	31-05-12
40.	शकुन्तला पारीक	राप्रावि, बागड़ों का बड	15-08-51	31-08-11
41.	प्रेमदेवी वर्मा	राउप्रावि, मालवीय नगर सै. 13	10/4/1952	30-04-12
42.	नजमा खातून	राबाउप्रावि, नवनी पानो का दरीबा	29-04-52	30-04-12
43.	दुर्गा देवी	राउप्रावि, राम मंदिर	5/4/1952	30-04-12
44.	ललिता मोठवानी	राउप्रावि, सिंधी नादरजी	15-05-52	31-05-12
45.	दुर्गालाल शर्मा	रामावि, किरणपथ मानसरोवर	6/4/1952	30-04-12
46.	विद्या माथुर	राबाउप्रावि, दुर्गापुरा	21-01-52	31-01-12

जयपुर शहर में 08.2011 से 31.05.2012 तक सेवानिवृत्त होने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षकों की सूचना

क्र. सं.	नाम अध्यापक		पद	नाम	जन्म तिथि
1.	रामावि	घाटगेट	अध्यापक	बलवीर सिंह यादव	01/03/1952
2.	राबामावि	लेबर कालोनी	अध्यापक	सरोज गुप्ता	12/04/1952
3.	राउमावि	फतेह टीबा	अध्यापक	गीता सन्तानी	07/11/1951
4.	राउमावि	हरमाडा	अध्यापक	भवानीसिंह कविया	04/11/1951

बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

106. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड के राजकीय उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में किन-किन विद्यालयों में कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं और सरकार द्वारा रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के राजकीय उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" के कालम 13-14 में तथा परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है । तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती जिला परिषदों के माध्यम से होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा । शेष रिक्त पदों की पूर्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर तथा पदोन्नति समिति द्वारा चयन होने के उपरांत की जायेगी । विभागीय पदोन्नति से भरे जाने वाली पदों पर वर्तमान में कार्मिक विभाग द्वारा रोक लगाई हुई है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

भरतपुर जिले का नामांकन अभियान

107. डॉ. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भरतपुर में नामांकन अभियान कब से कब तक चलाया गया और अब तक कितने-कितने और कहां-कहां नामांकन किए गए? ब्लाकवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान में सबसे कम प्रगति वाले ब्लाक्स में शीघ्र प्रगति लाने के उद्देश्य से, समीक्षा करने के बाद क्या-क्या विशेष कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में विभाग द्वारा सर्वे के दौरान सर्वे सूची में प्रवेश योग्य आयु से कम बच्चों तथा पलायनशुदा बच्चों को भी शामिल कर लिया गया था? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला भरतपुर में नामांकन अभियान 1 जुलाई, 2011 से 15 अगस्त, 2011 तक चलाया गया। ब्लाकवार नामांकन का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) राज्य में नामांकन अभियान की उपलब्धि 59 प्रतिशत रही है। भरतपुर जिले की कुल उपलब्धि 58 प्रतिशत रही है, जो राज्य की उपलब्धि के लगभग बराबर है। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नामांकन का कार्य वर्षपर्यन्त जारी रहेगा। उक्त अभियान के सबसे कम प्रगति वाले ब्लाक्स में प्रगति लाने के उद्देश्य से जिले में निम्न विशेष प्रयास किये गये जो आगे भी जारी रहेंगे :-

नामांकन अभियान के नोडल अधिकारी उप निदेशक प्रा. शि. भरतपुर सम्भाग, कनिष्ट उप निदेशक प्रा.शि., जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. एवं एडीपीसी द्वारा दल गठित कर उक्त ब्लाक्स में सघन निरीक्षण किया गया एवं नामांकन हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया गया।

इसके अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा नगर, कामां एवं बयाना ब्लाक्स का सघन निरीक्षण किया गया एवं नामांकन हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया गया।

(शिक्षा मंत्री)

परिषद स्तर से जिला प्रभारी अधिकारी द्वारा नामांकन अभियान के दौरान समय-समय पर जिले का भ्रमण किया गया, जिससे न्यून उपलब्धि वाले ब्लाक्स में नामांकन अभियान को गति मिल सके।

(3) जी हां। सर्वे के दौरान सर्वेयर द्वारा आई.सी.आर. शीट में आयु अभिभावकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अंकित की गई है। कम आयु वाले बालक-बालिकाओं को वी.ई.आर./डब्ल्यू.ई.आर. से हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पलायन करने वाले परिवारों की जानकारी उनके बालक-बालिकाओं को आवश्यकतानुसार माइग्रेटरी छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एकत्रित की गई थी।

परिशिष्ट "क"

जिला भरतपुर में नामांकन अभियान 1 जुलाई से 15 अगस्त, 2011 का ब्लाकवार नामांकन का विवरण

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	नामांकित बालक-बालिका			प्रतिशत
		बालक	बालिका	योग	
1.	सेवर	1414	1358	2772	55.62
2.	कुम्हेर	682	677	1359	73.38
3.	डीग	997	1042	2039	69.52
4.	कामां	2404	3279	5683	55.16
5.	नगर	1967	2591	4558	54.34
6.	नदबई	1033	1106	2139	60.87
7.	वैर	904	1131	2035	56.81
8.	बयाना	1165	1294	2459	50.30
9.	रूपवास	1271	1317	2588	71.43
	योग	**11837**	**13795**	**25632**	**58.16**

माडंलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

108. श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में विधान सभा क्षेत्र माडंलगढ़ के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्न्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने विद्यालयों को व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

आगामी वित्तीय वर्ष में बजट उपलब्ध होने पर ही विद्यालय क्रमोन्नति के संबंध में विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

सर्व शिक्षा अभियान में प्राप्त राशि का मदवार उपयोग

109. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सर्व शिक्षा अभियान के तहत अप्रैल, 2008 से जुलाई, 2011 तक केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करवायी गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उपलब्ध करवाई गई राशि में से केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि को किस-किस मद में व्यय किया गया? वर्षवार व मदवार व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि को किस-किस मद में व्यय किया गया? वर्षवार व मदवार व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2008-09 से अब तक केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ में)

वर्ष	केन्द्र द्वारा जारी राशि	राज्य द्वारा जारी राशि	कुल जारी राशि
2008-09	1021.73	561.09	1582.82
2009-10	1219.37	666.48	1885.85
2010-11	1432.32	1144.13	2576.45
2011-12 (upto July, 11)	910.35	467.63	1377.98

(शिक्षा मंत्री)

(2) सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित बजट के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में राशि उपलब्ध करवाई जाती है। उपलब्ध बजट के आधार पर वर्षवार व मदवार व्यय विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) बिन्दु संख्या 02 के अनुसार।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

110. श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में कितने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व बालिका विद्यालय स्थित हैं व इनमें कहां-कहां पर कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ब्लाक इटावा के बालिका माध्यमिक विद्यालय गेंता, इटावा व पीपल्दा अध्यापिकाओं के अभाव में चपरासियों के भरोसे चल रहे हैं? क्या सरकार इन पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार रिक्त पद से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या ग्राम पंचायत इटावा के वार्ड नं. 21 में स्थित बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन बिलकुल जर्जर अवस्था में है? क्या सरकार उक्त भवन को पुनः सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम द्वारा बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में संचालित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (बालक-बालिका) विद्यालयों का संख्यात्मक विवरण इस प्रकार से है :-

विद्यालय का प्रकार	**विद्यालयों का योग**		
	बालक	**बालिका**	**योग**
रा.मा. विद्यालय	44	03	47
रा.उ.मा. विद्यालय	12	02	14
योग	**56**	**05**	**61**

(शिक्षा मंत्री)

उक्त विद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पदों के विवरण का परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी नहीं। रा.बा.मा.वि., गैता, रा.बा.मा.वि., पीपल्दा एवं रा.बा.उ.मा.वि. इटावा में रिक्त पदों के विरूद्ध शैक्षणिक व्यवस्था की हुई है तथा रा.बा.मा.वि. में पूल बजट के अध्यापक कार्यरत हैं। रिक्त पदों की पूर्ति किया जाना राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं डीपीसी से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर ही सम्भव हो सकेगा।

(3) जी नहीं। विभाग में पद रिक्त होने का मुख्य कारण सेवानिवृति, पदौन्नति, नये पदों का सृजन आदि है तथा यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अतः इस हेतु किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(4) रा.बा.उ.प्रा.वि., इटावा का भवन लगभग 100 वर्ष पुराना बना हुआ है जिसका आधा हिस्सा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। यदि क्षतिग्रस्त भवन में बने हुए समस्त कमरों को हटा दिया जाता है तो भी जगह मात्र 840 वर्गफुट है, जो विद्यालय के भवन निर्माण के लिये अपर्याप्त है, जिसके कारण सर्व शिक्षा अभियान द्वारा भवन नहीं बनाया जा सकता। जिला प्रशासन/ग्राम पंचायत द्वारा विद्यालय को भूमि आबंटन करने के पश्चात् ही सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

रामगढ़ बांध जयपुर के भराव क्षेत्र में अतिक्रमण

111. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला जयपुर के रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो इस दिशा में किये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि रामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र में कई गांवों में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो किन-किन गांवों में किन-किन व्यक्तियों द्वारा कितनी-कितनी भूमि पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणकारियों से भूमि का कब्जा छुड़ाने के लिये कोई अभियान चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। राजस्व विभाग के तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार रामगढ बांध के भराव क्षेत्र के 3 गांवों की 259 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है जिनका विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। अतिक्रमण हटाने के लिए समय-समय पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है। कार्य योजना बनाकर अतिक्रमण हटाने का कार्य शीघ्र किया जावेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

गुडगावां कैनाल कामां क्षेत्र की डिस्ट्रीब्यूटरी की मरम्मत

112. श्रीमती जाहिदा खान (कामां) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार कामां (मेवात) क्षेत्र की प्रमुख सिंचाई का साधन गुडगांवा कैनाल एवं पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी की मरम्मत एवं रखरखाव कराये जाने का विचार रखती? यदि हां, तो उक्त कार्य पर कितनी राशि व्यय होगी तथा कार्य कितने समय में पूर्ण हो जायेगा। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्य हेतु राशि स्वीकृत की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कामां क्षेत्र की गुडगांव नहर एवं पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी की मरम्मत व रखरखाव हेतु रुपये 827.25 लाख के प्रस्ताव एवं तकमीना तैयार किया गया है जिसका परीक्षण किया जा रहा है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जा सकेगा।

फुलेरा कस्बे की पेयजल समस्या समाधान हेतु प्रस्तावित योजना

113. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फुलेरा कस्बे की पेयजल समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा पेयजल योजना प्रस्तावित की गई थी? यदि हां, तो

(श्री निर्मल कुमावत)

कौनसी योजना और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में किन-किन कस्बों एवं ग्रामों को जोड़ना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त योजना को कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । फुलेरा कस्बे की पेयजल समस्या के समाधान के लिए बीसलपुर-दूदू पेयजल परियोजना अन्तर्गत सांभर स्थित हैड वर्क्स से बीसलपुर बांध का पानी उपलब्ध कराने के लिए संवर्धन योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 271.91 लाख की माह दिसम्बर, 2010 में तथा तकनीकी स्वीकृति माह फरवरी, 2011 में जारी की गई थी । योजना के क्रियान्वयन आरम्भ करने हेतु संवेदक को दिनांक 11 फरवरी, 2011 को कार्यादेश दिया जाकर योजना में प्रावधित कार्यों में से रेलवे क्रासिंग से पाइप लाइन गुजारने के कार्य को छोड़कर अन्य कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं ।

(2) उक्त स्वीकृत योजना से केवल फुलेरा कस्बे को जोड़ा जाकर लाभान्वित करना प्रस्तावित है ।

(3) उत्तर-पश्चिम रेलवे विभाग से रेलवे क्रासिंग की अनुमति हेतु विभाग द्वारा माह दिसम्बर, 2010 में आवेदन किया जा चुका है । संबंधित विभाग से अनुमति मिलने के उपरांत पाइपलाइन गुजारने के कार्य को पूर्ण कर यह योजना शीघ्र चालू कर दी जावेगी ।

प्रदेश में विकलांगों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं

114. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के बेसहारा मानसिक रूप से विमंदित, गरीब, भिखारी बच्चों के उत्थान के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है? यदि हां, तो क्या? गत दो वर्षों में उक्त हेतु कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया तथा उसमें से कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य में खर्च की गई व उससे कितने बच्चे लाभान्वित हुए? बच्चों के नाम, पते व खर्च राशि का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओम बिरला)

(2) क्या प्रदेश में उक्त बच्चों के उत्थान हेतु सरकारी अथवा सरकार द्वारा अनुदानित संस्थायें संचालित हैं? यदि हां, तो किन-किन जिलों में कौन-कौनसी? क्या संभाग मुख्यालयों पर इनकी उचित देखभाल के लिए कोई संस्था व भवन है? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे भवन या संस्थान की स्थापना का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) प्रदेश में विकलांगों के कल्याण हेतु क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं एवं वर्ष 2009 से जुलाई, 2011 तक विकलांगों को दिये गये लाभ का विवरण क्या है? क्या सरकार सरकारी विभागों में विकलांगों हेतु आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का समय निर्धारित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में बेसहारा मानसिक रूप से विमंदित बच्चों के उत्थान के लिए कार्य योजना विवरण, गत दो वर्षों का प्रावधान, खर्चे का विवरण, लाभान्वित हुये बच्चों के नाम/पते सहित जिलेवार व्यय राशि परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

गरीब, भिखारी बच्चों के उत्थान के लिये कार्य योजना संचालित नहीं है।

(2) हां। जयपुर में बेसहारा मानसिक विमंदित बच्चों हेतु सरकारी संस्थान संचालित हैं, का विवरण परिशिष्ट-ब संलग्न है।

इनके अलावा सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2010-11 के तहत जयपुर में अतिरिक्त व जोधपुर में 250-250 की क्षमता के तथा बजट घोषणा वर्ष 2011-12 के तहत 5 संभाग मुख्यालयों कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर एवं बीकानेर में 50-50 की क्षमता के मानसिक विमंदित गृह स्थापित किये जा रहे हैं।

(3) प्रदेश में विकलांगों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं तथा वर्ष 2009 से अब तक विकलांगों को दिये गये लाभ का विवरण परिशिष्ट-स संलग्न है।

सरकारी विभागों में विकलांगों की नियुक्ति हेतु "राजस्थान नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011" दिनांक 21.07.2011 को जारी किया जा चुका है।

नियम के तहत नि:शक्तों की नियुक्ति हेतु रोस्टर 1, 34 व 67 निर्धारित है। उक्त नियम की प्रति परिशिष्ट-द संलग्न है।

(विवरण व प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

कुम्भलगढ़ क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु व्यय राशि

115. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में कुम्भलगढ़ दुर्ग एवं वन अभयारण्य में कितने देशी एवं विदेशी पर्यटक आये?

(2) उक्त अवधि में उक्त क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए क्या-क्या कार्य किये गये और इन पर कितनी राशि व्यय हुई?

(3) उक्त अवधि में कुम्भलगढ़ क्षेत्र में पयर्टन विकास के लिए प्रचार प्रसार हेतु क्या-क्या कार्य किये गये हैं और इन पर कितना व्यय हुआ है?

(4) क्या यह सही है कि कुम्भलगढ़ क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षो में कुम्भलगढ़ दुर्ग एवं वन अभयारण्य में आये देशी एवं विदेशी पर्यटकों की सूचना निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष	कुम्भलगढ़ दुर्ग		वन्य अभयारण्य		
		देशी	विदेशी	देशी	छात्र	विदेशी
1.	2008	98749	16664	7321	411	1371
2.	2009	125701	15082	11561	1186	1445
3.	2010	135122	18598	5750	603	1322

(2) उक्त अवधि में उक्त क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए वन विभाग एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा करवाये गये कार्यों एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) कुम्भलगढ़ क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए प्रचार-प्रसार हेतु तीन दिवसीय कुम्भलगढ़ क्लासिकल महोत्सव का आयोजन वर्ष 2006 से लगातार किया जा रहा है। इस महोत्सव के आयोजन हेतु वर्ष 2008 में रु. 19,50,937/-, वर्ष 2009 में रु. 16,22,308/- एवं वर्ष 2010 में रु. 17,08,958/- व्यय किये गये है। इस महोत्सव के प्रचार-प्रसार के साथ ही कुम्भलगढ़ किले एवं वन्य जीव अभयारण्य के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु विभाग द्वारा पर्यटन साहित्य एवं पोस्टर मुद्रित कराकर राज्य एवं राज्य से बाहर वितरण करवाकर प्रचार-प्रसार किया

(पर्यटन मंत्री)

गया है। कुम्भलगढ़ के प्रचार-प्रसार हेतु तैयार विशिष्ठ सामग्री के मुद्रण पर गत दो वर्षों में लगभग राशि रु. 1.25 लाख व्यय किया गया है।

(4) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक 26.03.2011 के द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत ईको ट्यूरिज्म प्रोजेक्ट कुम्भलगढ़-टाडगढ़-रावली-रणकपुर डेस्टिनेशन के नाम से स्वीकृत प्रोजेक्ट में कुम्भलगढ़ हेतु राशि रू. 154.35 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये है। कार्यकारी एजेंसी वन विभाग द्वारा करवाये जा रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट "'ब" पर संलग्न है।

बजट घोषणा वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत लाखेला तालाब, कुम्भलगढ़ में नोकायन संचालित करवाने एवं बादल महल कुम्भलगढ़ से रणकपुर तक ट्रेकिंग पाथ बनाने की योजना प्रक्रियाधीन है।

इसी वर्ष से कुम्भलगढ़ महोत्सव को भी वृहद रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें शास्त्रीय के साथ-साथ लोक संगीत को भी सम्मिलित किया जा रहा है।

परिशिष्ट "अ"

गत तीन वर्षों में कुम्भलगढ़ क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए वन विभाग द्वारा किये गये कार्य एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	वर्ष	कराये गये कार्य	व्यय की गई राशि (लाखों में)
1.	2008-09	ब्रोशर, साईनेजेज, अवेयरनेस प्रोग्रामों एवं नेचर ट्रेल का निर्माण व साधारण कार्य।	3.125
2.	2009-10	ट्यूरिज्म फैसिलिटी हेतु फोरेस्ट रेस्ट हाऊस, सादड़ी व रणकपुर के सामान्य कार्य, नेचर ट्रेल का विकास एवं संधारण, क्रियेशन आफ नेचर व्यू-पाइन्ट, रातड़िया ओदी, ब्रोशर एवं साइनेजेज, अवेयरनेस प्रोग्राम एवं ट्रेनिंग टू लाकल यूथ आदि कार्यक्रम कराये गये।	6.984
3.	2010-11	ट्रेनिंग टू लोकल यूथ ईडीसी मेम्बर्स, विलेजर्स व फार्मरस, नेचर ट्रेल संधारण, ब्रोशर एवं साईनेज, अवेयरनेस प्रोग्राम एवं अभयारण्य में ईकोट्रेकिंग आदि कार्य करवाये गये।	3.376

भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग गत तीन वर्षों में कुम्भलगढ़ दुर्ग स्थित स्मारकों की मरम्मत एवं रखरखाव तथा ध्वनि व प्रकाश व्यवस्था पर विगत तीन वर्षों में किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	वर्ष	योजना	गैर योजना
1	2008-09	6,42,971	3,13,644
2	2009-10	11,03,848	6,54,420
3	2010-11	11,62,618	7,72,147

परिशिष्ट- 'ब'

पर्यटन विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत कार्यकारी एजेंसी वन विभाग के माध्यम से कुम्भलगढ़ में करवाये जा रहे विकास कार्यों का विवरण

कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)
केम्पिंग साइट का विकास कार्य	76.06
पर्यटक स्वागत केन्द्र का विकास	5.11
इंटरप्रेटेशन सेंटर	8.35
ट्रेन एवं हाइकिंग पाथ	1.33
व्यूपाईंट ट्रेकिंग पाथ/रोड के पास	4.29
पुराने स्मारक एवं भवन का नवीनीकरण कार्य	4.12
वाच टावर/हाइडस्	5.12
एडवेंचर रिक्रियेशन	3.73
रैनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर	22.28
किले के नजदीक 10-12 मीटर फाल बनाने का कार्य	23.96
कुल	**154.35**

सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु चिन्हित स्थान

116. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पर्यटन क्षेत्र विकास हेतु कितने स्थानों को चिन्हित किया गया तथा उक्त स्थानों के विकास हेतु क्या-क्या योजनाएं प्रस्तावित की गई एवं योजनाओं को कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कायलाना एवं संलग्न क्षेत्र को पर्यटन दृष्टि से विकसित करने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक?

(3) क्या सरकार सूरसागर महल को पर्यटन दृष्टि से विकसित करने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा?

(4) क्या सरकार सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के सुन्दर बालाजी पहाड़ी को सनसेट पाइंट के रूप में विकसित करने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय को मेगा डेजर्ट पर्यटन विकास सर्किट प्रोजेक्ट स्वीकृत करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के विकास कार्य भी सम्मिलित हैं। भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय से स्वीकृति उपरान्त योजना की क्रियान्विति शुरू की जावेगी। जोधपुर नगर निगम द्वारा बजट वर्ष 2010-11 में कायलाना में रोप वे बनाने की घोषणा की गई थी। जिसकी क्रियान्विति के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने डी.पी.आर. तैयार करने के लिए कार्यादेश जारी कर दिये हैं।

(2) जी हां। कायलाना एवं संलग्न क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा रू. 1.00 करोड स्वीकृत किये गये हैं। क्षेत्र वन विभाग का होने के कारण विकास कार्य वन विभाग द्वारा किए जाने हैं एवं प्राधिकरण द्वारा कायलाना रेस्ट हाउस में मरम्मत (सुधार) हेतु रु. 10.00 लाख सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित किए गए है। पर्यटकों के वाहनों हेतु पार्किंग स्थल तैयार करवाया

(पर्यटन मंत्री)

गया है। कायलाना के पास स्थित माचिया सफारी पार्क में स्थित माचिया किले को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा राशि रु. 6.77 लाख के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जोधपुर नगर निगम द्वारा बजट वर्ष 2010 -11 में कायलाना में रॉप वे बनाने की घोषणा की गई थी। जिसकी क्रियान्विति के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने डी.पी.आर. तैयार करने के लिए कार्यादेश जारी कर दिये हैं।

इसके अतिरिक्त इसके पर्यटन विकास हेतु राजस्थान पर्यटन विकास निगम से प्रस्ताव मंगवाये गये हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनका परीक्षण कर कार्य योजना तैयार की जावेगी।

(3) प्राचीन महल, सूरसागर, जोधपुर को पुरातात्विक एवं ऐसिहासिक महत्व की दृष्टि से पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है।

पर्यटन विभाग द्वारा भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय को मेगा डेजर्ट पर्यटन विकास सर्किट प्रोजेक्ट स्वीकृत करने हेतु प्रेषित की जा रही योजना में सूरसागर महल के विकास एवं संरक्षण कार्य भी सम्मिलित है। भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय से स्वीकृति उपरान्त क्रियान्विति शुरू की जा सकेगी।

(4) सुन्दर बालाजी पहाड़ी के सनसेट पाइंट को पर्यटन की दृष्टि से विकास हेतु राजस्थान पर्यटन विकास निगम से प्रस्ताव मंगवाये गये हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनका परीक्षण कर कार्य योजना यथाशीघ्र तैयार की जावेगी।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल कार्यालय जोधपुर में व्याप्त अनियमिताएं

117. **श्री अनिल जैन** (खानपुर) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को जोब चार्ट/कार्य निर्धारित नहीं है? यदि हां, तो क्यों और सरकार कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में कौन सा कार्य, कौनसा अधिकारी/कर्मचारी करेगा? क्या इसके कोई भी नियम/व्यवस्था नहीं है? क्या

(**श्री अनिल जैन**)
इस कारण से लेब टैक्निशियन से इंजीनियर का कार्य करवाया जा रहा है और इस कारण जोधपुर/बालोतरा में प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जोधपुर कार्यालय में श्री कल्याण सिंह एक शिक्षक होकर भी कनिष्ठ अभियन्ता का कार्य कर रहे थे?

(4) क्या उक्त कर्मी अभी भी प्रदूषण नियंत्रण मंडल में कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त व्यवस्था प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नियमों के अन्तर्गत हो रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राज्य मंडल में विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को विधिक/ प्रशासनिक व्यवस्था के अधीन विभिन्न दायित्वों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

जी नहीं। लेब टेक्नीशियन एवं इंजिनियर प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं। जोधपुर/बालोतरा में आवश्यकतानुसार इनसे क्षेत्रीय अधिकारी के स्तर पर कार्य संपादित करवाया जाता है।

(3) यह सही है कि जोधपुर कार्यालय में पदस्थापित श्री कल्याण सिंह अपने पैतृक विभाग में एक शिक्षक हैं जो सिविल इंजिनियरिंग की योग्यता रखते हैं और इसके आधार पर उन्हें मंडल में प्रतिनियुक्ति पर कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर रखा गया था।

(4) श्री कल्याण सिंह राज्य मंडल के आदेश क्रमांक एफ 2 (476) राप्रनिमं/स्था/1080-1085 दिनांक 30.6.2011 द्वारा राज्य मंडल से कार्यमुक्त होकर पैतृक विभाग में वापस चले गये हैं। शेष प्रश्न पैदा नहीं होता।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

विराटनगर कस्बे में संचालित टिकट बुकिंग सेवा

118. डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में किन-किन स्थानों से गत दो वर्षों में कौन-कौनसी निगम बस सेवायें बंद की गयी?

(2) क्या यह सही है कि विराटनगर एक मात्र पौराणिक एवं

(डॉ. फूलचन्द भिण्डा)

ऐतिहासिक कस्बा है जहां पर दशकों से रोड़वेज बुकिंग सुविधा चालू है परन्तु अब रोडवेज प्रशासन रोडवेज बुकिंग हटाने का प्रयास कर रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार रोडवेज बुकिंग को जारी रखने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में विगत दो वर्षों में निगम की कोई भी बस सेवा बंद नहीं की गई है।

(2) विराटनगर स्थित निगम बुकिंगघर हटाने का निगम प्रशासन का कोई विचार नहीं है।

(3) विराटनगर स्थित बुकिंग घर यथावत संचालित है। भाग संख्या दो में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

श्रीगंगानगर शहर में सिटी बस सेवा

119. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार श्रीगंगानगर शहर में सिटी बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संबंध में विद्यार्थियों ने जिला कलक्टर को कोई प्रार्थना पत्र दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। श्रीगंगानगर शहर में सिटी बस संचालन हेतु मार्ग खुले हुए हैं जिन पर वाहन संचालन अनुज्ञा-पत्र हेतु आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार अनुज्ञा-पत्र जारी किये जा सकते हैं।

(2) जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से प्राप्त सूचना अनुसार श्रीगंगानगर शहर में सिटी बसें चलाने हेतु विद्यार्थियों द्वारा कोई ज्ञापन/प्रार्थना पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया है।

किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में सहरियाओं के उत्थान हेतु संचालित योजनाएं

120 श्रीमती निर्मला (किशनगंज) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती निर्मला)

(1) क्या यह सही है कि सहरिया विकास परियोजना द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में सहरियाओं के उत्थान हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो वर्ष 2008 से 2010 के अन्तर्गत सहरिया विकास परियोजना के नाम पर कुल कितना बजट आबंटित हुआ तथा उक्त आबंटित बजट किस-किस योजना में स्वीकृत योजना द्वारा कुल कितने सहरिया लाभान्वित हुए?विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में माॅ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो इनकी कुल संख्या कितनी है एवं किन- किन स्थानों पर इनका संचालन किनके द्वारा किया जा रहा है? वर्ष 2011 में कितनी माॅ-बाडी केन्द्र, किन-किन स्थानों पर प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्वच्छ परियोजना द्वारा सहरिया आवासों का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो इनमें कुल संख्या कितनी हैं, कुल कितने एवं किन-किन सहरियाओं को ये आवास प्रदान किये गये? वर्ष 2011 में कुल कितने नये सहरिया आवासों का निर्माण प्रस्तावित है तथा किन-किन स्थानों का इनके निर्माण हेतु चयन किया गया है तथा आवासों के निर्माण कार्य हेतु क्या मानदण्ड तय किये गये हैं एवं किसको आधार मानकर आवासों हेतु सहरियाओं का चयन किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सहरिया विकास परियोजना द्वारा विधानसभा क्षेत्र किशनगंज मे सहरियाओं के उत्थान हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2008 से 2010 के अन्तर्गत सहरिया विकास परियोजना के नाम पर कुल 2344.86 लाख का बजट आबंटित हुआ। योजनावार आबंटित बजट का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। वर्ष 2008-09 में 27459 एवं वर्ष 2009-10 में 33643 कुल 61102 सहरिया लाभान्वित हुए।

(2) जी हां। यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र किशनगंज सीमा के अन्तर्गत 207 माॅ-बाडी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। सूची परिशिष्ट' "ब" पर उपलब्ध है। माॅ-बाडी केन्द्रों का संचालन स्वच्छ परियोजना द्वारा किया जा रहा है वर्ष 2011 में भी इन्हीं 207 माॅ-बाडी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(3) जी हां। यह सही है कि उक्त विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छ परियोजना द्वारा सहरिया आवासों का निर्माण करवाया गया है। इनकी कुल संख्या 848 है। कुल 848 सहरियाओं को ये आवास प्रदान किये गये, जिनकी सूची परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है। वर्ष 2011 में कुल 583 नये आवासों का निर्माण प्रस्तावित है तथा जिन-जिन स्थानों का इनके निर्माण हेतु चयन किया गया है। सूची परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है। आवासों के निर्माण हेतु अध्यक्ष सहरिया विकास समिति द्वारा अनुमोदित तकमीना के मापदण्डानुसार करवाया जा रहा है। परिशिष्ट "य" पर संलग्न है। जो सहरिया परिवार कच्चे मकान या झोपड़ी में निवास कर रहे हैं तथा आबादी भूमि की उपलब्धता है एवं आवास की अन्य योजनाओं में लाभान्वित नहीं हुए है तथा जिन गावों में पूर्व में सहरिया आवास नहीं बनाये गये है; उन गांवों के सहरिया परिवारों का प्राथमिकता से पंचायत समितियों द्वारा चयन किया जाता है।

(विवरण व सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

करौली एवं सवाई माधोपुर जिलों में माडा योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव

121. श्री रमेश चन्द मीणा (टोड़ाभीम) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2009-10 व 2010-11 में माडा योजना के अन्तर्गत जिला करौली एवं सवाई माधोपुर के किस-किस गांव में किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि स्वीकृत करने के क्या-क्या मानदण्ड हैं?

(3) माडा योजना के अन्तर्गत करौली व सवाई माधोपुर जिले में कितने-कितने प्रस्ताव कब-कब प्राप्त हुए तथा इन प्रस्तावों को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने के लिए कौनसी प्रणाली अपनाई गई?

उत्तर

(1) वर्ष 2009-10 व 2010-11 में माडा योजना के अन्तर्गत जिला करौली में स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' -1 व 'अ' -2 तथा सवाई माधोपुर जिले में स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'ब'-1 व 'ब'-2 पर उपलब्ध है।

(2) माडा योजनान्तर्गत जिला परिषद/जन प्रतिनिधी से प्राप्त प्रस्तावों में से उपलब्ध राशि के अनुसार कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(3) माडा योजनान्तर्गत करौली एवं सवाई माधोपुर जिले से प्राप्त प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट 'स' व 'द' पर संलग्न है। प्राप्त प्रस्तावों में राशि की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति जारी की जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

बारां जिले में स्वीकृत नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय

122. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बारां में दिसम्बर 2008 से जुलाई, 2011 तक किस-किस स्थान पर नये संस्कृत प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालय खोलने हेतु किस-किस दिनांक को स्वीकृति आदेश जारी हुए? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद नये प्राथमिक विद्यालयों में किस-किस दिनांक से अध्यापन कार्य प्रारम्भ हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) नया स्वीकृत कौन-कौनसा प्राथमिक विद्यालय आज दिनांक तक किन-किन कारणों से प्रारम्भ नहीं हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों में कौन-कौनसा विद्यालय छात्राओं के लिए है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में दिसम्बर, 2008 से जुलाई, 2011 तक तीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोले गये जिनका विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	विधानसभा क्षेत्र
1.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, मांगरोल	बारां-अटरू
2.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, वार्ड नं. 3 बाबजी नगर कालोनी, बारां	बारां-अटरू
3.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, सीसवाली	अन्ता

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

(2) उक्त विद्यालय खोलने हेतु आदेश क्रमांक निसंशि/शैक्ष-3/नवीन/क्रमोन्नति/पं.115/2011-12/1055-316 दिनांक 12.07.2011 को जारी किये गये। आदेश की छाया प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं ।

(3) उपरोक्त विद्यालयों में अध्यापन कार्य प्रारम्भ करवाने हेतु संभागीय शिक्षा अधिकारी, संस्कृत शिक्षा, संभागीय कार्यालय, कोटा संभाग, कोटा के आदेश क्रमाक 4635 दिनांक 18.08.2011 द्वारा एक-एक शिक्षक बतौर व्यवस्था लगाया गया है तथा अध्यापन कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा हैं। (परिशिष्ट-2 पर संलग्न है)

(4) बिन्दु संख्या 3 के अनुसार ।

(5) उक्त स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों में छात्राओं के लिये पृथक से विद्यालय नहीं खोला गया है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

कृषि उपज मंडी प्रांगण श्रीमाधोपुर (सीकर) में दुकान निर्माण हेतु निर्धारित भूमि

123. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार कृषि उपज मंडी प्रांगणों में कृषि विपणन अधिनियम, 1961 में अधिघोषित कृषि जिंसों का सम्पूर्ण व्यापार स्थानांतरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन मंडी यार्ड में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अधिघोषित कृषि जिंसों का व्यापार स्थानांतरित किये बिना मण्डी यार्ड में कोल्ड स्टोर व अन्य कृषि औद्योगिक इकाइयों के लिए सस्ती दर पर भूमि आबंटित किया जाना विधि सम्मत है? यदि हां, तो किन नियमों एवं प्रावधानों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मण्डी प्रांगणों में अधिघोषित कृषि जिंसों के व्यापारियों को आबंटित किये जाने वाले भूखण्ड या निर्मित दुकानों की आरक्षित दर तथा उसी मण्डी यार्ड में कृषि औद्योगिक प्रसंस्करण नीति के अन्तर्गत आबंटित किये जाने वाले भूखण्ड की आरक्षित दर में कोई अंतर है? यदि हां, तो कितना एवं क्यों?

(4) मण्डी यार्ड में दुकान व गोदाम बनाने के लिए औद्योगिक दर से

(श्री बंशीधर खण्डेला)

कई गुना अधिक दर पर भूखण्डों की मांग होने के बावजूद रीको की औद्योगिक दर पर भूखण्ड आबंटन का क्या औचित्य है? कारण एवं आधार सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या कृषि उपज मण्डी प्रांगण, श्रीमाधोपुर (सीकर) में निर्धारित प्लान को व्यापारियों के लिए दुकान बनाने हेतु पूर्व में निर्धारित भूमि के प्लान को बदल कर कृषि औद्योगिक प्रसंस्करण नीति के अन्तर्गत अन्य किसी उद्यमी को भूखण्ड आबंटन किया गया है या किया जा रहा है? यदि हां, तो पूर्व निर्धारित प्लान को बदलने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या कृषि उपज मण्डी, श्रीमाधोपुर में फल व सब्जी मण्डी के पास पिछवाड़े में मण्डी के स्वामित्व की ही कोई खाली भूमि पड़ी है? यदि हां, तो कितना क्षेत्र एवं इस खाली भूमि का क्या उपयोग किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य की मण्डी समितियों द्वारा निर्मित अधिकांश मण्डी प्रांगणों में व्यापार स्थानान्तरित है जिन निर्मित मण्डी प्रांगणों में व्यापार स्थानान्तरण नहीं हो सका है उनका विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) ऐसे मण्डी प्रांगण जिनमें व्यापार स्थानान्तरित नहीं हुआ है, वहां कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति 2010 के तहत किसी प्रकार का भूमि आबंटन नहीं किया है।

(3) आबंटन हेतु दर निर्धारण के प्रावधान परिशिष्ट '2' के अनुसार है। कृषि आधारित उद्योगों की मण्डी प्रांगण में स्थापना से कृषि उपज की मांग बढने के साथ-साथ प्रसंस्करित एवं मूल्य संवर्धन से कृषकों को उसकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने, ग्रेडिंग, पैकिंग तथा अन्य कृषि व्यवसाय की गतिविधि से कृषि उत्पाद की गुणवत्ता में हानि कम करने के साथ-साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में वृद्वि एवं राज्य में निवेश बढने की सम्भावना के दृष्टिगत दुकान/गोदाम के भूखण्ड की तुलना में कृषि आधारित औद्योगिक इकाई स्थापितकर्ता को कम दर पर भूखण्ड आबंटन प्रावधित है।

(4) कृषि उपज मण्डी समितियों का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना है और इसी दृष्टि से कृषि जिन्सों के विपणन का रेग्यूलेशन किया जाता है। यह सही है कि कृषि आधारित औद्योगिक इकाई स्थापितकर्ता को कम दर पर भूखण्ड आबंटन का प्रावधान किया गया है।

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

परन्तु राज्य में कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010 के तहत कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन से कृषक को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने, ग्रेडिंग, पैकिंग तथा अन्य कृषि व्यवसाय की गतिविधि से कृषि उत्पाद की गुणवत्ता में हानि कम करने के साथ-साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में वृद्वि एवं राज्य में निवेश बढ़ने की सम्भावना होगी। इससे कृषि क्षेत्र का विकास होगा।

(5) जी हां। पूर्व में उक्त स्थल पर चिन्हित भूखण्डों के आबंटन हेतु मण्डी समिति द्वारा दिनांक 8.1.07, 1.5.07, 26.4.08 एवं 12.1.11 को राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये जाने के बावजूद चिन्हित भूखण्डों के आबंटन हेतु कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण मण्डी समिति द्वारा दुकान/गोदाम के चिन्हित भूखण्डों के स्थान पर कृषि आधारित औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु भूखण्ड का उपनगर नियोजक राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड से मण्डी प्रांगण के ले-आउट प्लान में चिन्हांकन कराये जाने के पश्चात् आबंटन किया गया है।

(6) जी हां। फल सब्जी ब्लाक के समीप मण्डी समिति के स्वामित्व की 5800 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध है। जिसमें वर्तमान में कृषि आधारित औद्योगिक इकाई हेतु 2 भूखण्ड साईज 1395.35 वर्गमीटर प्रत्येक चिन्हित है। शेष 3000 वर्गमीटर भूमि भविष्य के विस्तार के लिए आरक्षित की हुई है।

परिशिष्ट "1"

व्यापार स्थानान्तरित न होने वाली मुख्य/गौणमण्डी यार्ड की सूची

क्र. सं.	मण्डी समिति	नाम मुख्य/गौणमण्डी जिसमें व्यापार स्थानान्तरित नहीं हुआ है
1.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा-गौणमण्डी
2.	अलवर	मालाखेड़ा-गौणमण्डी
3.	भीलवाड़ा	कोटड़ी-गौणमण्डी
4.	गंगापुर (भीलवाड़ा)	रायपुर-गौणमण्डी
5.	सुमेरपुर	बाली-गौणमण्डी
6.	सोजतसिटी	मारवाड़ जंक्शन-गौणमण्डी
7.	फलौदी	मथानिया-गौणमण्डी
8.	कोटा	मण्डाना-गौणमण्डी
9.	गंगापुरसिटी	बामनवास-गौणमण्डी
10.	बांरा	सीसवाली-गौणमण्डी
11.	जालौर	बाकरारोड-गौणमण्डी
12.	कोटा	कैथून-गौणमण्डी
13.	जालौर	बिशनगढ़-गौणमण्डी
14.	जैसलमेर	नाचना-गौणमण्डी
15.	सीकर	पलसाना-गौणमण्डी
16.	टोंक	सोहेला-गौणमण्डी
17.	रानी	खिवाड़ा-गौणमण्डी

परिशिष्ट "2"

अचल सम्पत्ति आबंटन नीति, 2005 के तहत मण्डी प्रांगणों में निर्मित दुकान/भूखण्ड आबंटन हेतु निर्धारित आरक्षित दरों का विवरण

1. प्रथम चरण के आबंटन हेतु दुकानों के भूखण्ड एवं दुकानों की आरक्षित दर का निर्धारण निम्न प्रकार किया जावेगा —

भूखण्ड की आरक्षित दर (प्रति वर्गमीटर) = (भूमि की लागत+मण्डी प्रांगण के विकास कार्यों की लागत का 70 प्रतिशत) / (आबंटन/निस्तारण योग्य क्षेत्रफल (वर्गमीटर))

स्पष्टीकरण :

(i) भूमि की लागत से तात्पर्य मण्डी प्रांगण के लिए विकसित की गयी भूमि की लागत से है। भूमि अर्जन की लागत में आबंटन वर्ष से ठीक पहले समाप्त हुए वित्त वर्ष तक 10% की दर से ब्याज शामिल किया जावेगा।

(ii) विकास कार्यों की लागत से तात्पर्य मण्डी प्रांगण के विकास पर किये जाने वाले सम्पूर्ण व्यय से है, परन्तु इसमें स्टाफ क्वाटर्स की लागत शामिल नहीं होगी।

(iii) आबंटन एवं निस्तारण योग्य भूमि से तात्पर्य ऐसे समस्त क्षेत्र से है, जिसका व्यवसायिक उपयोग हो, इसमें कॉमन सुविधाओं की भूमि यथा आन्तरित सड़कें, ऑक्शन प्लेटफार्म, कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वाटर्स शामिल नहीं होंगे।

निर्मित दुकानों की आरक्षित दर उपरोक्त वर्णित रीति से निर्धारित दुकान के भूखण्ड की आरक्षित दर एवं दुकान की निर्माण लागत मूल्य के योग के बराबर होगी।

2. द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों का आबंटन :— आबंटन की दर डी.एल.सी. की 50 प्रतिशत राशि होगी, परन्तु यह दर निकटतम क्षेत्र की रीको दर से कम नहीं होगी। परन्तु जिन मण्डियों हेतु पृथक से डी.एल.सी. दर निर्धारित हो गई है, तो उसी डी.एल.सी. दर (100 प्रतिशत) को ही द्वितीय एवं पश्चातर्ती चरणों में आबंटन हेतु आरक्षित दर निर्धारित की जावेगी।

निर्मित दुकानों की आरक्षित दर उपरोक्त वर्णित रीति से निर्धारित दुकान के भूखण्ड की आरक्षित दर एवं निर्माण लागत मूल्य के योग के बराबर होगी।

3. कोल्ड स्टोरेज एवं कृषि आधारित औद्योगिक (मूल्य संवर्धन) इकाई हेतु भूखण्ड आबंटन :—

कृषि आधारित औद्योगिक (मूल्य संवर्धन) इकाईयों हेतु मंडी प्रांगणों में उपलब्ध भूखण्ड को 99 वर्षीय लीज पद्धति पर निकटस्थ रीको क्षेत्र की औद्योगिक दर को आरक्षित दर मानते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर किया जावेगा। लेकिन ग्रेडिंग, पैकिंग तथा अन्य कृषि व्यवसाय की गतिविधि कृषि उत्पाद में हानि कम करने हेतु कोल्ड स्टोरेज सहित कृषि व्यवसाय उद्यमों को भूमि आबंटन प्रचलित औद्योगिक आरक्षित दर के दो गुना दर पर किया जावेगा।

कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति-2010 के तहत मण्डी प्रांगण में खाद्य प्रसंस्करण हेतु निर्धारित क्षेत्र में सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र से कृषि उत्पाद क्रय कर प्रसंस्करण हेतु उपयोग करने वाले कृषि प्रसंस्करणकर्ता उद्यमों को मण्डी में नामित क्षेत्र की आरक्षित दर में 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध करवाई जावेगी। विशिष्ठ मण्डियों के सम्बन्ध में यह छूट 50 प्रतिशत होगी।

अचल सम्पति आबंटन नीति, 2005 के उक्त प्रावधानों के तहत निर्मित मण्डी प्रांगणों में प्रथम चरण, द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों तथा कोल्ड स्टोरेज एवं कृषि आधारित औद्योगिक (मूल्य संवर्धन) इकाई हेतु आरक्षित दर निर्धारित करते हुए भूखण्ड आबंटन किया जाना प्रावधित है।

परिशिष्ट-1

(नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया)

सिवाना के तीर्थराज हल्देश्वर व ऐतिहासिक दुर्ग का पर्यटन स्थल घोषित कर विकास

मैं, राजस्थान सरकार एवं माननीय पर्यटन विभाग के मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र सिवाना का अधिकांश क्षेत्र अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इसमें खासतौर से तहसील मुख्यालय सिवाना कस्बे के ईर्द-गिर्द विद्यमान छप्पन की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित, हल्देश्वर, शुक्लेश्वर, थान माता हिंगलाज, भीमगोडा व कोटेश्वर महादेव पंच-तीर्थो के रूप में विख्यात हैं। वहीं कस्बे के पार्श्व भाग में ऐतिहासिक एवं प्राचीन गढ़ विद्यमान है। जहां दूर-दूर से पर्यटक गण दर्शनार्थ पहुंचते हैं। इनमें से भी करीब 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित तीर्थराज हल्देश्वर जहां एक ओर क्षेत्र में आबू पर्वत के सदृश दर्शकों को बरबस आकर्षित करता है। वहीं यह पूर्व में अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक स्थल भी रहा है। यहां जोधपुर के पूर्व नरेश राव मालदेव ने शेरशाह सूरी के हाथों पराजित होकर अपने बिखै (कष्ट के दिनों को) के दिनों को हल्देश्वर की पर्वत श्रृंखलाओं में ही काटा था। जबकि जोधपुर के तात्कालिक नरेश जसवंत सिंह के आकस्मिक निधन पर उनके शिशु पुत्र अजीत सिंह को इन्हीं हल्देश्वर के पहाड़ों में वीर वर दुर्गादास राठौड़ के संरक्षण में रखा गया था। वहीं बादशाह औरंगजेब के पोते-पोती (जो आज भी पूंगला-पूंगली के नाम से क्षेत्र में विख्यात है) को भी वीर-वर दुर्गादास के हवाले यहीं रखा गया था। उस जमाने में निर्मित कोट एवं परकोटा आज भी यहां सुरक्षित खड़ा है। हल्देश्वर पर एक प्राचीन शिव मंदिर विद्यमान है। जहां क्षेत्र एवं दूर-दूर से शिवभक्त हर सोमवार को सैकडों की संख्या में दर्शनार्थ यहां पहुंचते हैं। अब यहां भव्य शिवमंदिर भी निर्माणाधीन है। करीब 10 किमी के दुर्गम पहाड़ी मार्ग को तैय कर यहां पहुंचा जाता है। अत: इस दोहरे महत्व के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की प्रबल आवश्यकताएं है। सिवाना का ऐतिहासिक दुर्ग जो लगभग 11वीं शताब्दी में परमार शासकों द्वारा निर्मित करवाया गया था, यहां की पहाड़ी पर सुरक्षित खड़ा है। इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे भी पर्यटन स्थल घोषित किया जा सकता है।

अत: जनमांग व जनहित, दर्शनार्थियों के हितों को देखते हुए विधान सभा क्षेत्र सिवाना के तीर्थराज हल्देश्वर एवं सिवाना के ऐतिहासिक दुर्ग को पर्यटन स्थल

घोषित कर इनका विकास करवाकर आम जनता को राहत पहुंचाने का आग्रह करता हूं।

श्री कानसिंह कोटड़ी

(सिवाना)

सीकर में अवैध खनन पट्टों का निरस्तीकरण व उच्च स्तरीय जांच

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 के तहत मैं एक अत्यन्त ही गम्भीर मुद्दे की ओर राज्य सरकार एवं खनन तथा राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन कर रहा हूं कि कार्यालय खनि अभियंता, सीकर द्वारा वर्ष 2003 से निरन्तर खनन आबंटन में भारी अनियमितताएं बरतते हुए निजी स्वार्थों की पूर्ति में अधिकारीगण लिप्त होते हुए मनचाहे तरीके से खनन पट्टों का आबंटन कर रहे हैं जिसमें अवैध रूप में प्रभावशाली लोगों को एनओसी जारी करने में राजस्व विभाग के अधिकारी भी संलिप्त हैं। पात्र एवं पहले आवेदन करने वालों को एक तरफ धकेल कर ऊंची पहुंच वाले एवं रसूखदार व्यक्तियों को खनन हेतु एनओसी एवं पट्टे जारी कर बंदरबांट की जा रही है। इस संबंध में मैंने पूर्व विधान सभा सत्र में भी नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसे राज्य सरकार को भी विधान सभा सचिवालय द्वारा भिजवा दिया गया परंतु मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसका कोई प्रत्युत्तर आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। कारण साफ है कि सरकार एवं विभागीय अधिकारियों के पास कोई माकूल जवाब है ही नहीं।

सीकर जिले की ग्राम पंचायत घासीपुरा तहसील नीमकाथाना के ग्राम रेला में वर्ष 2004 से 2007 के मध्य दो खनन पट्टे स्वीकृत होने के बाद पड़ौस के ग्रामवासियों द्वारा आपत्तियां करने पर कानून-व्यवस्था चौपट होने की स्थिति बन गई और अंततः जिला कलक्टर को खनन पट्टे निरस्त करने को मजबूर होना पड़ा। इसके साथ ही वर्ष 2009 से 2011 के बीच प्राप्त आवेदनपत्रों पर मनमरजी से कलक्टर, सीकर द्वारा आरक्षित क्षेत्र में, बिना सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी किये ही स्वीकृतियां/एनओसी जारी कर दी गई जबकि वह क्षेत्र केचमेंट एरिया में आता है। इस प्रकार नियमों-कानूनों की अवहेलना के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की भी अनदेखी की जाना घोर आश्चर्य की बात है। इसके अलावा खनन पट्टा क्रमांक 682/09 बिना कोई नियम प्रक्रिया का पालन किये ही जारी किया गया, साफ तौर पर चहेते एवं राजनैतिक रसूखदारों को खुश करने के लिए यह दुष्कृत्य मिलीभगत से किया गया जबकि इसी क्षेत्र हेतु पूर्व में प्रस्तुत आवेदनपत्र को बिना कोई वाजिब वजह से निरस्त किया गया था। इस गम्भीर दुराचरण के मामले में

स्थानीय जिला प्रशासन के प्रभारी राजस्व अधिकारी ने एक ही दिन में एनओसी जारी कर दी जबकि पूर्व के सैंकड़ों आवेदनपत्र लम्बित थे।

उपरोक्त गम्भीर एवं लोक महत्व के विषय पर मैं राज्य सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग के साथ ही अवैध एवं अनियमित रूप से जारी खनन पट्टों को निरस्त करने की भी पुरजोर मांग करता हूं एवं निवेदन करता हूं कि भ्रष्ट लोकसेवकों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही करें।

बंशीधर खण्डेला

(खण्डेला)

डेगाना के कतिपय ग्रामों में एकत्रित वर्षा के पानी का निकास एवं कारित नुकसान की क्षतिपूर्ति

डेगाना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मांझी, गुणसली (किरोदा), बटेसरों की ढाणी (डावोली मीठी) व नून्द में जुलाई के अंतिम सप्ताह में हुई वर्षा के कारण इन गांवों के अधिकांश भाग पानी में डूब गये, जिसके कारण से गांवों के कई बच्चे, पक्के मकानों और सार्वजनिक भवनों में भारी नुकसान हुआ, तथा गांवों का जनजीवन पूर्व रूप से प्रभावित हुआ। इन गांवों की भौगोलिक स्थितियों के कारण हर वर्ष वर्षा के समय इस समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज तक प्रशासन एवं आपदा प्रबन्ध विभाग द्वारा इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, फलस्वरूप सामान्य वर्षा के बाद भी कई दिनों तक इन गांवों में पानी भरा रहता है। इस बार भी प्रशासन द्वारा पर्याप्त संसाधनों के अभाव में भरे पानी को बाहर नहीं निकाला जा सका। तथा इसके लिए कोई स्थायी उपाय नहीं किया गया। मेरे द्वारा स्थानीय प्रशासन एवं जिला कलक्टर महोदय एवं आपदा मंत्रीजी को सूचित किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही किसी भी स्तर पर शुरू नहीं हुई है। सरकार से मेरा आग्रह है कि वे शीघ्र इन गांवों की इस समस्या का समाधान हेतु स्थायी उपाय करें, ताकि भविष्य में इन गांवों को इस समस्या से छुटकारा मिल सके तथा पानी भराव के कारण जिन लोगों को नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई का मुआवजा दिया जाए।

श्री अजय सिंह

(डेगाना)

जोधपुर के गंगलाव तालाब का जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान जोधपुर के अति प्राचीन, ऐतिहासिक महत्व और जन आस्था के प्रतीक मंगलाव तालाब की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। रियासत काल में बना जल संरक्षण का गौरवमयी प्रतीक

आज सरकारी उपेक्षा और क्षेत्रीय प्रशासन की उदासीनता से अतिक्रमण का शिकार हो कर अपना स्वरूप खो रहा है। एक तरफ जोधपुर में भू-जल रिसाव की समस्या खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है, दूसरी तरफ इस समस्या के समाधान के लिए उपयोगी ऐसे जलाशय को डम्प कर समस्या को और गंभीर किया जा रहा है।

सबसे पहली आवश्यकता यह है कि गंगलाव तालाब की वास्तविक भूमि की पैमाईश की जावें, इसका मूल नक्शा समस्त जानकारी मय सभी दिशाओं के आस-पडौस की जानकारी के प्रस्तुत किया जावे। फिर यह जांचा जावे कि गंगलाव तालाब की उस पैमाइश भूमि के अंदर भराव क्षेत्र में कितने अतिक्रमण कब से हैं, उनकी सूची प्रस्तुत कर अब तक उन्हें हटाने हेतु और दूसरी जगह बसाने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई। अब वर्तमान में शेष रही भूमि की रक्षा के लिए क्या उपाय कब से किये जा रहे हैं।

मान्यवर, गंगलाव तालाब से सम्बन्धित सरकारी उदासीनता से तालाब की स्थिति नित्य निरन्तर खराब होती जा रही है, यदि एक वर्ष और इस प्रकरण को लम्बित रखा गया तो तालाब का अस्तित्व ही मिट कर अतिक्रमण की भेंट चढ़ जायेगा। अत: अविलम्ब इस पर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। मेरा अनुरोध है कि गंगलाव तालाब के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के लिए उच्च अधिकारियों की एक समिति बनाकर पन्द्रह कार्यदिवस में समस्त जानकारी एकत्रित कर तथ्यों के अनुरूप योजना बनाई जावे। और फिर सरकार उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत योजना को प्राथमिकता से स्वीकृत कर गंगलाव तालाब का संरक्षण कर जीर्णोद्धार और सौन्दर्यीकरण करावे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास

(सूरसागर)

बूंदी जिला मुख्यालय की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व नवीन सड़कों हेतु विशेष पैकेज

मेरे विधान सभा क्षेत्र बूंदी जिला मुख्यालय के चारों प्रवेशद्वारों तथा शहर की समस्त सड़कों की स्थिति काफी जर्जर अवस्था में है। बूंदी में जो कि पर्यटन नगरी है तथा यहां पर रोजाना सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक आते है, वह यहां की सड़कों की दशा देखकर शहर भ्रमण नहीं करके अपना समय व पैसा बर्बाद करने का उलाहना देकर वापस चले जाते है। जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक निवास तथा मैन कोलेज रोड एवं शहर की पाश कालोनी खेजागेट रोड के हालात इतने खराब हैं कि यहां से पैदल आना जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बूंदी शहर के देवपुरा रोड पर बड़े-बड़े गडडे हो रहे हैं तथा रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं।

वर्तमान में बून्दी जिला मुख्यालय पर आरयूआईडीपी द्वारा शहर में पेयजल पाइपलाइन डालने के कारण सम्पूर्ण शहर में गन्दगी व कीचड हो रहा है क्योंकि पाइप लाइन हेतु गड्डे खोदकर वापस भरने से वाहन कीचड में फंस जाते है। इस योजना में रोड़ खोदने के बाद वैसा ही रोड बनाने की जिम्मेदारी आरयूआईडीपी की है परन्तु इनके द्वारा कोई परमिशन नहीं लेकर रोड खोदकर उन्हें कच्चा ही भर दिया है। छात्र-छात्राओं को विद्यालयों में आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। कुल मिलाकर वर्तमान में बून्दी जिला मुख्यालय सड़कों की दृष्टि से गांवों से भी बदतर स्थिति में है।

अत: कृपया जिला मुख्यालय बून्दी की सड़कों की मरम्मत व नवीन सड़कों हेतु विशेष पैकेज जारी करा समस्त सड़कों को सीसी बनाने तथा सड़क विहीन कोलोनियों को सम्मिलित कराते हुए शहर में सड़कों का निर्माण कराने का कष्ट करावें।

श्री अशोक डोगरा

(बूंदी)

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के हटाये जाने पर रोक

प्रदेश के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में विगत 04 वर्षों में विभिन्न शैक्षिक व अशैक्षिक पदों पर संविदाकर्मियों को रखा गया था। इन सभी को नियुक्ति की विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए रखा गया था। वर्तमान में कुछ महाविद्यालयों द्वारा इनको नियमित कर दिया गया है तथा कुछ महाविद्यालयों द्वारा सेवा से हटाया जा रहा है।

अजमेर के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में भी विगत 04 वर्षों में शैक्षिक व अशैक्षिक स्टॉफ के विभिन्न पदों पर संविदा पर कर्मियों को रखा गया था जिनमें से किसी को भी नियमित नहीं किया गया है तथा उन्हें सेवा से हटा दिया गया/हटाया जा रहा है जिससे लगभग 32 व्यक्ति बेरोजगार होकर सड़कों पर आ गए हैं, जबकि प्रदेश के अन्य अभियांत्रिकी महाविद्यालयों-बीकानेर, भरतपुर आदि में संविदा पर रखे गये कर्मियों को नियमित कर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उक्त पदों पर विधिवत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर एवं चयन हेतु लिखित/साक्षात्कार परीक्षा आयोजित कर नियुक्ति दी गयी थी तथा इन्हें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दो वर्ष के परिवीक्षाकाल में दिये जाने वाले वेतन के रूप में सम्बन्धित पद की वेतन श्रृंखला की प्रारम्भिक/न्यूनतम राशि ही चुकायी गयी।

अजमेर के अभियांत्रिकी महाविद्यालय से हटाये जा रहे संविदाकर्मी तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा उनके साथ की जा रही इस पक्षपातपूर्ण एवं उपेक्षापूर्ण कार्यवाही से

राहत की उम्मीद में माननीय मंत्रीजी व विभाग के उच्चाधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं, परन्तु इन्हें कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है। तकनीकी शिक्षा विभाग की इस कार्यवाही से इस संस्थान में 3-4 वर्ष से कार्यरत संविदाकर्मियों के सामने बेरोजगारी एवं परिवार के पालन-पोषण का संकट उत्पन्न हो गया है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर में कार्यरत कर्मियों को बेरोजगार करने की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाते हुए प्रदेश के अन्य महाविद्यालयों की भांति इन्हें भी राजकीय सेवा में नियमित किये जाने के आदेश जारी कराने की कृपा करावें।

प्रो. वासुदेव देवनानी

(अजमेर उत्तर)

जैसलमेर जिले में काश्तकारों की अवाप्त भूमि का अदेय मुआवजा व भू-आबंटन

मान्यवर, निवेदन है कि प्रक्रिया के नियम 295 के तहत जैसलमेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर व वनपट्‌टी में 1088 काश्तकारों की भूमि अवाप्त हुई। परंतु पिछले 35 से 40 वर्षों से 623 काश्तकार आज तक भी मुआवजे और जमीन दोनों से वंचित हैं। सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मैं इस ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर समस्या का शीघ्र समाधान चाहता हूं।

जैसलमेर जिले में इन्दिरा नहर के प्रवेश को 40 से 45 वर्ष बीत चुके हैं। जिले व जिलेवासियों के लिए यह नहर सौभाग्यशाली रही कि लोगों को सिंचित काश्त भी नसीब हुई साथ ही साथ पीने का पानी भी मिला। परंतु नहर के चलने के साथ-साथ हजारों लोग ऐसे भी प्रभावित हुए कि उनकी पहले से ही मौजूद जमीन नहर और वनपट्‌टी में चली गई। नहर और उपनिवेशन विभाग द्वारा बिना किसी नियमों की पालना के, बिना सभी औपचारिकताएं पूर्ण किये हजारों किसानों की भूमि को अवाप्त कर लिया। हद तो तब हो गई कि नहर विभाग द्वारा एक भी काश्तकार को मुआवजा नहीं दिया गया। राजस्थान ही नहीं भारत के इतिहास में भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। जिले के 1088 काश्तकारों की भूमि नहर व नर्सरी में चली गई। मैं विगत 3-4 सत्रों में उक्त मामले को तारांकित, अतारांकित एवं संदर्भ समिति के समक्ष उठा चुका हूं। 1088 काश्तकारों में से 231 काश्तकारों को उपनिवेशन विभाग ने जमीन के बदले जमीन दी तथा 234 मामलों में किश्तों में समायोजन किया गया। परंतु जिस विभाग द्वारा यह जमीन अवाप्त की गई उसके द्वारा एक भी मामले में आज तक विधिवत् अवार्ड भी जारी नहीं किये गये। इस कारण एक भी काश्तकार को मुआवजे की राशि का

भुगतान नहीं किया गया। मैंने विधानसभा में सर्वप्रथम प्रश्न संख्या 1318 में दोनों विभागों को इस संबंध में अवगत करवाया तथा चतुर्थ सत्र में पुन: वंचित काश्तकारों को मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि देने के लिए विभागों द्वारा की गई कार्यवाही तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उत्तरदायित्व के विषय में प्रश्न संख्या 1283 द्वारा जानकारी चाही गई तो मुझे यह जवाब प्राप्त होता है कि सरकार के पास मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। पंचम सत्र में मैंने इस मामले को प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सक्षम ऐतराज करते हुए उठाया और मांग की कि विभाग और सरकार इस मामले में तुरंत कार्यवाही करे और वंचित काश्तकारों को मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि प्रदान करे और गलत उतर देने वाले अधिकारियों की जवाबदेही निश्चित करे। जब इस प्रश्न का जवाब आया तो मैं सन्न रह गया। इसी उतर में यह बताया गया कि बकाया प्रकरणों में विधिवत् अवाप्ति कार्यवाही नहीं होने तथा अवाप्ति अवार्ड पारित नहीं होने के कारण मुआवजा नहीं दिया जा सका। एक ही मामले में दो-दो जवाब सुनकर मैं हक्का-बक्का रह गया। इतना होते हुए भी न तो विभाग अपनी गलती मानता है न ही इस समस्या का समाधान करना चाहता है। इसके पश्चात् छठे सत्र में मैंने सरकार से 31 मई तक इस समस्या का समाधान करने लिए विधान सभा अध्यक्ष को पत्र भेजा। अध्यक्ष महोदय द्वारा मामले को पुन: सरकार को भेजा गया। परंतु आज तक इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि पहले चाहे जिसकी गलती रही हो परन्तु अपने आप को संवेदनशील और पारदर्शी कहलाने वाली यह सरकार अब तक क्या कर रही है। इस मामले में अब तक क्या किया गया है? मंत्री महोदय इसका जवाब दें। फिर भी यदि सरकार इस मामले को हल नहीं करेगी तो मुझे बाध्य होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा जिसके लिए सरकार और प्रशासन दोषी होगा।

श्री छोटू सिंह भाटी

(जैसलमेर)

जोधपुर शहर में कमिश्नर प्रणाली पश्चात् भी संसाधनों में बढ़ोतरी का अभाव

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर में पुलिसिया कमीशनर प्रणाली तो लागू हो गयी है परन्तु राज्य सरकार ने जोधपुर पुलिस को आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं करवाये गए हैं। राज्य सरकार ने न तो नफरी/जवानों की संख्या बढ़ाई है और न ही अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्त दी है। ऐसी स्थिति में जवानों को कई-कई घण्टे कार्य करना पड़ता है यानी शिफ्टों में ड्यूटी नहीं होने के कारण उनके कार्य में शिथिलता आनी

लाजमी है। इसी के साथ में बढ़ते पदों को देखते हुए व्हीकल की संख्या में वृद्धि नहीं की गयी है। जिसके अभाव में मुजरिमो पर नकेल कसने में भारी असुविधा का सामना पुलिस प्रशासन को करना पड़ रहा है। बढ़े हुए नव नियुक्त पुलिस अधिकारियों के रहवास की भी कोई सुविधा नहीं होने के कारण अस्थायी निवास सर्किट हाउस इत्यादि में कर रहे हैं।

अत: राज्य सरकार से मांग करता हूं कि पुलिस कमीश्नर प्रणाली लागू करने के साथ ही यहां की पुलिस को उचित एवं आधुनिक हथियार के साथ नफरी की संख्या बढायी जावे साथ ही रिक्त पड़े पुलिस अधिकारियों के पद पर शीघ्र नियुक्त करने के साथ उनके रहवास की सुविधा भी की जावे ताकि पुलिस अपनी कार्यप्रणाली पर खरी उतर सके। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को देखते हुए इस विषय पर चर्चा कराने का श्रम करे।

श्री कैलाश चन्द भंसाली

(जोधपुर)

जोधपुर-बाड़मेर की जोजरी नदी में रसायनयुक्त पानी का प्रवाह

जोजरी नदी जोधपुर के आसपास के क्षेत्र सालावास, बोरानाडा बासनी आदि क्षेत्र से गुजर कर लूणी की सहायक नदी के रूप में विलय होती है। इस नदी के किनारे जोधपुर के निकट शोभावतों की ढाणी, तनावड़ा, सालावास, बोरानाडा, बासनी में 53 टेक्सटाईल्स इकाइयों कृषि भूमि में संचालित है। इन इकाइयों से निकलने वाला रसायनयुक्त पानी इस जोजरी नदी में छोड़ा जाता है व शहर जोधपुर के सीवरेज का भी पानी इसी नदी में छोड़ा जाता है। इकाइयों की स्वीकृति के समय नियमानुसार प्रशासनिक, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण का ध्यान रखते हुए प्रदूषण नियन्त्रण हेतु दूषित पानी को टीटमेन्ट प्लान के जरिए शुद्ध कर नदी में छोड़ने एवं धुऐं के लिये नियन्त्रण संयन्त्र लगाने की शर्तें तो रखी जाती है। लेकिन कालान्तर में उक्त विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से इन नियमों को ताक में रख कर आम नागरिक के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है।

हाल ही में मानसून के कारण पश्चिमी राजस्थान में बरसात होने से उक्त जहरीला पानी बरसाती पानी के साथ मिलकर नदी के आसपास के क्षेत्र डोलीखुर्द, सायबनगर, मोटावास, आराबा, बाकियावास, कल्याणपुर, चितली, चारलाई कल्ला, सरवडी पुरोहितान, धडसी आदि गांवों में धुस गया है लगभग 500 एकड़ जमीन में लहराती फसल के खेतों में जमा हो गया। उक्त गांव नेशनल हाईवे नं. 112 एवं लूणी के बीच बसे होने कारण डोली गांव में पानी के बहाव से आवागमन भी अवरूद्ध होता है।

डोली ग्राम की बाहीय बस्तियां जहां मेधववाल जाती के 25, भीलों के 32, रबारियों के 25 एवं आचार्यों के 26 मकानों में पानी बुरी तरह से भर जाने के कारण उनको जान बचाकर भागना पड़ा एवं मकान का समस्त घरेलू सामान एवं खाद्य सामग्री नष्ट हो गई है। 500 एकड़ जमीन में लहराती ग्वार, मूंग, मोठ, बाजरा आदि की फसल तो चौपट हो ही गई है उक्त भूमि से यदि यह पानी नहीं हटाया गया तो यह भूमि बंजर हो जायेगी।

मेरा यह मानना है कि विकास आवश्यक है लेकिन मानव जीवन उससे भी कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की ईकाईयों को स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व प्रशासनिक एवं अन्य संबंधी विभाग के अधिकारियों को ऐसे अनिष्ट को ध्यान में रख कर ही स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को भी मात्र खानापूर्ति कर इतिश्री कर दी गई है। इसी प्रकार से पिछले वर्ष जब यह जहरीला पानी क्षेत्र में तबाही मचा चुका था। तब जाकर प्रशासनिक अधिकारियों ने इनके विद्युत कनेक्शन काटे थे। यह घटनाक्रम समाचार पत्रों की शुर्खीयां बनी हुई है। मेरा सरकार से आग्रह है राज्य सरकार को इसे गम्भीरता से लेते हुए सर्वदलिय विधायकगणों का दल गठित कर स्थिति का जायजा लेना चाहिए। फैले हुए जहरीले पानी को तुरन्त निकालने स्थायी इन्तजाम करना चाहिए व प्रशासन जोधपुर का यह जहरीला पानी बाड़मेर वासियों के खेतों में नहीं घुसे इसका स्थायी समाधान करावें। सर्वे करवा कर किसानों एवं मकान मालिकों को उचित मुकावजा देना चाहिए साथ ही इन इकाइयों को अनुमति देने वाले प्रशासनिक जल एवं विद्युत कनेक्शन देने वाले अधिकारियों एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाये।

श्री मदन प्रजापत

(पचपदरा)

विलायती बबूल से निर्मित कोयले के परिवहन पर रोक की समाप्ति

वन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.15(33)वन/98, दिनांक 10 जनवरी, 2003 के द्वारा राज्य में विलायती बबूल की लकड़ी से निर्मित कोयले के अन्य स्थलों पर ले जाने से रोक हटाकर सरकार ने गरीबजन जो कि कोयले का निर्माण कर अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे थे, को राहत प्रदान की गई थी। वन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या उपु 15(33)वन/98, दिनांक 12 जुलाई, 2010 के द्वारा विलायती बबूल की लकड़ी से निर्मित कोयले के परिवहन पर रोक लगा दी गई है जिसके कारण विभाग द्वारा भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। विलायती लकड़ी से निर्मित कोयले के ट्रकों पर वन विभाग द्वारा नियम विरूद्ध मनमानी पेनल्टी राशि वसूल की जा रही है। जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का प्रयास प्रतीत होती है।

उदाहरण के लिए दिनांक 16 अप्रैल, 2011 को ट्रक संख्या आर जे-22, जी ए 0577, की वन विभाग पाली द्वारा 11,000/- रुपये की पेनल्टी रसीद काटी गई। इसी दिनांक 16 अप्रैल, 2011 को आर जे-19, जी.ए. 9856, को वन विभाग डिवीजन, पाली द्वारा 22,000/- रुपये वसूले गये। दिनांक 14 नवम्बर, 2010 को ट्रक संख्या आर जे-22, जी ए 0577, की वन विभाग अलवर द्वारा 40500/- रुपये वसूले गये। इसी प्रकार राज्य में विलायती बबूल की लकड़ी से निर्मित कोयले के परिवहन पर एक ट्रक में लदी हुई समान मात्रा के लिए अलग अलग क्षेत्र में वन विभाग द्वारा मनमानी राशि वसूल की जा रही है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। सम्पूर्ण राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में पेनल्टी राशि के नाम पर 10,000 से लेकर एक लाख रुपये तक एक ही ट्रक के वसूले जा रहे हैं जो किसी प्रकार न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार क्षेत्रवार पूरे राज्य में करोड़ों रुपये व्यापारियों से वसूले गये जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गरीब परिवार प्रभावित हो रहे हैं एवं मजबूरी में भ्रष्टाचारियों की उचित अनुचित मांगों को पूरा कर रहे हैं।

इस प्रकार की कार्यवाही से विभागीय कर्मचारी/अधिकारी एवं उच्च स्तर की इस घोर भ्रष्टाचार में लिप्तता स्पष्ट प्रतीत होती है। जैसा कि कहावत है —

"कोयले की दलाली में मुंह काला" पूर्णतया इस परिदृश्य में सही प्रतीत हो रहा है।

यदि सरकार की विलायती बबूल से कोयला बनाने पर रोक नहीं है तो इस प्रकार कोयले के परिवहन पर रोक लगाने का क्या औचित्य है? इससे सैकड़ों परिवार प्रभावित हो रहे हैं जिनके लिए रोजी रोटी का भी संकट हो गया है।

अत: मेरा वन मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस प्रस्ताव में उल्लेखित प्रकरणों की जांच कर दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें एवं इस प्रकार मनमाने रूप से पेनल्टी वसूली पर रोक लगाकर पूर्वानुसार विलायती बबूल से बने कोयले के परिवहन पर रोक हटाने हेतु आवश्यक तुरन्त कार्यवाही करावें।

श्री केसाराम चौधरी

(मारवाड़ जंक्शन)

जगपुरा ग्राम (कोटा) में माल की वन भूमि पर अतिक्रमण की बेदखली

ग्राम जगपुरा खुर्द ग्राम पंचायत सालेड़ा खुर्द तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा के माल की वन भूमि पर बलराम पुत्र कंवरलाल निवासी चैचट जिला कोटा एवं अन्य द्वारा कब्जा अतिक्रमण करके अवैध रूप से फसलें बो रखी है।

वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की मिली भगत से उक्त कब्जे लम्बे समय से चल रहे हैं।

अतिक्रमियों के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाए तथा वन भूमि पर भविष्य में अवैध कब्जे रोकने के लिए अतिक्रमियों को पाबन्द करावें।

श्रीमती निर्मला

(किशनगंज)

छबड़ा में बाढ़ की स्थिति एवं सहायता हेतु विशेष आपदा प्रबन्धन की व्यवस्था

मैं राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 23 जून, 2011 से 25 अगस्त, 2011 के बीच समय में कई बार अत्यधिक वर्षा होने के कारण क्षेत्र में बाढ़ की हालात हो गई तथा कुछेक गांवों में तो कच्चे मकानों के साथ-साथ पक्के मकान भी क्षति ग्रस्त हो गये, जिन मकानों की संख्या 8-10 हजार है। साथ ही सड़कों की मरम्मत सही समय पर नहीं कराये जाने एवं वर्षा के पानी से सड़कों की स्थिति बद से बदत्तर हो गई है, जिसके आवागमन में असुविधा के साथ ही रोड़ एक्सीडेन्ट की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

यहां यह उल्लेख करना भी उचित समझता हूं कि वर्षा के पानी से क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति को भी काफी नुकसान हुआ है। जगह जगह विद्युत लाईन क्षतिग्रस्त हो जाने के साथ ही विद्युत पोल भी टूट गये हैं तथा बिजली गिरने एवं विद्युत लाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण 4-5 मौंते भी हो चुकी हैं।

इसके अलावा काफी पशुओं की मौतें हो जाने के साथ ही लगभग 200-250 वन्यजीव हिरणों की भी मौतें हो चुकी है।

उपरोक्त समस्याओं के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में 10-15 लोगों की भी मौत हो चुकी है।

अत: मंत्रीजी से निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित समस्याओं को अविलम्ब समाप्त कराने के साथ ही छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के लिए विशेष आपदा प्रबन्धन की व्यवस्था की जाये ताकि क्षेत्र में हो रही आर्थिक एवं जनहानि जैसी गम्भीर समस्यों का सामना किया जा सके।

श्री करण सिंह

(छबड़ा)